Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का पांचवा दिवस [संख्या ५

शुक्रवार, १४ अगस्त, १९५९.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, कृषि, वन, विधि, विकास, गृह, खनिज, सिंचाई, सहकारी, सार्वजनिक-सम्पर्क, सार्वजनिक-निर्माण, यातायात तथा नियुक्ति-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : तारांकित प्रश्नोतर।

प्रश्न संख्या १२९

श्री सम्पतराज जैन।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १३०

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३१

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

जयपुर--गंगापुर बस सर्विस

१३२. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि एक बस जयपुर से गंगापुर तक तथा गंगापुर से जयपुर तक शुरू करने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(ख) क्या इससे लालसोट की जनता की शिकायत दूर हो जावेगी? यदि नहीं, तो क्या जयपुर से लालसोट और लालसोट से जयपुर तक करने का आदेश दिया जावेगा?

(ग) क्या बस प्रारम्भ हो गई और नहीं तो क्यों? टाईम आने जाने का क्या है?

(घ) क्या यह भी सही है कि गंगापुर से ७ मोटरें पहले ही आती हैं और जयपुर से जाती भी हैं?

Page No.2

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(ङ) क्या सरकार इसे जयपुर से लालसोट करके जनता की तकलीफ दूर करेगी ?

(च) क्या यह भी सच है लालसोट निवासी गंगापुर के एक दिन के अदालती काम को ३ दिन खर्च करके पूरा कर पाते हैं ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) जी हाँ, अगस्त १९५८ से ।

(ख) लालसोट की जनता की शिकायत दूर करने के लिए ही उपरोक्त अतिरिक्त सर्विस चालू की गई है । अत: लालसोट से जयपुर अलग बस चलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हां, चालू हो गई । टाईम इस प्रकार है

रवानगी	पहुँचगंगापुर
५-३० सायं	१०-३० रात
वापसी रवानगी	पहुंच जयपुर
५-०० प्रात:	१०-०० प्रात:

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न संख्या १३३

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

जेलों व सब जेलों की सुरक्षा का प्रबन्ध

१३४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जेलों व सब जेलों में सुरक्षा के लिहाज से डब्ल दीवार, डब्ल गेट तथा दीवारों पर तारबन्दी होनी जरूरी है ?

(२) यदि हां, तो जिला जालोर की सांचोर सब-जेल में डब्ल दीवार, व डब्ल गेट तथा तारबन्दी क्यों नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि उस जेल में से एक दफा दीवार तोड़ कर मुलजिमान फरार हुए थे ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जेलों में सुरक्षा के लिहाज से डब्ल दीवार, डब्ल गेट तथा दीवारों पर तारबन्दी होना जरूरी है और सब-जेल में चूंकि छोटे यूनिट होते हैं इसलिये तारबन्दी व डब्ल दीवार की जरूरत नहीं है । डब्ल गेट बेशक होना जरूरी है ।

(२) साँचोर सब-जेल पर डब्ल गेट बनाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(३) राजस्थान के बाद जब से सांचोर हवालात जेल विभाग के आधीन आया है कोई फरारी नहीं हुई । बेशक सन् १९५३ में जब यह पुलिस के आधीन थी तब फरारी हुई थी ।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह कार्यवाही कब से की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिल्डिंग प्रोपोजल कन्सीडर कर रहे हैं ।

Page No.3

श्री लक्ष्मीचन्द : यह प्रोपोजल आपके पास आ गये हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : आई. जी. पी. के स्टेज पर ही कन्सीडर हो रहे हैं अभी।

प्रश्न संख्या १३५

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित अधिनियमों का पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होना।

१३६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या केन्द्रीय तथा राज्य विधान सभा द्वारा बनाये गये अधिनियमों के अन्तर्गत बने नियमों, उप-नियमों, आज्ञाओं तथा विज्ञप्तियों को जन सुविधा हेतु सरकार पुस्तकाकार में प्रकाशित करवाने का विचार रखती है ? अगर हाँ, तो कब तक ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इसकी कार्यवाही पहले से ही सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में रेफेरेन्स ऑफ रूल्स एण्ड ऑर्डर्स अन्डर इनेक्टमेंट्स एप्लाइंग टू राजस्थान' की एक पुस्तिका प्रकाशित भी की जा चुकी है। इस पुस्तिका में इस प्रकार के सभी नियमों की सूची है और यह भी बताया गया है कि ऐसे नियम राजस्थान राजपत्र में कब व कहाँ प्रकाशित हुए हैं और उनमें कब कब संशोधन हुए हैं। नियमों का संग्रह करके पुस्तकाकार प्रकाशित करवाने में अभी एक वर्ष का समय और लग जाने की सम्भावना है।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों से तो मांग कर रहे हैं। हर बार 'टाईम लगेगा,' 'टाईम लगेगा' कह देते हैं। आखिर कब तक काम हो जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बहुत मुश्किल काम है। अलग अलग स्टेटों के कानूनों को संग्रह करना है, काफी समय का काम है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

चीतलवाना (जालोर) में पंचायत एवं स्कूल भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत धन-राशि

१३७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(क) क्या जिला जालोर के सांचोर ब्लॉक में चीतलवाना में पंचायत भवन व स्कूल भवन बनाये गये हैं ? यदि हां, तो कितने रुपये की लागत से और ब्लॉक द्वारा स्वीकृति कितनी राशि की दी गई है ?

(ख) क्या स्वीकृत शुदा रकम दे दी गई है ?

(ग) उपरोक्त कार्य किस ठेकेदार द्वारा ब्लॉक ने कराया तथा क्या उसे पूरा पेमेन्ट कर दिया है ?

उप-मंत्री, विकास (श्री सम्पतराम) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका पूरा जवाब नहीं

(श्री सम्पतराम)

आया है इसलिए इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed.

प्रश्न संख्या १३८

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जुनियर टैकनीकल इन्स्टीटयूट्स खोले जाने की योजना।

१३६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने जुनियर टैकनिकल इन्स्टीट्यूट्स खोले जाने की योजना है ? इनमें से अब तक कितने व कहां कहां खोले गये हैं ? अगर नहीं खोले गये हैं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : सन् १६६०—६१ में ३ जुनियर टैकनीकल स्कूल खोलने की योजना है जो कि जोधपुर, अजमेर तथा उदयपुर के टैकनीकल संस्थाओं से सम्बन्धित होंगे। अभी तक कोई जुनियर टैकनीकल स्कूल नहीं खोला गया है क्योंकि जो फण्डस् गत वर्षों के बजट में इसके लिए रखे थे वे पूर्ण तौर पर टैकनीकल शिक्षा की दूसरी योजनाओं पर खर्च कर दिये गये।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि दूसरी योजना के तहत जुनियर इन्स्टीट्यूट १२ खोलने का प्रावधान था राजस्थान में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो मूल में पहले योजना थी उसमें बाद में जाकर भारत सरकार के एक्सपर्टों की जो कमेटी थी उसने काफी परिवर्तन कर दिया था और काफी समय तक विचाराधीन थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

सांचोर में पीने के पानी का अभाव

१४०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के सांचोर कस्बे में पीने के पानी की कमी है और इसी कारण से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई मशीन पानी देखने हेतु सांचोर भेजी गई थी ?

(ख) यदि हां, तो वहां के कौन कौन से बेरों का पानी देखा गया है और इस सम्बन्ध में सरकार के समक्ष क्या रिपोर्ट दी गई है ?

(ग) क्या सरकार वहां की जनता की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी का कोई स्थाई रूप से प्रबन्ध करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने सांचोर पंचायत को वाटर वर्क्स का काम पूरा होने के बाद संभालने मुताल्लिक व उसे चलाने के मुताल्लिक लिखा था ? यदि हां, तो वह किस आधार पर ?

मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसका जवाब अध्यक्ष

Page No.5

(श्री नाथूराम मिर्धा)

महोदय पहले दे दिया गया है ११ मई १९५९ को।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसका जवाब कब दिया गया ? कौन से सवाल के जवाब में किस तारीख को दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको चैक-आप कर रहा हूं Till then I postpone it.

(श्री नाथूराम मिर्धा ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा कि दफ्तर में पूछें)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि दफ्तर में पूछिये। दफ्तर में पूछने हम में से कोई नहीं जाने का।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरह का उत्तर आप दफ्तर में पूछ लीजिए। आप सुन लीजिए नम्बर दी क्वेश्चन The substance of the Starred Question No. 51/ATM received from Shri Ram Narayan Verma is the same as that of Starred question No. 385/ ATM and by the same M.L.A. received under your memo N. 2293/LA dated the 23rd April, 1959.

श्री तनसिंह (बाडमेर) : यह समझ में नहीं आता मिस्टर रामनारायण की जालोर के बारे में पूछने की बात। उनको क्या अधिकार था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर पूछ लिया तो अधिकार का इसमें क्या प्रश्न है ?

श्री तनसिंह : यह स्पेसिफिक प्रश्न तो जालोर के बारे में नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं असर्टेन कर रहा हूं। Let us see.

(अल्प विराम के अन्तर)

I hope that the minister will rech-eck-up the issue

श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन : १४१।

श्री नाथूराम मिर्धा : १४० का जवाब देना है ?

श्री तनसिंह : दे रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं दे सकता हूं।

(क) इस विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है। इस विभाग से कोई मशीन सांचोर कस्बे की वाटर सप्लाई देखने हेतु नहीं भेजी गई। अलबत्ता पशु मेले के लिए पानी के प्रबन्ध की जाँच करने अवश्य भेजी गई थी।

(ख) सांचोर कस्बे के बाहर नदी में बने हुए तीन कुँओं का पानी देखा गया। पशु मेले की आवश्यकता के लिये तीनों कुँओं में पानी अपर्याप्त है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस विभाग को कोई ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राजस्थान केनाल क्षेत्र में नवीन सम्मिलित ग्राम

१४१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.6

(श्री भीमसेन)

(क) क्या राजस्थान केनाल क्षेत्र में अभी अभी और गांव शामिल किये गये हैं ? यदि हाँ, तो वे कुल कितने गांव और कौनसी तहसीलों के हैं ?

(ख) पहले के व अब नये शामिल किये गये गांवों की एक पूरी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ग) इन गांवों में कितने गांव फलों से और कितने गांव लिफ्ट से सिंचित होंगे और कहां कहां पर वे लिफ्टें लगाई जावेंगी ?

(घ) उक्त शामिल किये गये गांवों में कब सिंचाई की आशा की जाती है ?

(ङ) क्या हिन्द पाक नहरी समझौते का राजस्थान नहर पर असर पड़ेगा ? अगर हां, तो क्या ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का क्षेत्र अभी सही तौर पर निश्चित नहीं हुआ है। यह कार्य कमान्ड पर निर्धारित है और भारतीय सर्वे विभाग से नक्शे प्राप्त होने पर होगा। इसमें से कम कम दो वर्ष और लगेंगे।

(ख) स्वीकृति योजना के अनुसार हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, बीकानेर, जैसलमेर तथा नोहर तहसीलों में सिंचाई हो सकेगी। इन तहसीलों के गांवों की सूची कोलोनाईजेशन विभाग द्वारा सर्वे समाप्त हो जाने पर मिल सकेगी।

(ग) अधिक से अधिक क्षेत्रों में फ्लो द्वारा सिंचाई की जाने की कोशिश की जावेगी। यदि इस योजना की स्वीकृति के समय सस्ती शक्ति मिल सकी तो लिफ्ट द्वारा भी सिंचाई की जाने की कोशिश की जावेगी।

(घ) नये शामिल किये जाने वाले गांवों का जब तक सर्वे पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उनको सिंचाई के लिए शामिल किये जाने तथा उनमें कब तक सिंचाई होगी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ङ) हिन्द-पाक नहरी समझौता राजस्थान नहर योजना को पानी दिलाने में लाभदायक होगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : लेकिन असर क्या पड़ेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिटेल अभी तक आई नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि इस एग्रीमेन्ट से तो नहीं है ? इसमें एक ही सीजन में पानी सप्लाई होगा, दोनों में नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी बात नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : In both the seasons water will be supplied.

श्री रामकिशोर व्यास : In non-pernlial water will be supplied.

श्री भीमसेन : राजस्थान केनाल का पानी शिड्यूल के अनुसार '६१ में मिल जावेगा ?

Page No.7

श्री रामकिशोर व्यास : शिड्यूल प्रोग्राम '६१ का नहीं है । We aretrying for it inspite of scheduled programme.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या यह समझा जावे कि यह जो गाँवों की लिस्ट दी गई है वह बाकायदा किसी प्रोग्राम के हिसाब से नहीं है, अन्धाधुन्ध यों ही चल रहा है ? कोई प्रोग्राम है आपका ?

श्री रामकिशोर व्यास : अन्धाधुन्ध नहीं है । सारा काम प्रोग्राम से चल रहा है । भारत सरकार का डिटेल्ड सर्वे चल रहा है ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : कब तक यह सर्वे हो जायेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : It will take about two years.

श्री भीमसेन : फिर केनाल एरिया में गाँवों को कैसे घोषित कर दिया पहले से ?

श्री रामकिशोर व्यास : भारत सरकार सर्वे करा रही है ।

श्री भीमसेन : आखिर कोई न कोई आधार तो होगा ? जिन गाँवों को इसमें लिया गया है और उनको पानी देने की बात कही गई है तो इसके लिए जस्टिफिकेशन तो होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रिलिमिनेरी सर्वे तो हुआ ही है । पर यह काफी नहीं होता है डिटेल्ड सर्वे अब हो रहा है ।

श्री भीमसेन : फिर भी इस पर से भी यह तो कह सकते हैं कि किन किन गावों को पानी मिलेगा और कितना मिलेगा ? यह तो बता सकेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपको कच्ची बात कहने से क्या फायदा ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

भोपाल माइनिंग वर्क्स द्वारा अभ्रक की अवरोधक (insulating) ईंटों का उत्पादन

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Mines be pleased to state:—

(a) Since when the Bhopal Mining Works have started production of insulating mica bricks ? What is its average annual production of bricks ?

(b) Has the Government or the Rajasthan Finance Corporation advanced any loan to this concern ? If so, how much ?

उपमन्त्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (a) Bhopal Mining commenced production from 1. 4. '58. Average production of insulating mica bricks per annum is 6 lacs.

(b) The Rajasthan Finance Corporation has advanced a loan of Rs 2 lacs to this concern. No loan was advanced by the State Government.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the bricks prepared by this Works have been rejected by the J. Steel works ?

Page No.8

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is no such information to this effect at all with us.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the State Government recommended to the Central Government lease to Man Quarries for this concern ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I can not possibly give the answer to this because it has nothing to do with the question asked for by the Hon-Member. This supplementary does not arise out of this question.

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल ।

राज्यकीय माध्यमिकशाला, छोटी सादड़ी

१४३. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन-मु०) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) चित्तौड़गढ़ जिले के छोटी सादड़ी कस्बे में राजकीय माध्यामिकशाला कितने सालों से चलती आ रही है ?

(२) उदयपुर जिले में इसके बाद स्थापित होनेवाली कितनी राजकीय माध्यामिक शालाऐं, हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी, और कॉलेज का रूप ले चुकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) चित्तौड़गढ़ जिले में क्या उक्त शाला सबसे बड़ी है ? इसमें कुल कितने विद्यार्थी, अध्यापक व अन्य कर्मचारी हैं व आठवी कक्षा में कितने छात्र हैं ?

(४) इस माध्यमिक शाला में कुल कितने कमरे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(१) सन् १९२६ से ।

(२) सूची संलग्न है ।

(३) जी हाँ । इसमें कुल ४७४ छात्र, १९ अध्यापक व ३ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । कक्षा ८ में ३८ छात्र हैं ।

(४) कुल २५ कमरे हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जयचन्द्र मोहिल : गोगुन्दा, कलेवर, बल्लभनगर, भीमगढ़, देरवा, फतहनगर, सलूम्बर आदि से यह कस्बा छोटा है जहाँ हाई-स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल न खोल करके इन गाँवों में खोले गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्योंकि यहाँ पर गैर सरकारी हाई स्कूल पहले से ही मौजूद है ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह सही है कि गैर सरकारी हाई स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाती है जिससे अन्य धर्मावलम्बी विद्यार्थियों को प्रवेश पाने में दिक्कत होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी जानकारी मेरी निगाह में माननीय सदस्य लाये थे । उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के नियम वहाँ पर नहीं हैं । अगर वहाँ पर ऐसी चीज की जाती है तो उसकी कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या माननीय सदस्य के अलावा वहाँ के नागरिकों ने भी कोई शिकायत की है या नहीं ?

Page No.9

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : औरों की शिकायत क्या ? माननीय सदस्य का ही वजन काफी है ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह सही है कि वहाँ माध्यमिकशाला की ८ वीं क्लास की परीक्षा पास करके लड़कियों को जो हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी की परीक्षा देना चाहती हैं उनका प्रवेश नहीं किया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब शिकायत है तो आप जानकारी किस बात की करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब तक यह शिकायत न करें कि वहाँ पर एडमीशन नहीं दिये गये तब तक इन्क्वायारी किस चीज की करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

तहसील सांचोर की सहकारी समितियों के सदस्य

१४४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील सांचोर, जिला जालोर की सहकारी समितियों में कितने ऐसे मेम्बर हैं जो इन्सोलवेन्ट हैं और उनको लोन मिल चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : राजस्थान सहकारी समितियों के लिए बनाये गये राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स, सन् १९५७ की धारा ६ के अन्तर्गत व्यक्ति जो कि दिवालिया (इन्सॉलवेन्ट) करार दिया जा चुका हो या दिवालिया (इनसॉलवेन्ट) हो गया हो वह व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य नहीं बन सकता । अत: तहसील सांचोर की सहकारी समितियों में दिवालिया व्यक्ति आदि होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस विभाग में पहिले ऐसी कोई भी शिकायत किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध जो कि दिवालिया हो प्राप्त नहीं हुई ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अगर सरकार को इस तरह की जानकारी दें तो सरकार इन्क्वारी कराने के लिए तैयार है ?

श्री दौलतराम सारण : अगर आप जानकारी देंगे तो उचित कार्यवाहीकी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

भीलवाड़ा जिले में सुरेरी बाँध सिंचाई परियोजना की कुल अनुमानित लागत

१४५. **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):** Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(a) What was total estimated cost of Sureri Dam irrigation project in Bhilwara Distt. and the planned date of completion of the same ?

(b) What is the actual expenditure incurred in the construction of this Dam and the irrigation project so far ?

Page No.10

(श्री पी० के चौधरी)

(c) Is it correct that an amount of Rs. 1½ lakhs has been spent in the construction of the left canal of the Dam ?

(d) Is it also correct that not a single drop of water flows through the canals ? If so, why ?

(e) How much is the commanded area of this Dan ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : 1. The estimated cost of the project is 33.43 lace, and the work was proposed to be completed in the year 1958.

2. The expenditure incurred upto 31.3.59 is Rs. 33.12 lacs.

3. No.

4. The question does not arise.

5. The gross command of the project is 57,600 acres.

श्री पी० के० चौधरी : In the progress report is shown that the commanded area is 16 thousand acres...

श्री रामकिशोर व्यास : उसको चैक आप कर लेंगे ।

श्री पी० के० चौधरी : चैक-अप करने का क्या है ? प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने दी है there it is 16 thousand acres and the cost is 18 lacs.

श्री रामकिशोर व्यास : I shall see to it.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : Is there any sluce on the left conal ?...

श्री उपाध्यक्ष : There is another question.. Mr. Ladha has put another question. You will please repeat it.

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ सुना नहीं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केनाल के अलावा क्या लैफ्ट साइड को कोई स्लूस भी बना हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : केनाल तो बनी नहीं है अभी तक ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केनाल नहीं स्लूस बना है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बना है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह स्लूस किस लिए बनायें हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : लैफ्ट केनाल बनाने का इरादा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह लैफ्ट केनाल कब तक बनाई जायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसका एस्टीमेट बन रहा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो दोनों तरफ का है कमान्डेड एरिया लैफ्ट और राइट को ?

Page No.11

श्री रामकिशोर व्यास : यह टोटल है उसका।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Left and right included both...

श्री पी० के० चौधरी : Left conal construction has not yet started ?

श्री रामकिशोर व्यास : Yes.

श्री पी० के० चौधरी : What will be the cost of the left canal construction ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई एक लाख और कुछ हजार के करीब है।

श्री पी० के० चौधरी : Is the Hon'ble Minister aware that this amount has already been spent in the left canal construction ?

श्री रामकिशोर व्यास : No, construction has not yet started.

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

अध्यापकों के स्थानान्तरण

१४६. **श्री रामनारायण वर्मा** : (पीपल्दा-सु०) क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि अध्यापकों के स्थानान्तरण प्रायः जून के अन्त या जुलाई के प्रारम्भ में होते है ?

(२) क्या सरकार ग्रामों के कच्चे मार्गों से वर्षा काल में घर परिवर्तन करने वाले अल्प वेतन भोगी अध्यापकों के कष्टों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त समय में परिवर्तन न करने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हाँ, साधारणतया से।

(२) जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

राजस्थान कॉलेज के प्रध्यापकों की संख्या व वेतन

१४७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान कॉलेज, जयपुर में प्रिन्सिपल सहित कुल कितने प्राध्यापक हैं ?

(२) उनके नाम व उनको मिलनेवाली तनख्वाह का ब्यौरा दी जिए ?

शिक्षा मंत्री (मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) १६

(२) उनके नामों तथा उनको मिलनेवाली तनख्वाह की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : सूची तो संलग्न है। इसमें मैथेमेटिक्स के दो प्रोफ़ेसर हैं और वह भी हजार तक की ग्रेडवाले हैं। क्या यह सही है कि दो प्रोफेसर मैथेमेटिक्स

Page No.12

(श्री मुरलीधर व्यास)

के होते हुए और उनकी इतनी ग्रेड होते हुए भी यहाँ मेथेमेटिक्स के अन्दर एक ही लड़का था और वह भी फेल हो गया, राजस्थान कॉलेज के अन्दर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्न तो वेतन श्रृंखला का है, परीक्षाफल का नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें कुल कितने छात्र हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन कुछ वेतन श्रृंखला से संबंधित हो तो कह सकता हूँ और छात्र संख्या कितनी है और छात्रों के परिणाम का क्या है, यह तो पता नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह मेरा सवाल तोशॉर्ट कर दिया गया है। आप ही देखिये दो प्रोफेसर और एक लड़का वह भी फेल हो गया मेथेमेटिक्स के अन्दर। फिर प्रोफेसर का हजार तक का ग्रेड रखा है......

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा

कंवलेश्वर महादेव को जानेवाले पुरुष एवं स्त्रियों की ट्रक से टक्कर

१४८. **श्रीरामनारायण वर्मा** : (पीपल्दा-सु०): क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि गत कार्तिक सुदि पूर्णिमा को इन्द्रगढ़ स्टेशन से ट्रेन से उतर कर पुरुष व स्त्रियों सहित लगभग १५ व्यक्तियों का झुंड कंवलेश्वर महादेव को जा रहा था कि उक्त झुंड से ट्रक की टक्कर हुई और फलस्वरूप २ औरतें मर गईं तथा २ घायल हुईं, जिनका शफाखाने में इलाज भी हुआ ?

(२) क्या थाना इन्द्रगढ़ में इस दुखद घटना की रिपोर्ट हुई ?

(३) यदि हाँ, तो कब तथा परिणाम क्या रहा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हाँ।

(२) जी हाँ।

(३) सूचना दिनांक २६-११-५८ को २-३० बजे मिली। भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०४ के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ और चालान किया गया एवं अदालत में विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

राजस्थान निर्माण पूर्व एवं बाद के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में पढ़ाये जाने वाले विषय

१४६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(१) राजस्थान बनने के पूर्व पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में कहाँ कहाँ क्या क्या विषय

Page No.13

(श्री मुरलीधर व्यास)

पढ़ाये जाते थे व उसके बाद में कहां कहां कौन कौन से नये विषय उन कक्षाओं में और बढ़ाये गये ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) राजस्थान में समाज शास्त्र के विकास के लिए कहाँ कहाँ इस विषय की कक्षायें किस आधार पर प्रारम्भ की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सूची नम्बर १ संलग्न है ।

(२) सूची नम्बर २ संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें जैसा कि लास्ट टाइम कहा गया था कि पोस्ट ग्रेजुएट की समाज शास्त्र की क्लास खोली जावेगी उसके बारे में अभी तक निर्णय हुआ या नहीं ? पिछली बार यह कहा गया था कि युनिवर्सिटी कहे तो उसके बाद में क्लास खोली जा सकती है तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने अपनी ओर से युनिवर्सिटी को लिखा है कि खोली जाये या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका किस कॉलेज से तात्पर्य है ?

श्री मुरलीधर व्यास : महाराज कॉलेज, जयपुर से ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : महाराजा कॉलेज में तो अभी सोशियोलोजी की बी० ए० क्लासेज़ ही चल रही हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर खोलने का इरादा है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगले साल विचार किया जावेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो अपने गत वर्ष भी कहा था ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गत वर्ष तो हमने सोशियोलोजी की थर्ड ईयर की क्लास शुरू की थी । अगली साल पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ खोलने का विचार होगा उस समय देखा जावेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : युनिवर्सिटी से इजाजत ले ली जाये । अगर अभी से कार्यवाही नहीं करेंगे तो आगे किस प्रकार खुलेगी ?

मोहनलाल सुखाड़िया : अभी इस पर कोई निर्णय ही नहीं किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा

उप-तहसील इन्द्रगढ़ में पोलघटा के मार्ग को ठीक करने हेतु स्वीकृत धन राशि

१५०. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि उप-तहसील इन्द्रगढ़ में पोलघटा के मार्ग को ठीक करने के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ धनराशि स्वीकृत की है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा कब ?

Page No.14

(श्री रामनारायण वर्मा)

(ग) क्या उक्त कार्य का ठेका दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक दे दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह वही क्वेश्चन है जो कि ३८३ ए.टी.एम. जो विधान सभा से २३ अप्रेल को प्राप्त हुआ था और ११ मई, १६५६ को उसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष : We had checked up the puestion This was never asked before. हमने अपने ऑफिस में चेक कर लिया है वह क्वेश्चन नहीं पूछा गया था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी ख्याल से दे दिया गया था। मुझे जो सूचना मिली है वह यह है । आप अगर देंगे तो में रिप्लाई पढ़ दूंगा ।

(१) जी हां ।

(२) ३३,०००) रु० सन् १६५८-५६ में ।

(३) टेन्डर तीन बार माँगे गये । एक बार नहीं आये । दो दफा ऊंचे आये । कार्य डिपार्टमेंटली किये जाने की तैयारी की जा रही है और काम चल भी रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

आर. ए. एस., आर. जे. एस. एवं आर. टी. एस. ऑफिसर्स की नियुक्ति के नियम

१५१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या आर. ए. एस., आर. जे. एस. व आर. टी. एस. चुनाव रूल्स में ऐसी धाराएं रखी गई हैं जिनके आधीन ऐसे अफसरान को, जिनको राजस्थान सरकार गजेटेड पद नहीं दे सकी है उन्हें अब गजेटेड पद पर नियुक्त कर सके ?

(ख) उपरोक्त चुनाव रूल्स में ऐसी धाराएँ नहीं रखने का व परीक्षा निर्धारित करके उतीर्ण परीक्षार्थियों को तरजीह देने की क्या वजह है जबकि अनुभवी व पूर्णतया क्वालिफाइड गजेटेड ऑफिसर्स प्राप्त हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) (क) जी नहीं ।

(ख) इन सर्विसेज़ के रिक्रूटमेंट रूल्स का एकीकरण से कोई संबंध नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मुरलीधर व्यास ।

गत वर्ष बरसात से टूटे बाँध एवं उनसे हुआ नुकसान

१५२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत वर्ष बारिश में राजस्थान में कितने तथा कौन कौन से बाँध टूटे और उनमें कितना नुकसान हुआ ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोरव्यास) : जो बाँध टूटे व उनसे जो नुकसान हुआ

Page No.15

(श्री रामकिशोर व्यास)

उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परीशिष्ट ४ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : बाँध टूटे हैं उनकी संख्य ३५ बताई है, और जितने टूटे हैं उनके अन्दर लाखों रुपया खर्च हुआ है तो क्या कारण हैं बाँध टूटने के ? कौन इन्जीनियर था जिसकी लापरवाही से बांध टूटे हैं ? उसकी इन्क्वायरी की जाय ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह बहुत छोटे छोटे बांध हैं और अधिकतर टैंकस हैं । अगर इसकी पोजीशन एनेलाइज़ करें तो १ से ६ नम्बर तक जो हैं यह उदयपुर कांकरोली एरिया में हैं । इनमें बहुत कम खर्च हुआ है । १३ हज़ार के करीब का नुकसान हुआ है । ७ से ३५ नंबर तक भरतपुर एरिया में हैं जहाँ कि अभी एक्स्ट्रा-आर्डिनेरी फ्लड्स आये थे उस समय हुआ था ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न तो मेरा यह है जितना आपने कहा वह ठीक बातहै, लेकिन सवाल यह है कि इतने बाँध टूटे इनके लिए जिम्मेदार कौन इन्जीनियर थे जिनकी जिम्मेदारी में, जिनके हाथों से ये काम हुए है उन्होंने इस तरीके से बनवाये कि वे टूट गये ? इतने बांध टूटने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : फ्लड्स ज्यादा आये इसके कारण से टूट गये । यही हमें जानकारी करने से मालूम हुआ है ।

श्री मुरलीधर व्यास : फ्लड तो आनेवाले थे ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : मैं समझता हूँ कि समानता का वहाँ सवाल था इसलिए सब एक साथ टूट गये ।

(हँसी)

श्री मुरली धर व्यास : जब तक कि इन्क्वारी नहीं करेंगे नतीजा यह होगा कि पता नहीं चलेगा कि क्या बात है । इतना खर्चा होता है, किस प्रकार का ठेका होता है और किस प्रकार से यह काम दिया गया इसके लिए एक इन्क्वायरी कमीशन बैठाया जाय, इसकी जाँच की जाय और इसके बारे में निश्चित बताया जाय ।

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी बात नहीं है । कुल मिला कर भरतपुर में टोटल डेमेजेज १,७५,०००)रु० की हुई है । जानकारी की गई है उससे पता चला है कि बारिश की वजह से हुआ है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : भरतपुर में कितना नुकसान हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : पौने दो लाख का ।

श्री मुरलीधर व्यास : नानखा चितारिया का जो बाँध है उसमें १० हजार रुपया लगा है वह किस कारण से टूटा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब का एक ही कारण था ।

श्री मुरलीधर व्यास : सिर्फ बाढ़ की वजह से है और बाँध कच्चे बने थे यह नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

राजस्थान कॉलेज में तीन साला डिग्री कोर्स के दाखिले के लिए नियत पर्सेन्टेज

१५३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान कॉलेज में तीन साला डिग्री कोर्स के लिए दाखिले के हेतु ५० परसेन्ट अंक रखे गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि अन्य कॉलेजों में उपरोक्त कोर्स के लिए छात्रों को नया दाखिला ४० परसेन्ट पर ही होता है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान कॉलेज को एक स्पेशल कॉलेज माना गया है ? अगर हां, तो तो इस कॉलेज के बी. ए. पास छात्र एम. ए. में कहां दाखिला लेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हाँ।

(२) आर्ट्स तथा कामर्स की ईअर्स डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए ४० प्रतिशत अंक का प्रतिबन्ध लगाया गया था परन्तु इस वर्ष के लिए हटा लिया गया है।

(३) जी हाँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब से हटा दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सेशन शुरू होने का बाद।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि महाराजा कॉलेज में थ्री इअर्स डिग्री कोर्स के लिए ४० परसेन्ट वाले लड़कों को एडमिशन दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किस सब्जेक्ट में ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईअर में।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मैट्रिक के बाद थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स कहीं शुरू नहीं होता है। युनिवर्सिटी में शुरूआत होती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि राजस्थान कॉलेज में बी.ए. पास करेंगे और जहाँ और कॉलेजों में थ्री ईयर्स का डिग्री कोर्स है वह पास करके भी एम.ए. के लिए एक जगह जाकर यूनिवर्सिटी में जायेंगे तो फिर राजस्थान कॉलेज में विद्यार्थियों के भर्ती होने पर एज्यूकेशन प्राप्त करने का क्या फायदा हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह एम. ए. के लिए बाद में जहाँ व्यवस्था यूनिवर्सिटी या कालेज के अन्दर होगी राजस्थान में या बाहर जहाँ भी जाना चाहें उनको जाना होगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज अभी जल्दी में वहाँ शुरू करना मुश्किल है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब थर्ड डिवीजन में पास होनेवालों को न तो एडमिशन मिलता है और न नौकरियाँ ही मिलती हैं तो फिर थर्ड डिवीजन को एबोलिश ही क्यों नहीं कर देते ?

Page No.17

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : थर्ड डिवीजन का कोई प्रतिबन्ध नहीं है आर्ट्स और कामर्स वालों के लिए ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

सन् १९५८-५९ में घुमक्कड़ पशुपालन विभाग की ओर से हुए सेमिनार

१५४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९५८-५९ में घुमक्कड़ पशुपालन विभाग की ओर से कहां कहां पर किस किस तारीख को सेमिनार हुए ?

(ख) इन सेमिनारों में कुल कितना खर्च हुआ ?

(ग) बजट में इस कार्य के लिए कितनी धनराशि रखी गई थी ?

(घ) सन् ५९-६० में इस कार्य के लिए कितनी धन राशि रखी गई है ?

उप-मन्त्री कृषि (श्री दौलतराम सारण) :

(१) कोई सेमिनार नहीं हुआ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) कुछ भी नहीं।

(४) विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने घुमक्कड़ शब्द जोड़ कर सारे प्रश्न को खत्म कर दिया है। तो पशुपालन विभाग के सेमिनार हुए या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : आपने घुमक्कड़ पशुओं के लिए पूछा है कि हुए या नहीं।

(हँसी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं पूछना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग के सेमिनार हुए या नहीं !

मंत्री, कृषि (श्री नाथूराम मिर्धा) : वह ब्लॉक्स में सेमिनार कई जगह हुए हैं। आपने घुमक्कड़ पशुपालन विभाग के लिए पूछा है कि सेमिनार हुए या नहीं सो नहीं हुए हैं लेकिन जैसे दूसरे विभागों के होते हैं ब्लॉक्स में कोऑपरेटिव के उसी तरह से एनीमल हसबेन्ड्री के हुए हैं और कई जगह हुए हैं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : राजस्थान सरकार के दृष्टिकोण से घुमक्कड़ पशु कौनसे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : घुमक्कड़ पशु नहीं हैं, बल्कि एक स्कीम है नोमेडिक ब्रीडर्स की।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे सेमिनार हुए हैं तो पशुपालक विभाग में राजस्थान सरकार की ओर बजट सैक्शन था उस आधार पर हुए हैं या यों ही कर दिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है। इस बात से कतई सम्बन्धित नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उसके लिए डिपार्टमेंट का बजट अलग नहीं होता है। यह ब्लॉक का होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : बजट सैंक्शन होता है यह . .

Page No.18

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas, it is a separate question. The Hon'ble Member is misplaced in putting the question.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : भाग (४)का आपने जवाब दिया है कि विचाराधीन हैं तो क्या विचाराधीन है यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री उपाध्यक्ष : : धनराशी रखी गई है ?

श्री दौलतराम सारण : धनराशि के सबंध में मामला विचाराधीन है।

एक माननीय सदस्य : घुमक्कड़ पशुपालन विभाग है क्या कोई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अभी समझाया है कि पशुपालन विभाग नोमेडिक ब्रीडर्स की एक स्कीम है। कुछ ऐसे पशुपालक हैं जो उधर उधर घूमते रहते हैं, जैसलमेर, नागोर में मिलेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका मतलब यह है क्या कि घुमक्कड़ पशुपालन विभाग है जो कि आज जयपुर में है और कल बीकानेर में यानि कहीं भी घूमने चला जाय?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे लोग चारे और घास के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग घूम गया है प्रश्न पूछते वक्त।

श्री मुरलीधर व्यास : घूमा हुआ तो आपका नज़र आता है।

(हँसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

जिला जयपुर में किसानों के लिए १९५८-५९ में गर्डर्स, एंगिल्स व टीनों का कोटा

१५५. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) किसानों के लिए जिला जयपुर में १९५८-५९ में गर्डर्स, एंगिल्स व टीनों का कोट कब कब आया ?

(ख) उसमें से कितना कोटा काश्तकारों को दिया गया और कितना फ्री सेल करके बेचा ?

(ग) जिस समय फ्री सेल बेचा, क्या कोई दर्ख्वास्त पेंडिंग नहीं थी ?

(घ) तहसील वाइज़ कितना कितना किस किस सामान का कोटा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (क) जिला जयपुर में गर्डर्स, एंगिल्स व टीनों का कोटा उनके सामने अंकित महीनों में प्राप्त हुआ।

(१) गर्डर्स-अप्रेल, जुलाई, अक्तूबर, नवम्बर, १९५८ व जनवरी, १९५९।

(२) एंगिल्स-नवम्बर, '५८ व फरवरी १९५९।

(३) टीन-अप्रेल, मई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, १९५८।

(ख) लोहे का कोई भी सामान फ्री सेल में नहीं बेचा गया। १४० टन गर्डर्स व

(श्री दौलतराम सारण)

एंगिल्स के कोटे के अतिरिक्त सारा सामान काश्तकारों को ही दिया गया।

(ग) कोई सामान फ्री सेल नहीं बेचा गया, अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तहसील वाइज दिये गये सामाम की सूची निम्न प्रकार है:—

नाम तहसील	चद्दरों की संख्या	गर्डर्स
जयपुर	११४४	४४८ फीट
बस्सी	१४२५	१४५ फीट
बाँदीकुई	८६०	२०० फीट
सीकराय	६४३	५६ फीट
दौसा	८८५	६५ फीट
लालसोट	६५६	५१ फीट
चाकसू	१२१२	
जमवारामगढ़	८३०	६५ फीट
आमेर	१०२७	
सांगानेर	११,२७	
दूदू	१,०३४	
कोटपुतली	१,२६७	
बैराठ	१,०२७	
फागी	१,३६६	
फुलेरा	१,०३८	२६।। फीट

गर्डर्स का अलॉटमेंट तहसील वाइज नहीं किया गया था। इनके आने की सूचना तहसीलों को भेज दी गई थी। तथा जिस तहसील से जितनी दरख्वास्तें आई उन सब काश्तकारों को गर्डर्स दे दिये गये थे, जो दरख्वास्तें देर से आई उन्हें नम्बर पर रख ली गई।

श्री रामकरणसिंह : मैंने सूची इसलिए माँगी थी कि जहाँ टीन और गर्डर का कोटा दिया गया वह काश्तकारों को न देकर गैर काश्तकारों को दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि गर्डर और टीन देने की सूचना तहसील पंचायतों को दे दी थी और जितनी दरख्वास्तें आई उनको डिस्ट्रिब्यूट कर दिया और जो कोटा बचा वह कलेक्टर और पी. डब्ल्यू. डी. को सरकारी काम के लिए काम में लाने के लिए दिया गया लेकिन फ्री सेल में कुछ नहीं दिया गया। मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है कि गैर काश्तकार लोगों को दिया गया।

श्री रामकरणसिंह : काश्तकारों की तरफ से दरख्वास्तें आई कि मोटी और खराब चद्दरें उनको दी गई और वास्तव में जो अच्छी चद्दरें थी वे गैर-काश्तकारों को दे दी गई। इसके लिए काफी हंगामा हुआ।

श्री दौलतराम सारण : हमारे पास न तो ऐसी कोई सूचना है और न शिकायत।

श्री रामकरणसिंह : आप जानकारी कर लीजिये।

श्री दौलतराम सारण : आप लिखित में शिकायत करिये, जाँच कर लेंगे।

श्री रामकरणसिंह : मैं खुद शिकायत लेकर कलेक्टर साहब के पास गया था और उन्होंने कहा कि जाँच करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : किस की शिकायत है और क्या बात है यह समझ में नहीं आया। हम कहते हैं कि कोटा किसानों को दिया गया। सब को नहीं दे सके और जिनको नहीं दे सके उनकी दरख्वास्तें पड़ी हैं और कोटा आयेगा तब देंगे। फ्री सेल में जाने नहीं दिया। पी. डब्ल्यू. डी. को गर्डर दिये गये, बाकी सब किसानों को दिया गया फिर कैसे शिकायत आपके पास आई?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

कैदियों की सजाओं में माफी

१५६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजाओं के जमाने में कैदियों की सजाओं में अधिक माफी मिलती थी यह अब?

(ख) तारीख १६. १०. ५८ को बीकानेर जेल से रिहा होने वाले श्री जोरा मीना तथा श्री चतुरसिंह राजपूत को कितनी सजा हुई थी और उन्होंने कितने साल की सजा काटी? जो माफी उन्हें हुई, वह, किस समय किस २ कारण से हुई?

(ग) क्या सरकार कैदियों के परिवारिक व आर्थिक जीवन के सुधार के लिए ३ साल के अधिक सजावाले कैदियों को ३ साल समाप्त होने पर प्रति वर्ष १ माह के लिए जमानत पर रिहा करने का विचार रखती है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) राजाओं के जमाने में कैदियों की सजाओं में माफी जेल मैन्युअल में स्वीकृत माफी के अलावा राजाओं की मर्जी पर या उनके जन्म दिवस पर या शादी वगैरह की खुशियों के मौकों पर भी खास माफी दी जाती थी। अब गवर्नमेंट से स्वीकृत जेल मैन्युअल के अनुसार कैदियों को नियमानुसार माफी मिलती है और गवर्नमेंट की खास स्वीकृति पर खास मौकों पर खास माफी भी दी जाती है। राजाओं के जमानों की माफी और अब जो माफी दी जाती है उसकी सही तुलना नहीं की जा सकती।

(ख) श्री जोरा मीना जो तारीख १६. १०. ५८ को बीकानेर जेल से रिहा किया गया था, २५ साल की सजा हुई थी। उसने कुल ११ साल, १ महीना, ९ दिन की सजा काटी। उसको निम्नलिखित माफी मिली थी।

१५. ८. ४८ को फोर्मर राजस्थान सरकार द्वारा	६ साल, ३ माह,
२६. १. ५० को गणतन्त्र दिवस पर	४ साल, २ माह,
१५. ८. ५७ को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सौ वीं वर्ष तिथि पर	६ माह।
दूसरी माफी जो जेल मैन्युअल के अनुसार मिली	२ साल, ११ माह।
	१३ साल, १० माह।

श्री चतुरसिंह नाम का कोई बन्दी बीकानेर जेल से रिहा नहीं किया गया।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ग) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : राजाओं के जमाने में जो माफी उनके जन्म दिवस, शादी और उत्सवों पर मिलती थी वह माफी ज्यादा थी क्या ? आजकल गणतंत्र दिवस या १५ अगस्त का अवसर आता है या और महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं उन मौके पर राजाओं के जमाने की तरह क्यों नहीं माफी का इन्तजाम करते ?

श्री रामकिशोर व्यास : जैसा मैंने बताया उस तरह से माफी दी जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रतिवर्ष क्यों नहीं दी जाती ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो ऑल इंडिया पॉलिसी पर डिपेन्ड करता है।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न के भाग (ग) में मैंने पूछा था कि ३ साल की सजा समाप्त होने के बाद किसी कैदी को १ महीने के लिए पैरोल पर जाने की इजाजत क्यों नहीं मिलती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब मैंने दे दिया है। पैरोल रूल्स बनाये हैं जो गजट में पब्लिश हो चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यू. पी. गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार से किया है। वहाँ पर उनको छुट्टी दी जाती है। जाकर वापिस आने की सुविधा देते हैं। क्या राजस्थान सरकार ने भी ऐसा निर्णय किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सोचा भी है, निर्णय भी दिया है और पब्लिश भी कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या निर्णय किया है यह बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : गजट में पढ़ लें। सर्टेन कंडीशन्स पर पैरोल पर छोड़ने का तय किया।

प्रश्न संख्या १५७

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

काला बादल।

मुन्सिफ एवं जेलर, अकलेरा के बीच कैदियों के दाखिले को लेकर करमकरसी

१५८. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा- सु.) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ता. ६.१.५६ को जब कि जेल बन्द हो गई थी, ५ बज कर ५ मिनट पर मुंसिफ, अकलेरा ने पुलिस के प्रभाव में आकर कैदियों को जेल में दाखिल करने का जबानी ऑर्डर दिया था ?

(२) क्या अकलेरा, जिला झालावाड़ के जेलर ने मुंसिफ, अकलेरा के जबानी हुक्म को मानने और कैदियों को जेल बन्द हो जाने के कारण लेने से इन्कार कर दिया था ?

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

(३) क्या यह सही है कि जेलर के इन्कार कर देने के कारण मुंसिफ ने जेलर के खिलाफ शख्त कार्यवाही की ? यदि हाँ, तो किस कानून के आधीन ?

(४) क्या मुंसिफ ने जेलर अकलेरा के विरूद्ध वारन्ट निकाला था ? यदि हाँ तो उसको वापिस क्यों लिया गया ?

(५) क्या अकलेरा जेल के जेलर ने मुंसिफ की अनुचित कार्यवाही के खिलाफ गृह मंत्री, राजस्थान तथा इन्सपेक्टर जनरल जेल्स को सूचना दी थी ?

(६) यदि हाँ, तो क्या इस अवैधानिक कार्यवाही के बारे में जाँच की गई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१ व २) तारीख ६-१-५६ को ७ कैदी मय पुलिस गार्ड के लॉक-अप बन्द हो जाने के बाद ५ बज कर २० मिनट पर अकलेरा लॉकअप पर आये। लेकिन चूंकि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, अकलेरा का लिखित स्पेशल आदेश नियमानुसार नहीं था इसलिए उनको नहीं लिया गया।

(३) जी हाँ। २२२ आई.पी. सी. के आधीन।

(४) जी हाँ, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, अकलेरा ने असिस्टेन्ट जेलर, अकलेरा के विरूद्ध तारीख ७.१. ५६ को जमानती वारन्ट रू. दो हजार का जारी किया था और उसको तलब कराने के लिए पी. एस. आई. को मुकर्रर किया, जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के खुद के ही हुक्म से तारीख १५. १. ५६ को रद्द कर दिया गया, जिसकी कॉपी संलग्न है।

(५) इस कार्यवाही की असिस्टेन्ट जेलर, अकलेरा ने आई. जी., जेल्स को इत्तला दी थी

(६) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : प्रश्न यह है कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने वारन्ट जमानती २ हजार रु० का जारी किया उस वक्त उनकी क्या मंशा थी

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैं नहीं कह सकता।

डॉ० बहादुरसिंह : आपने जो फैसले की कॉपी दी है उसमें स्पष्ट है। जब उन्होंने गवाही दी उसमें साफ है कि उनका गलत इन्टेन्शन नहीं था तो क्या वारन्ट इशु करने से पहले जानकारी नहीं की गई कि जेलर की कहाँ तक गलती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुंसिफ साहब नाराज हो गये होंगे इसलिये वारन्ट जारी कर दिया होगा।

प्रश्न संख्या १५६

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

मोडक गांव (कोटा) के श्री रामनारायण किसान का चालान

१६० श्री भैंवरलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : क्या वन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

Page No.23

(श्री भैरवलाल 'काला बादल')

(क) क्या यह सत्य है कि नवम्बर, सन् १९५८ में मोड़क गांव, जिला कोटा के श्रीरामनारायण किसान ने २ गाड़ी सूखी लकड़ी की चिट्ठी रेंजर, मोडक से कटाई थी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जिस समय किसान लकड़ी लेकर जंगल से घर लौट रहा था उस समय दरा गांव के नाकेदार ने उस किसान को मय बैल गाड़ी के ८ रोज तक दरा गांव में ही रोके रखा और नवें रोज रेंजरी में चालान कर दिया ?

(ग) उस किसान के चालान का क्या फैसला दिया गया और कितना जुर्माना किया गया ?

(घ) उन लकड़ियों से भरी हुई दोनों गाड़ियों की लकड़ी का क्या हुआ ?

वन मंत्री (श्री नाथूराममिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) गाड़ियां व लकड़ी रोकी गई थी। बैलों को उसी वक्त ले जाने दिया गया। गाड़ियां जमानत पर फौरन दे दी गई और लकड़ी जामिन के सुपुर्द कर दी गई।

(ग) २ रु० प्रति गाड़ी मुआवजा लिया गया।

(घ) २.१२.५८ को जमानत देने पर गाड़ियां मालिक को सौंप दी गई और ३.१२.५८ को मुआवजा देने की रजामंदी देने पर लकड़ी श्री हीरालाल जामिन के सुपुर्द करदी। मुआवजा डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर द्वारा मंजूर हो गया है जो वसूल होने पर लकड़ी भी जामिनदार से मालिक को दिलादी जावेगी। लकड़ियों का उपयोग रेंजर ने अपने घरू काम में नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराज जैन।

आसनावर सब-इन्सपेक्टर पुलिस के विरूद्ध मारपीट एवं रिश्वत की शिकायत

१२९ **श्री संपतराज जैन** (अकलेरा—**श्री रामचन्द्र** (डग-सु) द्वारा पूछा गया): क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि असनावर के सब-इन्सपेक्टर पुलिस के विरूद्ध ग्राम पाटल्या लोढ़ान, तहसील बकानी के कई किसानों ने मारपीट करने व ३५०) रु० रिश्वत लेने की शिकायत की है ?

(ख) यदि हां तो यह शिकायत होम मिनिस्टर व सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, झालावाड़ को कब प्राप्त हुई और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या इसी सब-इन्सपेक्टर पुलिस के विरूद्ध ग्राम पीपल्या, तहसील जोरापुर डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ (मध्यप्रदेश) के एक कुल्मी किसान ने भी ६००) रु० रिश्वत लेने की शिकायत सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, झालावाड़ को की है ?

(घ) यह ६००) रु० वाली शिकायत कब पेश हुई और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(ड.) क्या इसी सब-इन्सपेक्टर के के विरूद्ध गत दो वर्षों में कई शिकायतें पुलिस विभाग को प्राप्त हुई हैं ? कृपया जो शिकायतें प्राप्त हुई हों, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :(क) जी हां।

(ख) शिकायत एस. पी. झालावाड़ को भेजी गई जो वहां ता० ४. ३. ५९ को पहुँची। एस, पी. ने जांच के लिए डी.एस.पी. व सी. आई. के पास भेजी। जांच से आरोप निराधार पाये गये और कागजात दाखिल दफ्तर किये गये।

(ग) जी हां।

(घ) यह शिकायत एस, पी. झालावाड़ को ७. १. ५९ को मिली। एस. पी. ने प्रार्थी को हाजिर होकर अपना बयान देने को सूचित किया। परन्तु वह हाजिर नहीं हुआ एस. पी. ने फिर हाजिर होने को कहा परन्तु ता० १५. ७. ५९ तक न तो वह सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से मिला और न उसने कोई प्रत्युत्तर ही दिया अत: जांच अभी जारी है।

(ड.) नीचे दिये गये १३ अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुई :—

सर्व श्री (१) तुलसीराम (२, महताब (३) नारायणदास (४) धुलीलाल (५) नन्दादास (६) गौरीलाल (७) भैरूंलाल (८) बसीर (९) बापू (१०) पृथ्वीलाल (११) पूरा (१२) हीरालाल जैन (१३) डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर, झालावाड़।

श्री रामचन्द्र : प्रश्न रखने का मतलब यह है कि इसका नतीजा क्या हुआ? आपने फर्माया उससे मालूम होता है कि शिकायतें बोगस थीं, उनमें तथ्य नहीं था।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने नहीं कहा कि बोगस थीं। आखिरी जवाब में नहीं कहा।

श्री रामचन्द्र : आपने उत्तर दिया है उससे नतीजा निकलता है कि बोगस शिकायत थी। इसके लिए कुछ भी नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपका सवाल यह था...'क्या गत दो वर्षों में कई शिकायतें पुलिस विभाग को प्राप्त हुई हैं? कृपया जो शिकायतें प्राप्त हुई हों, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।' वह मैंने बता दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल।

जसरासर में मिडिल स्कूल भवन के निर्माण को बन्द करने का आदेश

१३३ **श्री गिरधारीलाल** (नोखा): क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या यह सही है कि दिनांक २२.१.५९ को जिला विकास अधिकारी द्वारा (कलेक्टर, बीकानेर) ग्राम पंचायत जसरासर में बन रहे मिडिल स्कूल भवन के निर्माण को बन्द करने हेतु कोई ऑर्डर जारी किया गया था? अगर हां, तो उस पर क्या अमल हुआ?

Page No.25

(श्री गिरधारीलाल)

(ख) क्या यह सही है कि स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी भवन का अनुपयुक्त जगह निर्माण बन्द नहीं हुआ? अगर हां, तो क्यों?

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इस प्रश्न के उत्तर में, जो अभी पूछा गया है, निवेदन है कि इस प्रकार का प्रश्न १२ अप्रेल, १९५६ को पूछा गया था, स्टार्ड क्वेश्चन नम्बर २७३ सी. एम. के रेफरेन्स से और उस समय इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री गिरधारीलाल: आज इसका जवाब दे दिया जाय। मुझे याद नहीं है किसका प्रश्न था।

श्री उपाध्यक्ष: मैं अवर्टन कर रहा हूं।

श्री भैरोसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

शिक्षा-मंत्री: (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) लेप्स होने वाले प्रश्नों में से है।

(क) उत्तर है, जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी): मिडिल स्कूल भवन के निर्माण जैसे विकास कार्य के लिए स्टे ऑर्डर किया। मैं आश्चर्य कर रहा था।

श्री गिरधारीलाल: ऐसा स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया गया? मेरा प्रश्न है २१. १. ५६ को स्टे ऑर्डर जारी किया गया मिडिल स्कूल के निर्माण को बन्द करने के लिए। अगर विकास अधिकारी ने ऑर्डर जारी नहीं किया तो क्या किसी अन्य ऑफिसर द्वारा ऑर्डर जारी हुआ था?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: प्रश्न यह है कि जिला विकास अधिकारी ने स्टे ऑर्डर इश्यू किया था? मैंने उत्तर दिया, जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल: क्या आप बता सकते हैं कि किसी अधिकारी के द्वारा कोई स्टे ऑर्डर जारी किया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: क्षमा करें, प्रश्न वह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

११.५७ म० पू०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री उपाध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री किशन लाल ने १०.८.५६ से सत्र के अन्त तक बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है

(श्री उपाध्यक्ष)

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : एडजार्नमेंट मोशन मूव किया है, उसका कोई जवाब नहीं मिला।

११.५८ म० पू०

प्रवर-समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् विधेयक, १६५६ पर प्रवर-समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : चम्बल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : I will just see to it.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह उपस्थापन होने का कार्य है, वह तो खत्म हो जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६५६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १६५६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

११.५६ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : हाँ, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त की जा रही है इसलिए प्रस्ताव अभी विचाराधीन रखा गया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में जो सुस्ती आ जाती है वह ठीक नहीं है। पार्लियामेंट में भी आप देखेंगे कि एडजोर्नमेंट मोशन आने के साथ ही इन्क्वायरी शुरू हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर व्यास, कल ही आपने दिया है, कोटा से पूछा है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह एक दिन में मिलना चाहिए, तभी इसका महत्व है।

श्री उपाध्यक्ष : It is only a question of a day inbetween us. I will once again request the Govt. to be serious.

श्री मुरलीधर व्यास : इस मामले में

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : उसकी कॉपी मुझे आता फर्माई नहीं मैं कुछ अर्ज कर देता।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Food Minister will please make a statement now.

१२ मध्यान्ह

अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (खाद्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, राज्य में चीनी की समस्या

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पर प्रस्तुत श्री जगदीशप्रसाद माथुर के कॉलिंग अटेन्शन मोशन के सम्बन्ध में निवेदन है कि इस वर्ष उत्तर पश्चिम भारत में चीनी के कम उत्पादन के कारण समस्त देश में चीनी की सामान्यत: कमी रही। इस कमी का अनुभव मई, सन् १६५६ के प्रारम्भ में हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा कि वे शुगर होल सेलर्स लाईसेन्सिग ऑर्डर का प्रवर्तन करें। फलतः हमारे राज्य में उक्त आज्ञा का प्रवर्त्तन १ जून, १६५६ को हुआ। इस आज्ञा के अनुसार मील एवं खन्डसारी चीनी के समस्त थोक विक्रेताओं के लिए जिनके पास किसी भी समय १३७ मन से अधिक चीनी संग्रह में थी आवश्यक हो गया कि वे चीनी का व्यापार करने के लिए एक अनुज्ञा, पत्र अर्थात् लाईसेन्स प्राप्त कर लें।

इसके उपरान्त भी चीनी के मूल्य में बढ़ोत्तरी होती ही गई। तब जुलाई, १६५६ में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार की मिलों के उत्पादन का दो तिहाई भाग अपने आधिपत्य में ले लिया एवं शेष एक तिहाई भाग बाजार में खुली बिक्री हेतु छोड़ दिया। अपने आधिपत्य में लिये गये इस दो तिहाई संग्रह में से भारत सरकार ने ३,००० टन चीनी राजस्थान के लिए नियत की। केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री अजीत प्रसाद जैन से बातचीत करने के पश्चात ५०० टन चीनी की मात्रा और बढ़ाई गई। जुलाई में वितरण की प्रणाली यह रही कि अनुज्ञा पत्र प्राप्त व्यापारी चीनी के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड के आधार पर चीनी प्राप्त कर लेवें। इसके उपरान्त शक्कर के व्यापारियों को खुले बाजार मूल्यों पर मिलों से और चीनी प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। भारत सरकार की यह योजना थी कि यह ३,५०० टन चीनी केवल ५,००० जनसंख्या वाले नगरों को ही दी जावे, जिसको राज्य सरकार ने नहीं माना और कहा कि राजस्थान राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समस्त जिलों में चीनी के उपरोक्त अभ्यंश अर्थात कोटे का वितरण किया जावेगा। भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया।

इतना होते हुए भी परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ और १ अगस्त, १६५६ से भारत सरकार ने चीनी के अन्तर्गय आवागमन को रोकने सम्बन्धी आदेश जारी कर दिये और इसके साथही उसने राजस्थान के अभ्यंश में वृद्धि कर पूर्वनिश्चित मात्रा को ६,५८६ टन कर दिया। इस अभ्यंश में से ६,००० टन उत्तर प्रदेश की मिलों से एवं शेष ५८६ टन चीनी राजस्थान में स्थिति मिलों से आनी थी।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) जरा जोर से बोलें और साफ बोलें तो सुनाई पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा जोर से और साफ बोलें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अपने खयाल से जोर से बोल रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : तो हमारे खयाल से ज़ोर से बोलिये।

(हँसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो हुक्म। (हँसी) जिलों में शक्कर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक

Page No.28

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जिले की थोक विक्रेता समिति भारत सरकार के डरेईरेक्टर ऑफ के समक्ष डिब्बों अर्थात् वैगनों के लिए इन्डेन्ट प्रस्तुत करें। इसके पश्चात् नियत की गई मात्रा की चीनी उस जिले में प्राप्त होगी और फिर नगर एवं ग्राम क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार कलेक्टर द्वारा उस चीनी का वितरण किया जावेगा। कलेक्टर्स को वह मूल्य भी निश्चित करने का अधिकार है जिस मूल्य पर थोक विक्रेता खेरूज व्यापारियों को अधिकतम १ रु० प्रति मन के लाभ पर चीनी बेचेंगे। जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों के कुछ कलेक्टरों ने पहले ही से यहाँ पर चल रही फेयर प्राईस शॉप्स की व्यवस्था का लाभ उठाते हुए राशनिंग चालू कर दिया। जयपुर में एक व्यक्ति को एक सेर चीनी देने का राशनिंग है। कलेक्टरों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे वितरण पर कड़ी दृष्टि रखें और यह भी ध्यान रखें कि थोक विक्रेता समय पर ऑर्डर्स दे दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): आपने गांवों के सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं बताई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह सारा कोटा जिलों के लिए है और गांवों के लिए गुड़ खाने की छूट है। (हँसी) आवश्यकता के माफिक देने के लिये कलेक्टर्स को आदेश दिये गए हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: आवश्यकता तो गाँवों में भी इसी प्रकार रहती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह सारा कोटा शहरों के लिए नहीं है। जिलों के लिए है।

श्री मुरलीधर व्यास: केन्द्रीय सरकार की ओर से राजस्थान के लिए निश्चित कोटा हुआ और वह सारे राजस्थान के लिए निश्चत हुआ है। गाँवों के लिए भी पॉलिसी क्लियर की जानी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: भारत सरकार ने जो कोटा दिया वह ५०,००० से ऊपर की आबादी के लिये ही दिया है पर हमने कहा कि हमारे यहाँ की परिस्थिति दूसरी है। सब जिलों के आधार पर लिया है। यह जिलों का कोटा है, अर्बन पोपुलेशन का भी ख्याल रखा जायेगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): At the time of rationing in war days, what was the quota per individual per month ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: वार टाईम के के लिए पूछ रहे हैं, वार टाईम का मुझे इस समय खयाल नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी: वार टाईम में two seers per month दिया करते थे तो क्या इस समय कन्डिशन्स उस समय से भी खराब हैं ? Now it is noly one seer ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उस वक्त ब्लेक मार्केट बहुत था अब वह शिकायत नहीं है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): आपने कहा कि जिलों के लिये केन्द्रीय सरकार से कोटा माँगा है तो शहरों को ही प्रधानता दी जायेगी या गाँवों को भी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर्स को डिस्ट्रिब्यूशन करने के लिये आदेश दिये हैं।

Page No.29

श्री उपाध्यक्ष : I now take up Rajasthan Tenancy (6 th Amendment) Bill.

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार जो महत्वपूर्ण चीज है इस पर सरकार की पॉलिसी निश्चित हो जानी चाहिये। कोरा स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पॉलिसी क्लीयर नहीं की जाती है तो इससे बड़ी गलतफहमी होगी और गांव वालों को नुकसान होगा।

श्री गिरधारीलाल : अभी अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि अर्बन पोपुलेशन का ध्यान ज्यादा रखा जायगा...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह अर्ज किया था कि आवश्यकता को देखते हुए डिस्ट्रिब्यूशन करने के क्लेक्टर्स को आदेश दिये हैं।

श्री गिरधारीलाल : आवश्यकता तो गांवों में भी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : Order, order Shri Jugal Kishore Chaturvedi to continue.

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष...

श्री उपाध्यक्ष : No. No.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Point of order Sir. I would like to know what way the speakers are selected. Yesterday I tried six times but unfortunately I found the eye of the Speaker always elusive. I would like to know whether the Speaker has made up his mind to select the persons. ?

श्री उपाध्यक्ष : I think even in the selection of member's Mr. Chaudhary's option has a preference.

श्री पी० के० चौधरी : But unfor-fortunately I never got the preference.

श्री उपाध्यक्ष : It was a matter of coincidence that Mr. Chaudhary could not catch the eye of the Chair, otherwise the preference is always there. I assure Mr. Chaudhary that such a possibility may not arise in future.

श्री पी० के० चौधरी : The whole thing is that some persons get a chance by standing once and others don't get a chance though they stand up five to six times from the morning to evening.

१२. ५ म० प०

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, ५८ (विचार-विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Jugal Kishore Chaturvedi.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (छठे संशोधन) विधेयक पर विचार प्रकट करते हुए कल मैंने सदन के समक्ष यह बात रखी थी कि इस विधेयक की मंशा, इस विधेयक का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करने का है, उन किसानों को रोटी रोजी देने का है

Page No.30

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जिनकी कि संख्या हमारे प्रदेश में अधिक है। मैंने कल सिद्धान्त के तौर पर भी कहा था कि हमारा सिद्धान्त : "सर्वे भवन्तु सुखिनः" Good of the greatest number का है। फिर ग्रेटेस्ट को मान कर चलते हैं तो भी इस वर्ग का ज्यादा अधिक ख्याल रखना है। और इसी ख्याल से यह बिल यहाँ पर लाया गया है।

सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है कि वे किसान जिनके पास कि बिलकुल ही जमीन नहीं है या जिनके पास भूमि तो है पर अपर्याप्त है उन किसानों की संख्या ३७,००,००० है और जिन लोगों के पास १५० एकड़ से लेकर १,००१ एकड़ तक भूमि है वे लोग कुल मिला कर १०,००० के करीब आते हैं। परन्तु अधिकाँश माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार किसानों के हित के सम्बन्ध में व्यक्त किये थे उनसे ऐसा मालूम हो रहा था कि किसानों के हित के सम्बन्ध में चर्चा करते समय उनको ज्यादा चिन्ता, १० हजार की श्रेणी में जो किसान आते हैं उनके लिए है और जो लोग वास्तव में किसानों की श्रेणी में आते हैं उनके हित की उनको बिलकुल पर्वाह नहीं है। जहां तक इस विधेयक की मंशा है वे ऐसे ही जो वास्तविक किसान हैं, जिनके लिये कि हर प्रगतिशील सरकार लाभ पहुँचाने की कोशिश करती है, उन वास्तविक किसानों से है। उनके हित की दृष्टि से ही यह विधेयक रक्खा गया है। पर जो दलीलें अधिकाँश माननीय सदस्यों द्वारा दी गईं वे तथा कथित किसान नामधारियों को हित पहुंचाने के लिए दी गईं जो ठीक नहीं। प्लानिंग कमिशन की इन्डिविज्युअल्स के इन्ट्रेस्ट को सेफ गार्ड करने की मंशा नहीं थी। तो अब हमको अपने इस विधेयक को जो सेलेक्ट कमेटी ने हमारे सामने रखा है, इस दृष्टि से देखना है कि इससे अधिक किसान वर्ग को लाभ पहुँचता है कि नहीं, जिनके कि हित को मद्देनजर रखते हुए यह विधेयक यहाँ लाया गया है।

इस दृष्टि से इस विधेयक को यदि देखा जाय तो मुझे दुख है कि सेलेक्ट कमेटी जिस रूप में इसको यहाँ लाई है उसी रूप में यदि इसको सदन स्वीकार करता है तो जिन वर्गों की हित की दृष्टि से अथवा जिन किसान श्रेणियों के हित के लिए यह विधेयक लाया गया है वह अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा। यदि सलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है तो कम्युनिस्टों की भाषा में यदि यह कहा जाय कि इससे बुर्जुआ किसानों का हित होगा, छोटे किसानों का कोई हित नहीं होगा तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने राजा महाराजाओं को खत्म किया, जागीरदारों और जमीदारों को खत्म किया, इसलिए उन्हें खत्म नहीं किया कि उन वर्गों से हमें द्वेष था बल्कि हम यह समझते थे कि जो इस देश में भूखे नंगे हैं, दरिद्रता में ग्रसित हैं उनको ऊँचा उठाना है, उनकी सेवा करनी है तो जो बड़े बड़े ऊँचे सम्पन्न लोग हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। अतः हमारी दृष्टि यह होनी चाहिए कि किसानों के हित के लिए यह विधेयक बना रहे हैं इससे उन किसानों का अधिक से अधिक हित किया जावे जो वास्तव में हृष्ट पुष्ट होते हुए भी, हलाँकि परमेश्वर ने उनको शक्ति दी है कि वे खेती करते रहें, पर उनके पास खेत नहीं हैं और खेत नहीं होने के कारण वे खेती करने से वंचित रहते हैं।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

तो इस दृष्टि से देखते हैं और विधेयक पर इसी रूप में विचार करते हैं तो इसमें कुछ धाराएं तो ऐसी हैं कि जिस रूप में वे इसमें मौजूद हैं यदि उसी रूप में उन्हें मान लेते हैं तो असली किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वैसे तो इनके सम्बन्ध में विस्तार से जिस समय इस बिल पर धारा-वार विचार करेंगे उस समय अर्ज करूँगा पर थोड़ा सा संक्षेप में मैं इस समय निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूँ।

सबसे पहली चीज मेरे ध्यान में यह आई है कि सलेक्ट कमेटी ने इसमें स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है। पहले जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट थी तथा फिर विधेयक जिस रूप में आया उसमें एकड़ रखा था और अलग अलग तहसीलों में अलग अलग एकड़ का प्रोपोर्शन रखा था जो कहीं ज्यादा था कहीं कम था पर सैद्धान्तिक रूप से गणित के हिसाब से था। पर अब ३० एकड़ के साथ स्टेन्डर्ड शब्द लगा कर अर्थमेटिक को एल्जेब्रा में पलट दिया है। परिभाषा भी देने का प्रयत्न किया है पर वह परिभाषा इतनी अनिश्चित ही नहीं, पूर्ण अवैज्ञानिक ही नहीं अव्यावहारिक भी है। यदि स्टेन्डर्ड एकड़ के नाम से किसानों को भूमि देनी है और इस रूप में इस विधेयक को रखते हैं तो इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है, जिस उद्देश्य से कि यह विधेयक रखा गया है।

स्टेन्डर्ड एकड़ को १० मन की मिकदार से नापा है वह समझ में नहीं आता कि ऐसा किस आधार पर माना है, कैसे इसको आदर्श मान कर चले हैं? मेरे जिले में तो एकड़ छोटा होता है, दूसरी जगह के एकड़ छोटे होते हैं। हमारे यहाँ एक बीघा में १० मन तक हो जाता है और १० मन से ज्यादा भी हो जाता है और एक वक्त आता है कि एक मन ही एक बीघे में होता है। आसपास १० मन होता है पर वहाँ एक बीघे में एक मन ही होता है। तो इस तरह इसमें तो बड़ा भारी अन्तर आता है यदि राजस्थान जैसे विशाल प्रदेश के एक एक क्षेत्र की एक एक भूमि का हिसाब लगाने लगें तो बड़ा मुश्किल काम होगा। सीलिंग कमेटी ने जो अनुपात रखा था वह इस आधार पर था कि वह कमेटी जगह जगह गई थी और उसने जगह जगह भूमि की किस्मों को देखा था। उसने वहाँ के लोगों से बातचीत की थी और एक चीज वर्क-आउट करके, फला कर निश्चित की थी। लेकिन आपने यह एक आरबीट्रेरी तरीके से रख लिया। आपने किसी दूसरी स्टेट जैसे पंजाब या किसी दूसरी स्टेट की मिसाल पर स्टेन्डर्ड एकड़ मान लिया। मैं यह निवेदन करूँगा कि इसको फलाने में आपको कितना समय लगेगा? जिन माननीय सदस्यों ने और सलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अपनी राय इस सम्बन्ध में दी क्या उन्होंने इसको फला कर देखा कि जब इसकी पैदावार से मिला कर देखेंगे तो राजस्थान में कितनी भूमि इस योग्य होगी जो किसानों को वे दे सकेंगे? यह चीज उन्होंने फला कर नहीं देखी। इसके अलावा यह अनावश्यक इसलिए है कि ६, ७ वर्ष तो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट को पेश होने में लग गये और अब यह पता नहीं कि इसको क्रियान्वित होने में कितना समय लगेगा! आप दूसरे लोगों को जमीन सरेन्डर करने के लिए कहेंगे और स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि के अनुसार फलावेंगे। मैं यह

Page No.32

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कहूँगा कि इसमें बहुत समय लगेगा। स्टेन्डर्ड एकड़ को हमने आदर्श मान लिया है कि एक स्टेन्डर्ड एकड़ में १० मन गेहूँ होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसान की निगाह इस बात पर होगी कि वह १० मन गेहूँ की पैदा करे वर्ना यह होगा कि वह एक स्टेन्डर्ड एकड़ नहीं रहेगा। इसलिये वह यह समझेगा कि इसमें १० मन गेहूँ या उतनी ही कीमत का दूसरा नाज ज्यादा से ज्यादा दिखाना है। इससे ज्यादा वह नहीं दिखावेगा। आज हम वैज्ञानिक तरीकों से एक एक बीघा में २०, २० मन नाज पैदा करते हैं। हम यही चाहते हैं कि दूसरे मुल्कों की तरह हमारे देश के किसान भी खुशहाल हों। उनके पास सिंचाई के पूरे पूरे साधन हों, उनको अच्छे बीज दिये जावें और दूसरी सभी प्रकार की सहूलियतें दी जावें। जब हमारी सरकार उनको स्टेन्डर्ड एकड़ से जमीन देगी और ३० स्टेन्डर्ड एकड़, स्टेन्डर्ड एकड़ उसको मानेगी जो १० मन गेहूँ या उसकी कीमत का नाज पैदा जिसमें होता हो।

कुआँ की जमीन को आपने इसलिये बारानी के बराबर माना है कि अगर वैल इर्रिगेटेड लैंड है उसको उसके बराबर नहीं मानेंगे तो लोग कुएँ बनाना छोड़ देंगे। हमारा खास उद्देश्य है वह वह है अच्छे बीज उनको देना और उत्पादन बढ़ाना। इसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। आपने यह ध्यान दिया है कि १० मन का जो स्टेन्डर्ड माना गया है वह ठीक है। मैं यह कहूँगा कि आपने जो स्टेन्डर्ड एकड़ माना है इससे किसान की खेत की पैदावार बढ़ने वाली नहीं है और इसलिये मैं यह कहूँगा कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का प्रश्न आपका हल नहीं होने वाला है। जब हम ने १० मन गेहूँ के मापदण्ड से एक स्टेन्डर्ड एकड़ माना है तो किसान अपने खेत में उतना ही अन्न पैदा करेगा।

इसके अतिरिक्त आपने फ्यूचर एक्विजीशन की बात रखी है। उसमें आपने कानून का हवाला दिया है। जिसमें यह बताया है Ceilings on Agricultural Holdings के लिये :—

"The question of imposition of ceilings on agricultural holdings is very important one and both the first and Second Five Year Plans have devoted a good deal of attention to this problem. So far as future acquisition of agricultural land is concerned, a ceiling has already been imposed by Rajasthan Tenancy Act, 1955. The ceiling is 30 acres of irrigated land and 90 acres of un-irrigsted land." तो एक तरफ आपका सन् १९५५ का कानून यह कहता है कि वहाँ जो भूमि होगी वह ३० एकड़ सिंचाई की होगी। ३० एकड़ से ज्यादा नहीं होगी।

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री) : ऐसा नहीं है। This is a ceiling on future acquisition and this is not ceiling on existing acquisition.

श्री जुगलशोर चतुर्वेदी : मैं तो यह कह रहा हूँ कि फ्यूचर में आपका यह कानून होगा। इससे ज्यादा कोई नहीं रख सकेगा लेकिन आज जो आप कानून बनाने जा रहे हैं उसमें ३० एकड़ स्टेन्डर्ड मान कर चल रहे

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हैं। यही तो मतलब होगा। वहाँ ३० एकड़ से ज्यादा कोई रख नहीं सकेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई खरीद नहीं सकेगा। कोई एक्वायर नहीं कर सकेगा।

श्रीजुगलकिशोर चतुर्वेदी : एक्वायर करने का मतलब यह है कि रखेगा। एक्वायर नहीं कर सकेगा '३० एकड़ चाही या ६० एकड़ बारानी से ज्यादा। अब नया कानून जो लाये हैं उसमें नई बात हमने रखी है। पहले जो रखी गई है वह किसी वैज्ञानिक आधार पर रखी है। आज आपने उसको किसी और कारण से बदल दिया है। मैं आज फिर यह कहूँगा कि पहले का अर्थमेटिक केल्कुलेशन था चाहे वह ज्यादा हो या कम अब जो रखा गया है वह एलजेबरा का केलकुलेशन है। ए बराबर २ के भी हो सकता है और ए बराबर तीन या चार के भी हो सकता है। यह अर्थमेटिक की तरह स्टेन्डर्ड नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपके इस स्टेन्डर्ड एकड़ से इतनी गलतफहमी होनेवाली है कि कोई कहेगा कि हमारे यहाँ १० मन नहीं ६ मन ही है तो कोई कहेगा कि १२ मन है। इन झगड़ों में ही आपके एस.डी.ओज. का समय हिसाब लगाने में चला जायेगा और वे दूसरा कोई काम नहीं कर सकेंगे। एक हिसाब लागू हो जिससे किसान को यह पता रहे कि इतनी जमीन मेरे पास है। अब इससे किसान को यह पता नहीं रहेगा कि उसके पास कितनी जमीन है। अगर ५ मन हो तो इतना होगा और १० मन हो तो इतना। इसलिये मैं कहता हूँ कि आप चाहे जमीन कम रखिये या ज्यादा रखिये इसकी कोई बात नहीं है लेकिन स्टेन्डर्ड शब्द को हटा दीजिये इससे कनफ्यूजन होने वाला है और बड़ी गड़बड़ी चलनेवाली है जिसको हल करना आपके लिये मुश्किल हो जावेगा। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि स्टेन्डर्ड एकड़ इसमें से हटा दें। आप इसके बजाय २० या २५ एकड़ रख दीजिये। मगर मैं यह कहूँगा कि आप इस स्टेन्डर्ड एकड़ को वर्क-आउट नहीं कर पावेंगे। आपको इसमें काफी समय लगेगा इस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें से ऐसे अंग को जिससे मुश्किल पैदा हो निकाल दीजिये अन्यथा यह अपूर्ण होनेवाला है।

इसके अलावा इसमें दूसरा जो रखा है वह है एग्जेम्शन्स का। इसमें भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसको अलग अलग तहसीलों में जाने की जरूरत नहीं है कि यह किन-किन लोगों पर लागू नहीं होगा। सिर्फ आप उन लोगों को एग्जेम्पट करिये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हों। बाकी शुगरकेन, ग्रोव्ज आदि के लिए एग्जेम्शन न दें जिनको आपने दिये हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं फिर उन्हीं शब्दों को कहूँगा कि आज जो गरीब लोग जो वास्तव में गरीब हैं, जिनके पास वास्तव में जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको जमीन नहीं दे रहे हैं और बुर्जुआ किसानों के, शुगरकेन, ग्रोव आदि के संरक्षण की चिन्ता करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको गरीब किसानों के हित की चिन्ता नहीं। जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसमें आपका यह लक्ष्य होना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा किसानों का हित हो और जो किसान आज रोटी-रोटी के लिए तरस रहे हैं उनको रोटी मिले और उनको जमीन खेती के लिए मिल सके। आप शुगर फेक्ट्री, बिस्कुट

Page No.34

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

फेक्ट्री और दूसरी फेक्ट्रीज़ के मालिकों की चिन्ता करेंगे और उन फेक्ट्रीज़ के मालिकों को जमीन देंगे तो किसान जिसके लिए कांग्रेस ने राहत उहुँचाने का दावा किया है वह राहत उन किसानों को नहीं मिल सकेगी। नामधारी किसानों को, आज हिन्दुस्तान में किसानों की कौंसिल बनी है। मैं दिल्ली में गया। वहाँ किसानों का सम्मेलन होता है उसमें कोट, पेन्ट, हेट टाईवाले किसान ही ज्यादा नज़र आते हैं।

वे ऊँची धोती पहन कर......

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): नामधारी सुधारक नामधारी किसानों को इकट्ठा करते हैं ऐसा आशय है आप का?

(हँसी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: नामधारी तो सम्प्रदाय होता है। किसी जमाने में भगुआ कपड़े पहिननेवाले साधु होते थे उनको लोग अच्छी नजर से देखते थे इसलिए दूसरे लोगों ने भी भगुआ कपड़े धारण कर लिए।

आज किसानों का युग आया है। सरकार बचनबद्ध है। सरकार किसानों की उन्नत करने के लिए कृत संकल्प है। किसानों के साथ जिनका हित हमेशा टकराया करता था वे लोग तो आज किसानों की श्रेणी में आते हैं और जो असली किसान हैं वे नहीं। इसके द्वारा वे ही लोग लाभान्वित होंगे। इसको इस दृष्टि से रखना होगा कि जिनके पास कम भूमि है, जिसके पास किसानगीरी है उन्ही लोगों को इस विधेयक से लाभ पहुंचे। यहां स्टेन्डर्ड एकड़ रख कर और जो उन लोगों के लिए एग्जम्प्शन्स रखे हैं वे उन्हीं लोगों को हितकर हो सकते हैं? वास्तव में किसानों को नहीं। आप आज चिन्ता करते हैं उन लोगों की जो कि हमेशा से आराम से रहे हैं, जो कारों में बैठ कर निकलते हैं, जिनके शहरों में बड़े बड़े मकान हैं और गांवों में भी। मैं कहता हूँ कि आप उनकी चिन्ता मत करिये। वे तो अपनी चिन्ता पहले ही कर चुके। अब आप उनकी चिन्ता मत कीजिये। '५३ में सीलिंग कमेटी बनी थी। अब आप '५७ से ट्रान्सफर्स को रोकेंगे। वे इतने चतुर हैं कि उन्होंने सन् ५७ तक आपकी इन्तजार नहीं की। वे अपनी अधिक जमीन बेच चुके। बहुत अधिक कीमत में बेच चुके। मैं आपको भरतपुर की बात बताता हुँ। उन लोगों ने १५०, १५० रुपया बीघा में अपनी जमीन बेच दी जब कि आम लोग जमीन के लिए तरस रहे हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर। मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूँगा कि अधिक कीमत से बेची तो क्या बाजार भाव से भी अधिक कीमत में बेची?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: मैंने बाजार भाव तो देखे नहीं।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): बाजार भाव से ज्यादा थोड़े ही बिकती है!

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: बाजार भाव तो वह होता है कि जो साधारण तौर पर भाव होते हैं। यदि उन्होंने बाजार भाव से भी अधिक कीमत में बेची तो वे बेवकूफ थे जिन्होंने खरीदी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): आपको क्या चिन्ता है? आपका तो वकालात का काम है?

Page No.35

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उन्होंने काफी ऊँचे भावों में बेच दी। उन्होंने ट्रेक्टर खरीद लिये। ट्रेक्टरों में ट्रोली लगवा ली और आज भी वे हजारों रुपया उनसे पैदा कर रहे हैं। एक धन्धा तो यह कर लिया और दूसरा कई उन्होंने होटल शहरों में खोल लिये, इन्डस्ट्रीज में शेयर ले लिये। आप कहते हैं कि १ जनवरी, सन् '५७ के बाद जितने भी ट्रान्सफर्स हुए हैं वे अवैध करार दिये जाते हैं। अव्वल तो ऐसे बहुत कम लोग रहे होंगे। उन्होंने पहले से ही कानूनी पंडितों से सलाह लेकर इस प्रकार से इस कार्य को कर लिया है कि वे किसी प्रकार कानून में न आ जायें। इसलिए आपका यह कानून तो कानूनी किताबों तक ही सीमित रह जायेगा। जिनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है वे इसमें साफ बच गये हैं। यदि आपको वास्तविक रूप में इसको लगाना है तो सन् '५४ '५५ से लगावें। जब आपने सीलिंग कमेटी बैठाई तो क्या वे इतना भी नहीं समझते थे कि यह किसलिए बना रहे हैं? वे लोग समझते थे। दो चार साल का समय इसमें निकल सकता है लेकिन आगे जाकर तो सीलिंग लगनेवाली ही है। वे इस बात को सन् '५३ में ही समझ गये थे और उसके बाद इस प्रयत्न में रहे कि इतनी ही भूमि रखें। धीरे धीरे लोगों को पूछते रहे। किसी ने कहा कि एकड़ १०० की छूट होगी। किसी ने कहा कि ५० एकड़ की होगी; तो उनको चिन्ता होती थी। उनको जितनी भूमि निकालनी थी वे सब निकाल चुके। यदि आप वास्तव में किसानों का इस कानून से हित करना चाहते हैं तो समय की जो सीमा निर्धारित की है उसको पीछे ले जाइये, १ जनवरी, सन् १९५७ के बजाय इसको सन् १९५४, '५५ में ले जाइये। मैं समझता हूँ कि पहले विधेयक में १९५४ रखा था। पीछे न मालूम क्यों बदल दिया। इस तरह से लगावें तो ठीक है।

दूसरा यह कहा कि इस तरह से जो सरेन्डर की हुई भूमि होगी उसके लिए कम्पेन्सेशन देंगे और जिन्होंने जमीन बेच दी है जो वे पैसा नहीं देंगे तो उनके कम्पन्सेशन से काट लेंगे। शायद आपका कम्पेन्सेशन इतना नहीं होगा जितने में भूमि बेची गई। रुपया वे ले चुके। कम्पेन्सेशन इतना नहीं बनेगा जितना उन्होंने ले लिया। आप कहते हैं कि कम्पेन्सेशन में से काट कर लेंगे लेकिन १५०, २०० रुपया बीघा में जमीन बेची, कम्पेन्सेशन से अधिक रकम में कैसे वसूल करेंगे? भरतपुर में एक ही जमींदार ने एक साल में ९० हजार से १ लाख तक की जमीन बेची है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह भी इसमें आ जायेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : दो साल बाद कैसे आवेगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जेम्प्शान इसके अन्दर रखे हैं उनमें से केवल एक को ऑपरेटिव फार्मिंग को छोड़ कर बाकी को वापिस लेलेने चाहिये।

इसी तरह से सन् की जो सीमा निर्धारित की है १ जनवरी, सन् '५७ से उसको भी पीछे ले जाना चाहिये। कोई चीज आप कर रहे हैं, उसके लिए कानून बना रहे हैं। कानून ही ऐसा क्यों बनायें जो दो दिन पहले बेच दी हो, जैसे १ जनवरी, सन् '५७ से ट्रान्सफर को अवैध करार दे रहे हैं। उनके

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दो दिन पहले ३१ दिसम्बर, '५६ को कर दी हो तो उससे क्या पता लग सकता है और कैसे बचत नहीं होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लार्ज स्केल पर ट्रान्सफर्स हुए हैं उस तारीख को ध्यान में रखा गया है। आपके ध्यान में कोई तारीख हो तो बता दीजिये ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सन् '५७ से काफी पहले बेची है। दो साल का ध्यान है, फिर मालूम कर लूँगा। तीन साल के अन्दर अन्दर बेची है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून की पकड़ में नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कानूनी वकीलों से सलाह ली है। उनको आपकी सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट से भी आपका क्या आशय है यह समझ में आ गया था। वकीलों ने थोड़े थोड़े टुकड़ों में बेचा यह सलाह दी थी। ४०, ५० बीघा एक, एक को दो। आपका कानून पहले बना हुआ था। जिनके पास ऑलरेडी भूमि है वे नहीं ले सकेंगे। उन्होंने एक भी ऐसे आदमी को जमीन नहीं बेची जिसके पास पहले से भूमि थी। जो भूमि बेची है उस भूमि से किसानों को लाभ होनेवाला नहीं और वे सरेन्डर करनेवाले नहीं। जिस प्रकार के एरेन्जमेन्टस आपने छोड़े हैं उसके अनुसार वह भूमि मिलनेवाली नहीं। स्टेन्डर्ड एकड़ से हम ४० लाख किसानों में से सिर्फ १० हजार किसानों को लाभ पहुँचाने की सोच रहे हैं। इस कल्पना से किसानों को हित होनेवाला नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दुर्भाग्य से अगर यह बिल इसी रूप में स्वीकार हो जाता है तो विधेयक की जो मन्शा है, जो उद्देश्य है वह सर्वथा नष्ट हो जाता है।

मैं इस बात को नहीं कहता इन गल्तियों की दुरुस्ती के लिए फिर से सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मेरा तो यही निवेदन है कि सदन के माननीय सदस्य इसके लिए पूर्णतया कॉम्पीटेन्ट हैं और जिस समय धारा वार इस पर बहस करेंगे उस समय मैं खास तौर से राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार की भूमि सुधार की उनकी नीति रही है, आपने जो भूमि सुधार के मामलों में देश के अन्दर नाम कमाया है, आप किसानों के हित में यह भूमि सुधार के तरह तरह के कानून बना रहे हैं अगर आपकी ओर से इस रूप में यह विधेयक आता है, जो सबसे बड़ा क्रान्तिकारी कदम राज्य सरकार उठानेवाली है और जिसकी तरफ सारे देशवासियों की नजर है, जिसकी ओर गरीब किसान एक टक देख रहा है उसे कानून में आप इस प्रकार की खामियाँ रख देते हैं तो यह आपके लिए शोभा की बात नहीं है। मैं जब कभी भरतपुर जिले में जाता हूँ वहाँ के किसान मुझे पूछते हैं कि आपका सीलिंग का कानून आ रहा है ? हमें भूमि कब मिलेगी ? मैं उनसे यही कहता हूं कि यह सीलिंग का मामला जरूर होगा लेकिन इस रूप में जब इस बिल को देखता हूँ तो हमारे भरतपुर के रहनेवाले किसानों को कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। आप इसमें इस रूप में विचार न करिये कि कुछ लोगों को इससे सुख सुविधा में कमी आनेवाली है। वे एम.पी. और एम. एल.ए. नहीं बन पायेंगे। हमारे प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू कहा करते हैं कि मैं जब एक किसान की हालत देखता हूँ उसके पास रहने के लिए झोंपड़ी है तो मुझे बड़ा दुःख होता है। मैं चाहता हूँ कि उनके पक्के मकान

Page No.37

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हां। मेरा तो यह निवेदन है कि यह पक्के मकान की बात तो पीछे आनेवाली है आज तो किसान भर पेट रोटी नहीं पाता। वह रोटी चाहता है, तन ढांकने को कपड़ा चाहता है, कला संस्कृत और साहित्य तो उसके लिए अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो उसकी बेअर नेसेसिटी की बात है। प्रारम्भिक जो उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की बात है और उसी के लिए यह बिल लाया गया है। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण की जाय, यह आज आवश्यक है।

इसके साथ २ मैं यह भी चाहता हूँ हर चीज की सीमा निर्धारण होनी चाहिये। लेकिन भूमि प्राकृतिक देन है। कोयले की खान है उस की सीमा निर्धारण हो सकती है। पत्थर की खान की सीमा निर्धारित होनी चाहिये और इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, यह मैं मानता हूँ। इन पर व्यक्तिगत अधिकार न रह कर यह राष्ट्र की सम्पत्ति होनी चाहिये। कुछ सदस्य यह भी कहते हैं वकीलों के लिए सीमा निर्धारित क्यों नहीं करते? वकालात यह एक व्यक्तिगत पेशा है। इस व्यक्तिगत पेशे पर सीमा निर्धारण हो नहीं सकती। यह जरूर हो सकता है कि जहाँ १० वकील कार्य करते हैं वहाँ ११ भी हो सकते हैं। यदि कोई यह कहे कि ग्यारहवाँ वकील नहीं हो सकता तो इस प्रकार की सीमा का सवाल आता है। लेकिन ऐसी कहीं बन्दिश नहीं है। १० की जगह १०० भी वकील हो सकते हैं और वे अपनी योग्यतानुसार कमा सकते हैं। इस दृष्टि से कि हमारे देश के ज्यादातर लोगों का जीवनयापन कृषि पर निर्भर करता है और मजदूर इसके सिवाय और काम भी नहीं कर सकते। बेशक मजदूर किसानों को ब्यावर, पाली, किशनगढ़, अहमदाबाद और बम्बई के मिलों में मजदूरी करने के लिए आप भेज सकते हैं लेकिन जिस प्रकार बिड़ला, डालमियाँ आदि उद्योगपति बड़े बड़े उद्योग खोल कर शहरों में बैठ सकते हैं उसी प्रकार हमारा किसान मजदूर जौहरी बाजार में बैठ कर दूकान नहीं लगा सकता। वह शहरों में उद्योग धन्धे चला नहीं सकता। जो कुछ भी छोटे उद्योग धन्धे वह कर सकता है तो वह गाँव में कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि हम किसान मजदूर को उसके गाँव में ही रहने की सुविधा प्रदान करें और यह तभी हो सकेगा जब कि भूमि का वितरण वहाँ के हालात को देख कर किया जाय। कम भूमि में भी ज्यादा उत्पादन हो सकता है। ज्यादा भूमि में ज्यादा उत्पादन होता है, यह सही नहीं है। कम भूमि में भी ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है, इनटेन्सिव कल्टीवेशन से वह हो सकता है। हमारे इलाके के लोग २०, ३० बीघा की बात नहीं करते वे तो केवल १० बीघा ही भूमि चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें इतनी ही भूमि मिल जाय तो हम इसमें सन्तुष्ट हैं क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े फार्म देखे नहीं हैं। विधान सभा में बैठ कर हम कानून पास कर लेते हैं। हमें गाँव के किसान की चिन्ता नहीं। कनाड़ा, होलेन्ड, आस्ट्रेलिया में जहाँ भूमि अपरिमित है और आबादी कम है वहाँ की दृष्टि से हम यहाँ पर भी सोचते हैं। हमें यह देखना है कि जितनी आबादी है उस अनुपात से हमें देखना है कि जितनी जमीन है वह किस किस्म की है और हम उसे किस प्रकार और कितनी कितनी बांट सकते हैं। इधर हमने कर दिया है कि ३० एकड़ उसको हम घटा भी देते हैं तो उन लोगों को किसी प्रकार का नुकसान होनेवाला नहीं,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

क्योंकि उन लोगों ने तो अपना काफी इन्तजाम कर लिया है।

हमें देखना यह है कि देश के अधिकांश लोगों का भरण पोषण किस प्रकार हो सकता है। उसमें हमें थोड़े से लोगों की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की एक रीति नीति है और यह आरंभ से रही है कि हम हमारे यहां के किसान को खुशहाल बनायें। आज का समय कांग्रेसियों की परीक्षा का समय है। महात्मा गांधी के जमाने में भी जब आन्दोलन प्रारम्भ हुआ करते थे उनमें भी कांग्रेसियों की परीक्षा हुआ करती थी। उनमें होता यह था कि जो कच्चे कांग्रेसी होते थे वे या तो पक्के बन जाया करते थे या कांग्रेस से अलग हो जाते थे। आज भी मैं समझता हूँ यह कांग्रेसियों की परीक्षा का समय है। हम किसानों का कितना अधिक से अधिक हित कर सकते हैं यह हमें करना है। जिन लोगों ने कांग्रेस की हिमायत की है उन किसानों का हम कितना हित कर सकते हैं इस कानून द्वारा ? मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान का हित चाहनेवाले माननीय सदस्य चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों वे सब आपके साथ हैं, आपके हृदय में किसानों के प्रति प्रेम है, उनका हित है तो आप कुछ लोगों को पीछे छोड़ दें जिनके पास पहले से नहीं सुख सुविधायें काफी हैं उनका ख्याल न रखते हुए "सर्वे सुखिन: भवन्तु" इसके अनुसार कार्य करें। हमारा ध्येय अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाने का हो चाहे उसमें थोड़े से लोगों को कुछ हानि भी हो जाय। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस सलेक्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आप स्वीकार करेंगे। आज किसान वर्ग पपीहे की तरह प्यासा आपकी तरफ निगाह उठा कर देख रहा है। आप उसको राहत पहूँचाईये। इसी आशा के साथ मैं फिर राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को इस रूप में लायें ताकि अधिक से अधिक जनता को फायदा हो और आशा करता हूँ ऐसा ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री पी० के चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से सीलिंग पर बहस सुन रहा हूँ। इस बहस पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करूं उससे पहले... ..

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूँ कि यह वाद-विवाद ३.३० म. प. बजे समाप्त करने जा रहे हैं। अत: माननीय सदस्यों से मैं आशा करूंगा कि दूसरे माननीय सदस्यों को अवसर देने के लिए अपने भाषण को संक्षेप में देंगे तो अत्युत्तम होगा ताकि दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिल जाय।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : इससे अच्छा तो यह होगा कि जो माननीय सदस्य ज्यादा समय बोलने के लिए लेते हैं उनको बाद में समय दिया जाय और जो पांच, पांच मिनट में कहना चाहें उनको पहले बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह आशा क्यों करते हैं कि ये ज्यादा समय ही लेंगे ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस बिल पर जो जो भाषण हुए उनमें तीन तरह के व्यूज हमारे सामने आये। एक व्यू तो ऐसा है जो

Page No.39

(श्री पी० के० चौधरी)

सीलिंग के बिल्कुल खिलाफ है। वे सीलिंग को कतई नहीं चाहते जिनके स्पोक्समैन हैं प्रजा प्रोग्रेसिव पार्टी।

दूसरा व्यू इस तरह का है सीलिंग तो चाहते हैं लेकिन उसके अन्दर कुछ क्लासिफिकेशन चाहते हैं। कुछ लोग तो एक्स्ट्रीमिस्ट हैं They are going to the extremes, जमीन का बिल्कुल बराबर बँटवारा हो जाये। बेलेन्स्ड व्यू बहुत कम लोगों का है।

तीसरे वे हैं जिनको हम शूगर रिफोर्मिस्ट कहते हैं उसमें जनसंघ आता है। वे सीलिंग तो चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े फार्मस के रूप में नहीं।

इस तरह से तीन प्रकार के दृष्टिकोण हमारे सामने आये। यह सीलिंग हम क्यों ला रहे हैं, सीलिंग से क्या नकशा हम राजस्थान का बनाना चाहते हैं? हमें यह समझना है कि हमारा सेन्ट्रल प्रोब्लेम क्या हैं? हमारे सेन्ट्रल प्रोब्लेम दो हैं एक है देश का इकॉनोमिक डवेलपमेन्ट और दूसरा है इसके साथ साथ सोशियल जस्टिस। सेन्ट्रल प्रोब्लेम जो है वह एग्रीकल्चरिस्ट सेक्टर पर एप्लाई करता है और एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो एक्शन लेते हैं वह दो चीजों को सामने रखते हुए लेते हैं। इकॉनोमिक डवेलपमेन्ट के साथ सोशियल जस्टिस, इन दोनों में हम बेलेन्स्ड पॉलिसी को एडोप्ट करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट सेक्टर पर। जब हम बेलेन्स्ड पॉलिसी पर चलना चाहते हैं तो यह देखना है कि हम जो सीलिंग चाहते हैं वह क्या १०,१० बीघा सब को देने की पॉलिसी को एडोप्ट करना चाहिये या इससे बड़े टुकड़े को। हिन्दुस्तान की लैन्ड पॉलिसी को जिसको सब पार्टियों ने एडोप्ट किया है वह पॉलिसी-यह थी जिसका पैराग्राफ है प्लानिंग कमीशन की रिपोर्टों में वह मैं सुनाना चाहता हूं:—

"In setting out the land policy for the period of first plan, while a proper emphesis was placed at Social Justice, it was pointed out that increased agricultural production represented the highest priority in planning over the next few years, and that agricultural economy had to be diversified and brought to much higher level of efficiency. These considerations are of special importance during the period of Second Five Year Plan."

तो डाईवर्सिफाइड का मतलब यह होता है कि जमीन ईक्वली डिस्ट्रीब्यूट भले ही न हो पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो कि वह एक इकॉनोमिक होल्डिंग कम से कम रहे। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग डिस्पेरिटी है उस का हम खात्मा कर देंगे। तो इन दो चीजों को सामने रखते हुए हमें इस विधेयक को एग्जामिन करना है।

हम यह नहीं चाहते कि राजस्थान में जो ५ करोड़ एकड़ जमीन है उसको हम २ २ एकड़ सब को बाँट दें बराबर बराबर और यह भी नहीं चाहते कि एक को २ भी न मिले और दूसरे के पास ४००, ५००, १,००० एकड़ छोड़ी जावे। हम इस तरह से बाँटना चाहते हैं कि बराबर भी बँट जावे और इकॉनोमिक होल्डिंग भी बनी रहे।

कई सदस्यों ने यह भी कहा कि लैण्ड के प्रैशर को सोल्व करने का सुझाव नहीं है। उनका सुझाव है कि लैंड है इसलिए दे दीजिए। पर हमने नागपुर रेजोल्यूशन

Page No.40

(श्री पी० के चौधरी)

में अपनी पॉलिसी स्पष्ट की है। वह पॉलिसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, एग्रेरियन स्ट्रक्चर को रिआर्गेनाइजेशन करने की पॉलिसी को हमने एक्सेप्ट किया है और वह यों है कि हम जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बाँटना नहीं पर जो टुकड़े टुकड़े हैं उनको को-ऑपरेटिव के जरिये से इकट्ठा करके एक एग्रीकल्चरिस्ट प्रोडेक्टिव इन्टेन्सिव कल्टीवेशन करना चाहते हैं। आज सब को मालूम है कि २, ५ एकड़ पर इन्टेन्सिव फार्मिंग नहीं हो सकती। साथ साथ में हमारे जो को-ऑपरेटिव फार्मिंग हैं उनमें भी हम सक्सेसफुल तभी होंगे जब होल्डिंग में डेस्पेरिटी न हो। किसी के पास ५ एकड़ है और किसी के पास २० है तो वह नहीं चल सकता।

वही को-ऑपरेटिव सक्सेसफुल चल सकती है जिसके शेयर होल्डर की होल्डिंग करीब करीब सेम सेम हो यानि हरेक मेम्बर के पास १०, १२ या १५ भी हो। ४, ५ तक का भी व्यवधान हो तो वह चल सकती है। पर किसी सोसाइटी में एक सदस्य के पास ५ एकड़ ही हो और दूसरे के पास ३० हो तो वहाँ कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसका एग्जाम्पल देखा गया है। आज तक को-ऑपरेटिव फार्मिंग में यह देखा गया है कि जहाँ डेस्पेरिटी ऑफ होल्डिंग मेम्बरों में रहती है तभी जाकर वह फेल होती है और यह देखा गया है कि हमारे हिन्दुस्तान में भी जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, विस्थापित रिफ्यूजी लोग आये थे उनका जहाँ जहाँ को-ऑपरेटिव फार्मिंग बनाया गया वहाँ चूंकि उनमें जमीन का इक्वली बंटवारा हुआ था इसलिए वे सभी जगह काफी सक्सेसफुल रही हैं। इसी तरह इजराईल में, पेलस्टाइन में देखा गया है। उनकी को-ऑपरेटिवों के पास हर मेम्बर को बराबर जमीन रहती थी और बराबर रहने की वजह से कोई राईवलरी की फीलिंग नहीं रहती थी कि एक यह फील करे कि हम तो दोनों बराबर काम करते हैं पर एक की ओनरशिप ज्यादा होने से ज्यादा फायदा ले जाता है और हमें कम मिलता है। इसलिए उनमें काम नहीं करने की भावना पैदा हो जाती है और इसलिए वे फेल हो जाते हैं। पर जहाँ यह नहीं है वहाँ सफल रही है। तो आगे जाकर हिन्दुस्तान में को-ऑपरेटिव फार्मिंग एडोप्ट करने जा रहे हैं और इससे हमारा जो ध्येय है किसान को ऊँचा उठाना उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें सीलिंग से यह तय करना चाहते हैं कि सोलेली जो एग्रीकल्चर पर डिपेन्ड करते हैं उनको आज की परिस्थिति को देखते हुए हम ३,६००) रु० सालाना की ईन्कम दे सकें। इससे ज्यादा आज की स्थिति को देखते हुए नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ यह ईन्कम ठीक है आज के लिए ही नहीं पर आनेवाले १० १५ सालों को देखते हुए भी यह ठीक है। आज हमारी नेशनल पर-केपिटा ईन्कम ३५० रुपया है और इसको देखते हुए यह ३,६००) रु० की ईन्कम आईडियल ईन्कम है। अगले १०,१५ और २० सालों के लिए भी आईडियल रहेगी, मैं यह भी कह सकता हूँ। इससे ज्यादा ईन्कम की किसी एग्रीकल्चरिस्ट के लिए या एवरेज आदमी के लिए कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो मानता हूँ कि ३,६००) रु० का लेवल लाने के लिए १५,२० साल चाहियेंगे। जो आर्गुमेन्ट देते हैं कि इतनी सी ईन्कम से गरीब बना रहेगा, वह इस लेजिस्लेचर में नहीं आ सकेगा पर...

Page No.41

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह नैट इन्कम है या ग्रोस इन्कम ?

श्री पी. के. चौधरी : Whatever it comes to, whether cross or net, but it is expected that it will be the netincome. मैं तो मिसाल के तौर पर कह रहा था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : विधान सभा में नहीं जा सकता बल्कि जिसके पास जमीन नहीं है वह पंचायत में भी नहीं जा सकता।

श्री पी. के. चौधरी : पी. एस. पी. यह चाहती है कि हरेक को एक एक टुकड़ा बाँट दिया जावे चाहे उससे उसका पेट भरे या नहीं, वह इकॉनोमिक होल्डिंग रहे या नहीं। उनका ख्याल यह है। हम क्या चाहते हैं : "Agricultural Economy had to be diversified and brought to much higher level of efficiency. These considerations are of special importance during the period of Second and Five Year Plan..."

यह हमारा ध्येय है। एग्रीकल्चरल प्रोडेक्टस में हम हायर लेवल ऑफ एफी-शियेन्सी लाना चाहते हैं और यह एफीसियेन्सी ऑप्टिमम साइज में ही लाई जा सकती है। किसी भी इन्डस्ट्री को आप ले लीजिये। चाहे टैक्सटाइल इन्डस्ट्री को लीजिये, चाहे स्टील इन्डस्ट्री को, कोई भी इन्डस्ट्री ले लीजिये उसका एक ऑप्टिमम साइज होता है अन्डर वन मेनेजमेन्ट। Particular industry of a particular size can get the best result.

इससे आप कम या ज्यादा करेंगे तो एफीसियेन्सी को डिटिरियोरेट करेंगे। तो एग्रीकल्चर की भी ऑप्टिमम होल्डिंग हम रखना चाहते हैं और आज की स्थिति में ३० एकड़ न अधिक है न कम। It is just our experiment. यह हमारा इस दिशा में पहला कदम है। अब ३० एकड़ ही क्यों होना चाहिये, इसके सम्बन्ध में आगे बाद में कहूँगा। पर हमने ३० ऑप्टिमम रखा है और मैं मानता हूँ कि ३० जो ऑप्टिमम साइज हमने रखी है उससे जो इन्कम होगी वह मेरे ख्याल से आज ही के लिए नहीं पर आगामी २० साल, १५ साल तक के लिए एक आई-डियल इन्कम होगी पर आवर सिटिजन।

बाकी के जो लोग हैं। जैसे हमने को-ऑ-परेटिव सोसाइटी का स्लोगन दिया है तो इसका यह मतलब नहीं कि फेमिली में ५ मेम्बर हैं तो वे पाँचों उसमें काम करेंगे। नहीं ? को-ऑपरेटिव फार्मिंग लाने का मुख्य उद्देश्य है आज जो सरप्लस मैन पावर डिस-गाईज्ड है, अनएम्प्लॉईड है, घाटे में है उसकी स्थिति सुधरे। आज क्या होता है एक फेमिली में ५ मेम्बर हैं और उसके पास ५ बीघा जमीन कुल है तो आज पाँचों मेम्बर उसी ५ बीघा में काम करते रहते हैं जबकि पाँचों की उसमें जरूरत नहीं होती, २ आदमी काफी होते हैं। तो इस तरह ३ आदमियों की लेबर जो वेस्ट जाती है और बाकी आदमियों की भी लेबर आवे सीजन में आईडल रहती है उसको काम में लिया जावे। लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग के जरिये से ऐसी एक फेमिली में से दो आदमी तो फार्म पर काम करेंगे और बाकी के तीन आदमियों को रिलीज़ करेंगे इन्डस्ट्री के लिए। क्योंकि किसी

(श्री पी० के० चौधरी)

भी देश का विकास केवल एग्रीकल्चर से नहीं हो सकता। अगर हमारा देश सिर्फ एग्रीकल्चर के उपर डिपेन्ड करता है तो जैसे हम आज गरीब हैं ऐसे ही गरीब १० साल बाद, २० साल बाद और ३० साल बाद भी रहेंगे। जैसा कल जनसंघ के माननीय लीडर साहब ने कहा और उन्होंने एक दलील दी थी कि अमेरिका के अन्दर कितनी एकड़ जमीन एक आदमी के पास है और वह इसीलिए ही है कि पहले तो ८५ परसेंट पोपुलेशन अमेरिका की एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेण्ड करती थी और आज वहाँ पर १३ परसेंट ऐसी पोपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेण्ड करती है। लेकिन उनका जो आर्गुमेंट था वह यह बताता है कि अमेरिका के अन्दर आज डवेलपमेंट सिर्फ इसलिए हुआ है कि वहाँ पर लैण्ड के ऊपर से प्रेशर उठ गया। जब किसी कन्ट्री का एम्फेसिस एग्रीकल्चर से इन्डस्ट्री की तरफ जाता है तब ही कन्ट्री का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। क्योंकि it is an industry of diminishing returns. चाहे टैक्सटाईल इन्डस्ट्री हो, चाहे स्टील की इन्डस्ट्री हो उसमें केपीटल इन्वेस्ट करने से हमारा रिटर्न बढ़ता जाता है यानि उसकी प्रोडेक्टिव केपेसिटी बढ़ती जाती है और जो लैण्ड है वह एक ऐसी इन्डस्ट्री है कि उसका जितना ज्यादा यूज करते हैं उतना ही उसका डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है, वह कम होता है। यानि एग्रीकल्चर का इन्डस्ट्री डिमिनिशिंग रिटर्न का है बाकी और जो दूसरी इन्डस्ट्री है वह बहुत रिटर्न देती है। लेकिन एग्रीकल्चर के अन्दर हम चाहे कितनी भी फोर्स इन्टेन्सिफाई करें उससे फायदा होनेवाला नहीं है। इसलिए जो आपका ख्याल है कि जमीन जब तक सब को नहीं देंगे तब तक मसला हल होनेवाला नहीं है यह आपका ख्याल गलत है। जमीन हम सब को नहीं दे सकते। हम यह नहीं चाहते कि किसी प्रकार की डिस्पेरिटि रहे और एक आदमी के पास तो ६०० बीघा जमीन हो और एक के पास एक बीघा भी न हो और इसलिए यह सीलिंग का बिल हमें आज यहाँ लाना पड़ा। डिस्पेरिटी को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमने एक आइडियल रखा है कि हम मैक्सीमम इतनी चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यह जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का क्राइटेरिया रखा है वह ठीक ही रखा है। अब उसकी डेफिनेशन में हम जब जायेंगे तब देखेंगे कि ऐक्चुएली कितना आता है।

इसके बाद में एक पी० पी० के नेता ने आर्ग्युमेन्ट रखा है और वह बड़े ही एपेलेजेटिक वे में रखा है कि राजस्थान के अन्दर जमीन काफी है इसलिए सीलिंग की ज़रूरत नहीं है। जनसंघ के भी माननीय नेता ने आर्ग्युमेंट रखा है। उन्होंने यह रखा है कि हम सीलिंग जरूर चाहते हैं पर उन्होंने कहा है कि हम एक स्टेन्डर्ड एकड़ उतने का चाहते हैं कि जिससे एक किसान की नेट-इन्कम २०० रुपये हो यानि ग्रॉस ४०० हो। मतलब जिसमें करीब ३०-३५ मन गेहूं पैदा हो जितने एरिया में the area producing 30 to 35 maunds of wheat आज आम तौर पर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि एक एकड़ में २ मन या १।।। मन से ज्यादा गेहूँ नहीं मिलता है तो इस हिसाब से ....

ठाकुर श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़): आपका अनुभव वास्तव में बहुत है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): आपसे बेटर है।

Page No.43

श्री मदनसिंह : मैं हमेशा जागीरदारों और जमींदारों में रहा हूँ। केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा।

श्री श्रीभानसिंह : आपने कहा है कि जागीरदारों और जमीदारों के बीच में रहा हूँ So you have been wavering always.

श्री पी० के० चौधरी : तो २०० रुपये नेट इन्कम के लगायें तो a standard acre will be an area which will comprise atleast 10 to 15 ordinary acres. एक स्टेन्डर्ड एकड़ हमारे माननीय जनसंघ के नेता और उनके साथी श्री दयाकृष्ण विजय ने २०० के एकड़ की डेफिनेशन दी। तो इस तरह से एक एकड़ का आता है १० से १५ ऑर्डिनेरी एकड़। अब ३० एकड़ तक ३००-५०० एकड़ और उसके बाद में आपने कहा कि हम एग्ज़म्पशन के खिलाफ हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब आपका एक स्टेन्डर्ड एकड़ १५ ऑर्डिनेरी एकड़ के बराबर हो जाता है तो आप एग्ज़म्पशन कैसे रखेंगे? आप सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में देखें १००० से ज्यादा की होल्डिंग ५०० के करीब होंगी और ५०० एकड़ से ऊपर की होल्डिंग सिर्फ १,५०० हैं तो मैं कहता हूं कि उनका जो डेफिनेशन लगा वह लगने के बाद में एग्ज़म्पशन की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत जोरों से एग्जम्पशन का आपने विरोध किया। इस तरह से आप यह बताते थे कि मोरेली चाहे पी० पी० पी० का लीडर हो, चाहे जनसंघ का हो सीलिंग की जो नेसेसिटी है वे उसको डिनाई नहीं करते। जनसंघवाले मंजूर करते हैं लेकिन उनको जमीन ज्यादा चाहिए और पी० पी० पी० वाले यह कहते हैं कि जमीन काफी है इसलिए सीलिंग की जरूरत नहीं है Morally they don't deny that there is need of ceiling इस बात को कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सीलिंग जरूरी है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को डवेलप करना है तो सीलिंग होना जरूरी है। इस बात को सब मंजूर करते हैं।

इसके बाद में सीलिंग के खिलाफ जनसंघ के माननीय नेता ने यह कहा था कि प्लानिंग कमीशन का चैप्टर ९ का जो ३७ पैराग्राफ सेकिण्ड फाईव ईयर प्लान का है उसमें कहा गया है कि सीलिंग की जरूरत नहीं है। जब मैंने यह ३७ पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें लिखा है:—

"It is proposed that during the Second Five Year Plan steps should be taken in each State to impose ceiling on existing agricultural holdings. The ceiling would apply to all land including land............held under personal cultivation, tenants being enabled to acquire rights of ownership on lines indicated earlier." उन्होंने सीलिंग के खिलाफ दलील देने के लिए जनसंघ के माननीय नेता ने यह कहा था कि सेकिण्ड फाईव ईयर प्लान का चेप्टर ९ के ३७ पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जिस स्टेट में जमीन वेस्ट ज्यादा है वहां सीलिंग की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको पैराग्राफ ३७ पढ़ कर सुनाया है उसमें बराबर उन्होंने कहा है। जनसंघ के माननीय नेता ने गलत फरमाया है कि सेकिण्ड फाईव ईयर प्लान के मुताबिक सीलिंग की जरूरत नहीं है।

अब मैं बिल के प्रोविजन्स के ऊपर आता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बिल के

Page No.44

(श्री पी०के० चौधरी)

अन्दर जो सब-क्लॉज ३० (सी) है मैं समझता हूं कि ३० (सी) जनसंघ के माननीय नेता को ज़्यादा सूट करता है। एक स्टेन्डर्ड एकड़ रखने के बाद में उसमें एक्चुअली कितना एरिया होगा, वह १० मन का रखा है। अब उसका प्रेक्टीकल एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि एक तहसील का एरिया फिक्स कर दें। स्टेन्डर्ड एकड़ कितने ऑर्डिनेरी एकड़ का होगा वह तय कर दें तो इनजस्टिस हो सकता है। क्योंकि जमीन की क्वालिटी में डिफरेन्स है। मैं मानता हूँ डिफरेन्स है और एक ही होल्डर के पास जमीन है उसमें भी डिफरेन्सेज हैं। तो हम तहसील के लिए यह फिक्स कर देंगे और स्टेन्डर्ड एकड़ को ही ऑर्डिनेरी एकड़ तय कर देंगे तो लोगों के साथ अन्याय हो सकता है। यह या जो फिक्स किया है वह न तो आप इम्पलीमेन्ट कर पायेंगे और सारा जो कानून आपका है वह इनवेलिड हो जायेगा। आपने क्लॉज ३० (ई) में कहा है कि एक आदमी को अपनी जमीन को सरप्लस लैण्ड डिक्लेयर करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अपनी लैण्ड को सरप्लस तो जब ही डिक्लेयर करूंगा जब आप क्लासिफाई कर देंगे। आप कहेंगे कि स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से बेसिस २०० एकड़ का होता है यानि २, ३, ४, ५ जैसी प्रोडेक्टीविटी होगी वैसा रखेंगे। जब तक आप क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक मैं अपनी लैण्ड को किसी भी हालत में सरप्लस डिक्लेयर नहीं करूंगा। मुझे कुछ मित्रों ने कहा कि माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि पटवारी सर्किल का क्लासिफिकेशन कर देगा कि फलां जगह का स्टेन्डर्ड एकड़ इतने ऑर्डिनेरी एकड़ का होगा। लेकिन आप का पटवारी सर्किल का करेगा तो मैं कोर्ट में जाकर चेलेन्ज करूंगा। आपका जो एक्ट है उसमें कहा जाता है, उसमें इन्डीविजुअल होल्डर्स का है उसमें लिखा है Every holder will have laud equal to 30 standard acres and one standard acre will be equal to that much area of land which will yield 10 maunds of wheat.

अब जो एरिया है उसको पटवार सर्किल के हिसाब से नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह फील्ड टू फील्ड वेरी करता है। इसलिए किसी स्टेन्डर्ड तरीके की यार्ड स्टिक लेन्डाउन कर नहीं सकते हैं कि फलां जयपुर तहसील है उसके उस एरिया में रेशो क्या रहेगा। आपका जो स्टेन्डर्ड एकड़ है वह मेरे ख्याल से कोई कन्सेप्चुअल मेजर ऑफ फिक्सिटी नहीं है There is an ordinary acre. It differs from man to man.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : साल के साल बदलता है।

श्री पी०के०चौधरी : साल के साल नहीं बदलता है। एक दफा फिक्स्ड हो जाता है तो। यह आपका गलत इन्टरप्रिटेशन है It is fixed once for all. लेकिन यह एक तरह का स्टेन्डर्ड का कन्सेप्चुअल आइडिया है। जिसका कोई एक्जिस्टेन्स रियेलिटी में नहीं है। इससे तो जो पुराना ओरीजनल बिल में था वह एक ढांचा तो देता था कि जयपुर तहसील में ७५ एकड़ का ३० स्टेन्डर्ड एकड़ बनता है और जैसलमेर में १५० एकड़

(श्री पी० के० चौधरी)

के ३० स्टेन्डर्ड एकड़ बनते हैं । वह कुछ फिजीकल आईडिया देता था । लेकिन अब तो आप एक कन्सेपशल आईडिया दे रहे हैं । It varies from man to man. आपने परिवार से परिवार में वेरी करेगा, यह कहा । लेकिन मैं कहता हूँ कि वह मेन टू मेन वेरी करेगा । यह एक नया नुस्खा पेश किया है । तो इससे बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा । यह कानूनी जामा नहीं ले सकेगा जब तक कि आप एवरी होल्डिंग का एसेसमेन्ट नहीं कर लेंगे और वह चेलेन्ज करेंगे । क्रोप कटिंग के एक्सपेरीमेंन्ट होंगे तब जाकर यह इम्प्लीमेंट हो सकता है । इसलिए मैं समझता हूँ कि यह कल जो माननीय मंत्री महोदय की एक माननीय मित्र ने तारीफ की थी कि माननीय मंत्री महोदय ने बहुत सोच समझ कर यह फॉर्मूला रखा है, पता नहीं किसने यह फॉर्मूला दिया । लेकिन मैं कहता हूँ कि जिनके पास से यह फॉर्मुला आया है Either that man must be a fool or a knave. दोनों में से कोई चीज होनी चाहिए none of the fool may give that formula यह सारा कानून इससे इनवेलिड हो जाता है । इस १० मन के एरिया से जयपुर में ४५० बीघा जमीन आयेगी होल्डिंग में । अब दूसरे एरियाज हैं उनमें और ज्यादा आयेगी तो इस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग का नेगेशन हो जाता है इस स्टेन्डर्ड एकड़ से । और दूसरी बात मान लें कि नेगेशन नहीं है लेकिन यह जो कम्पलीकेशन रखा है वह बिल्कुल कन्सेप्चुअल रख दिया है । उसका स्केल क्या होना चाहिए, वह डिपेन्ड करेगा एक्जीक्यूशन के ऊपर । आपका पटवारी रिपोर्ट देगा, क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट देगा, उस पर आप करेंगे । You are giving the discretion to a lowest man in the service run.

तो कितना करप्शन हो सकता है, कितना डिस्क्रीमिनेशन हो सकता है इसका कोई there is no end to it. इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अगर ३० एकड़ का ढाँचा है वह बिल्कुल बदलता है तो मैं प्रिफर करता हूँ कि जो ओरीजिनल बिल में पोजीशन थी वह तो मोर अन्डरस्टेन्डेबल है जिसको एक आदमी सीधे से समझ पा सकता था । इस बिल के पास होने के बाद कोई भी किसान यह समझ सकता था कि उसके पास कितनी जमीन रहगी और कितनी जायेगी । That was more understandable. आपने जब पहले बिल इन्ट्रोड्यूस किया तो उसमें यह रखा था कि फलाँ तहसील से ५० एकड़ रहेगी, किसी में ६० एकड़ रहेगी । और कहीं पर ४० एकड़ रहेगी । उसको everybody will be able to say atleast was knowing. उसकी जानकारी में था कि उसके पास कितनी रहेगी ।

दूसरी बात इससे यह है कि अनसर्टेन्टी आयेगी एग्रीकल्चर के अन्दर । क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि स्टेन्डर्ड एकड़ क्या है । इससे एक तरह से एग्रीकल्चर की जो प्रोडेक्टिविटी है उसमें स्लेकनेस आयेगी । लोगों में इन डिसीज़न आयेगा । अनसर्टेन्टी जब प्रोड्यूसर के दिमाग में आ जाती है तो प्रोडेक्शन हमेशा सफर करता है । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ वह प्रिफर करूंगा और मिनिस्टर इन्चार्ज स्वयं इसमें एमेंडमेंट लायेंगे और जो कन्सेपशनल ड्यूटी यहाँ पर लाई गई है उसको बदल कर हार्ड रियेलिटी जिसको टच करती है इफेक्टिवल ऐसी चीज रखें ।

Page No.46

श्री उपाध्यक्ष : What is your suggestion ?

श्री पी. के. चौधरी : I would prefer the original Bill It is somewhere 40 acres and in some places it in 30 or somewhere 75 Barani......

श्री भीमसेन : यह केलक्यूलेशन कैसे कर सकते हैं ? How do you reach calculation, and what is the basis for calculating the area ?

श्री पी. के. चौधरी : बाद में मैं यह सुझाऊँगा कि You are going to meet out perfect justice to everybody. कभी भी पब्लिक के लिए कोई पॉलिसी एडोप्ट करते हैं there will be perfect justice and there will be no distinction be tween man and man. वह नहीं हो सकेगा जनरल अगर कानून पास करेंगे Some people may be benefitted. लेकिन हम देखकर करते है । हो सकता है कि किसी तहसील में लैण्ड को क्लासिफाई कर दिया कि ६५ एकड़ के ऊपर होल्डिंग किसी आदमी के पास नहीं होगी तो पर्टीक्यूलरली किसी आदमी को फायदा हो जाय यह बात दूसरी है, लेकिन कम से कम सर्टेन्टी तो रहेगी और इम्प्ली-मेन्टेशन में प्रेक्टिकेबिलिटी रहेगी। इसको इम्प्लीमेंट करना इट इज इम्प्रेक्टिकेबल । यह दूसरा शारदा एक्ट बन गया है जिसका कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा । कानून पास करते हैं, कोई कायदा बनाते हैं तो यह जरूरी है कि उसका इम्प्लीमेन्टेशन हो और वह इजियर हो । It is easy to imple ment and check. बराबर चेकिंग हो सकता है या नहीं, यह देखना पड़ेगा । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यह जो पिक्चर आपने कन्सेपशनल ब्यूटी रखी है, इसको बदलकर...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य का क्या सुझाव है ? आप एक तरफ तो कहते हैं कि ३० स्टेन्डर्ड नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ कोई फॉर्मुला नहीं बताते हैं ।

श्री पी. के. चौधरी : फॉर्मुला यह है कि

श्री दामोदरलाल व्यास : You say you prefer the original formula but that is also based on different basis al together. You say 30 acres should be retained. Then what is the definition of that...

श्री पी. के. चौधरी : Definition I am giving. डेफिनेशन यह होगा कि ३० इर्रीगेटेड एकड़ है सपोज़ । आप मानलें कि उसमें ५ बाटरिंग देते हैं या ४ या ३ देते हैं तो किसी को भी स्टेन्डर्ड मान लें यह ३० एकड़ होंगे । When 30 acres will be standard. उसका प्रोडयूस होगा... उसको मानेंगे । मेग्जीमम प्रोडयूस उसका जो होगा जो कि तहसीलदार की रिपोर्ट है उसमें he will classify the land on tehsil not on individual holdings. इसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन होगा वह इन्डिविज्युअल होल्डिंग पर आता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not necessary. That formula which you are giving that will also require calculation otherwise this I have

Page No.47

(श्री दामोदरलाल व्यास)

got and this formula is on tehsil basis.

श्री पी. के. चौधरी : It will be Challenged.

श्री दामोदरलाल व्यास : I can tell you it is not a new formula. It has been taken up by the Rehabilitation Department, and we can say which land can produce how much. I think you are not aware that all the evacuee land in Rajasthan has been calculated on this. We can see much wheat is produced because the Rehabilitation Deptt. has in fact calculated this formula and has got the determination of the value of the land. It is not altogether a new formula. That is practiced. That has been practicable and I am in a position to tell you from district to district the quality and quantity and this particulers of land which is based on this formula.

श्री पी. के. चौधरी : You have classified. आपने जो क्लासिफिकेशन किया है वह रेवेन्यू केलकुलेशन के लिये किया है। लोगों ने उसे चेलेन्ज नहीं किया है कोर्ट में। The State has got a right to impose......

श्री दामोदरलाल व्यास : You are not correct. It is not for revenue assessment it is for evaluating the land in order to determine the price of land and for production...

श्री पी. के. चौधरी : पता नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है लेकिन मैं मानता हूँ

१. ११ म० प०

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

यह जो क्लासिफिकेशन का तरीका है उसमें एवरी होल्डर वाली चीज होती। आपने प्राईस तय की है कम्पेन्सेशन के लिए। जागीरदारों को कम्पेन्सेशन देने के लिए किया है या किसी और वजह से किया है लेकिन यहां पर करेंगे Every holder will challenge it. जब जाकर हरेक इन्डिविज्युअल इफेक्टेड होगा Every individual will be concerned. उसके वर्डिंग्ज इसी प्रकार के हैं। जनरल क्लासिफिकेशन नहीं चलेगा इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ओरिजिनेली आपने जो शिड्यूल दिया है उसी प्रकार का शिड्यूल दे दिया जाय। It will be challenged in the Court of law. One irrigated acre will be equal to 3 ordinary acres and on that basis you give the schedule. जैसा कि आपने ओरिजिनल बिल में शिड्यूल दिया था उसी तरह आप दे दीजिए This House will pass this after date.........

श्री दामोदरलाल व्यास : What is the basis for that schedule? You can convince that there is some scientific basis and if so, I will request the House to adopt that.

श्री पी. के. चौधरी : जैसा मैंने कहा equataible just from man to man मिल नहीं सकती। कल आपने कहा था कि जो साइन्टिफिक एण्ड इक्विटेबल है। man to man......

श्री दामोदरलाल व्यास : I have never said that. I said that the Ceiling

Page No.48

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Committee has taken this formula. I have never said that there is no other alternative. This is a formula which the Ceiling Committee has adopted.

श्री पी० के० चौधरी : इस फॉर्मुले का सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हमारा यह है कि इससे अनुसार क्लासिफिकेशन करने का काम एग्जीक्यूटिव पर छोड़ा गया है। आज हम चाहते हैं इन्डिविज्युअल जस्टिस वैगी-जस्टिस हो नहीं सकती....

श्री दामोदरलाल व्यास : That formula has also been worked out by the officers. There is no basis to introduce it or reject it.

श्री पी० के० चौधरी : वह जो फॉर्मुला वर्क-आउट किया है वह विदाउट एनि इन्ट्रेस्ट किया है that was worked out by disinterested fashion आज जो वर्क-आउट करेंगे इन्डिविज्युअल होल्डिंग के लिए। आज एक आदमी without any prejudice. वर्क-आउट करते हैं लेकिन साइन्टिफिक एटिट्यूड से और आज जब जाकर वर्क आउट करेंगे this work—out will be precious. That will be impartial. इसलिए आज का जो वर्किंग-आउट होगा वह कभी भी इम्पार्शियल नहीं हो सकता। पहले आपके दिमाग में यह बात नहीं थी कि हम सीलिंग के लिए वर्क-आउट करते हैं और जिन्होंने वर्क आउट किया है उन ऑफिसर्स पर प्रेशर या इन्फलयुएन्स नहीं डाला जा सका। लेकिन यदि कोई आदमी क्लासिफिकेशन करने जायेगा You will have to face all these temptations and defects तो मैं समझता हूँ इसमें सफिशियेन्ट करक्शन की गुंजायश है और जो किया जायेगा वह चैलेन्जेबल होगा इन्डिविज्युअल के लिए.......

श्री दामोदरलाल व्यास : 240 is the basis for that schedule. Any tenant or a party can challenge this. Any tenant shall have right to challenge it. Because production capacity varies from tehsil to tehsil. Anybody can challange, if one holding does not hold this income. You will have to apply to certain places. But don't say that the formula has been given by a fcol or a knave. It's existanceis based......

श्री पी. के. चौधरी : I have said..,. यह फॉर्मुला आप कहाँ से लायेंगे ?

श्री सभापति : दोनों ही चैलेन्जेबल हैं.

श्री पी०के. चौधरी : इसमें आप ले-डाउन करते हैं इन्डिविज्युअल होल्डिंग। हम एक्ट में पास कर देंगे कि इस तहसील का इतना सीलिंग रहेगा उसके बाद वह चैलेन्जेबल नहीं रह जाता है। लेकिन इसकी जो कंडीशन रहती है एक स्टेन्डर्ड एकड़ १० मन का ह गा और बाद में क्लेरिफाई करते हैं कि एक एकड़ स्टेन्डर्ड , इक्विटेबल होता है ५ एकड़ के तब जाकर चैलेन्ज कर सकते हैं लेकिन जब स्टेचुटरी प्रोविजन करते हैं तब वह नॉन चैलेन्जेबल रहेगा। क्लॉज-बाई-क्लॉज डिस्कशन होगा तब इस बारे में और विचार करेंगे।

सभापति महोदय, नाउ वी कम टू क्लॉज ३० (डी) (२) इसमें लिखा है कि लड

Page No.49

(श्री पी. के .चौधरी)

बिल वेस्ट इन तहसीलदार । एक तरफ तो पंचायत समिति बिल हाउस में पेश करने- जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमने नागपुर प्रस्ताव पास किया है जिसके अनुसार लैंड का मेनेजमेन्ट पंचायतें और को-ऑपरेटिव सोसइटीज करेंगी । डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्र- लाईजेशन के अंतर्गत लैंड का मेनेजमेन्ट पंचायतें कर सकती हैं और इस बिल में यह किया है कि सरप्लस लैंड बिल वेस्ट इन तहसीलदार । इसकी क्या जरूरत है ? क्यों नहीं यह काम भी पंचायतों को दिया जाय ? जैसा कि पंचायत समिति बिल ला रहे हैं और नागपुर रिजोल्युशन पास किया है I can read out this resolution....

श्री दामोदरलाल व्यास : I have got it.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : तो इसमें जो तहसीलदार के लिए रखा है उसको मैं उचित नहीं समझता । The Land must vest in Panchayats. पंचायत समिति के जरिये होगा इसलिए पंचायतों के पास यह अधिकार होना चाहिये ।

दूसरी बात सभापति महोदय, वी कम टू क्लॉज ३० (जी) अबाउट कंपेनसेशन । यह भी एक डिस्प्यूटेड पोइन्ट है । कंपेनसे- शन की मार्केट प्राइस रखी है और आज तक किसी स्टेट ने मार्केट प्राइस एट पार नहीं दिया है और यदि किसी ने दिया हो तो ५० परसेन्ट से ज्यादा नहीं दिया होगा गवर्नमेन्ट की तरफ से । यहाँ जो सरप्लस लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो अकोरडिंग टू......

श्री सज्जनसिंह (बूँदी) : मैं मेरे मित्र को यह सूचना देना चाहता हूं कि बॉम्बे में सीलिंग का बिल पेश किया है उसमें १०० टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रखा है ।

श्री पी. के. चौधरी : यह ठीक रहेगा, आप १०० टाइम्स, २०० टाइम्स लैंड रेवेन्यू का रखदें ..

श्री दामोदरलाल व्यास : Is it 100 times of the Land Revenue or 100 times of the rent.

श्री पी. के. चौधरी : १०० टाइम्स लैंड रेवेन्यू कर लीजिये या ५० टाइम्स कर लें That becomes something changeable. आप मार्केट वेल्यू के हिसाब से कम्पेन्सेशन देंगे तो इस लैंड की मार्केट वेल्यू असेस करनी होगी । वह आपकी एक्जीक्यूटिव करेगी It is a very bad thing. उस मार्केट वेल्यू को जो फिक्टेसियस है, एट पार करते हैं, अगर मार्केट वेल्यू ३०० रुपये हुई तो आपको ३०० रुपये करने पड़ेंगे । मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कैसे मार्केट वेल्यू डिसाइड होती है । बम्बई में शहर मार्केट है । यदि किसी बड़े सेठ, बिड़ला, डालमिया को १ लाख के शेअर बेचने हैं तो वह क्या करेगा कि वह किसी आदमी को भेज कर बीड दिलवायेगा । वह आदमी बोली बोलेगा, ऊँची बोली बोलेगा और वह रजिस्टर हो जाती है । वह गवर्नमेंट को भेज देगा । गवर्नमेंट उसे मार्केट रेट मानेगी । उसी तरह यह मार्केट वेल्यू रेज होगी । वह रेज करेगा । मैं कहूँगा कि इतने रुपये देने को तैयार हूँ । जिस जमीन की कीमत १०० रुपये भी नहीं होगी उसकी ४०० रुपये कीमत जाकर पेश कर देगा That will

Page No.50

(श्री पी० के० चौधरी)

establish the market rate for that area of land अब कैसे तय करेंगे ? मार्केट रेट कैसे तय करेंगे...

श्री दामोदरलाल व्यास: I will explain that when I reply.

श्री पी. के. चौधरी: तो मार्केट वेल्यू को डिटर्मिन करना इनएडीकेट रहेगा। उसके बाद यह जस्टिस नहीं है कि एट पार उसका पेमेन्ट करें। क्योंकि मार्केट वेल्यू बढ़ती है। वह इन्डीविजुअल की वजह से नहीं बढ़ती है लेकिन प्रेसर ऑफ लैंड की वजह से बढ़ती है। अगर प्रेसर ऑफ लैंड बढ़ता है तो मार्केट वेल्यू बढ़ती है इसलिए एप्रीसियेशन के एडवान्टेज को किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि २००, ३०० टाइम्स रुपये लगा कर जमीन ली। इसके बाद प्रोविजन है कि आप लैंड अलॉट करेंगे

You will allot it after taking some consideration or not ?

दोनों प्रोविजन रखे हैं। कुछ तो कीमत नहीं लेकर अलॉटमेंट करेंगे और कुछ कीमत लेकर करेंगे। जब को-ऑपरेटिव को जमीन देंगे तो मेरे ख्याल से आप बिना कीमत लिये देंगे, किसी इन्डीविजुअल किसान को देंगे तो मेरे ख्याल से प्राईस रियलाइज करेंगे। जब मार्केट वेल्यु पर खरीद करेंगे मैं मानता हूँ You will get that money from taxation from others.

जब गवर्नमेंट की तरफ से मार्केट रेट बनेगी तो इनफ्लेटेड होगी। हम देखते हैं कि पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा कन्स्ट्रेक्शन कराने जायें तो उसका असेसमेंट होगा। वह बाजार के किसी कॉन्ट्रेक्टर के मुकाबले में २५,३० परसेन्ट ज्यादा होगी। इसलिए जो मार्केट वेल्यु गवर्नमेंट की असेस होगी वह ज्यादा होगी। उसके बाद जिसको आप जमीन देंगे उससे आप कीमत लेंगे। कुछ न कुछ कीमत उससे लेंगे, उसको चेरिटी में नहीं देंगे। जिस टिनेन्ट को आप जमीन देना चाहेंगे उससे क्या फुल वेल्यू रियलाइज करेंगे ? Either it will be from the State Ex-chequer. हमारे माननीय मन्त्री जी घर में नोट छाप कर नहीं देंगे। Both will be affected in the society at large. जहाँ टैक्स पेअर को माना है जो यह वेल्यू पे करेगा या जिनको आप नई जमीन देंगे, उससे रियलाइज करेंगे They will do it...

इसलिए मेरा निवेदन है कि मार्केट वेल्यू को रखना है तो कम कर देना चाहिए कि ५० परसेन्ट ऑफ मार्केट वेल्यु से ज्यादा नहीं होना चाहिए या जैसा माननीय सदस्य ने लैंड रेवेन्यु के लिए कहा था उसको रखिये और १० टाईम्स, २० टाईम्स, ३० टाईम्स जैसा सदन ठीक समझे वैसा रखें तो ठीक रहेगा। इससे क्या होगा कि इनफ्लेटेड प्राइस पे नहीं करनी पड़ेगी।

दूसरा एग्जेम्प्सन का सवाल है। इसके लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए एक तो गवर्नमेंट ने रखा है क्लॉज ३० आई। पार्ट २ में, जिसके अन्दर जनरल एग्जेम्पसन की ऑथेरिटी है। किसी फर्म को, किसी गांव को, किसी एरिया को आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं।

(श्री पी० के० चौधरी)

"The State Government, may by notification in the official Gazette, exempt from the operation of section 30 E any persen, land or holding or class of persons, lands or holdings if it considers such exemption to be necessary in view of the integrated or specialised character of operations or where industrial and agricultural operations are undertaken as a composite enterpise or on other reasonable grounds." यह पार्ट २ जो है उसमें गवर्नमेंट को ब्लेन्क पावर्स दी गई हैं। किसी व्यक्ति को रोक दे सीलिंग लगाने से, किसी गांव के लिए रोक दे, किसी एरिया के लिए रोक दे, सारे एग्जेम्पसन माननीय मन्त्रीजी को दे दिये। सीलिंग बिल पास होने के बाद....

श्री दामोदरलाल व्यास : Very starnge strong.

श्री पी० के० चौधरी : It is there. You cannot deny. शुगर फार्म के लिए लोग चिल्ला रहे थे। राजस्थान में शुगर फार्म की तीन फेक्ट्रीज हैं। आपके पास और कोई शुगर केन फार्म नहीं है...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : है साहब।

श्री पी० के० चौधरी : सिर्फ तीन शुगर फेक्ट्रीज हैं। मैं समझता हूँ कि शुगर फार्म के लिए एक्जेम्पशन जरूरी नहीं है If there are only three Sugar factories here तो तीनों शुगर फेक्ट्रीज के नाम दे देते। उनको जनरल एग्जेम्पशन में रखना जरूरी नहीं होता, There should not have been any mention. फलानी फलानी फेक्ट्री को एग्जेम्प्ट करते हैं it should have been much better. फ्यूचर एग्जेम्पशन का इन्तजाम नहीं रखा है। यह पार्ट दो है, किसी व्यक्ति की होल्डिंग है, लैण्ड है, गाँव है, फेक्ट्री है सबके लिए एग्जेम्पशन माननीय मंत्री के सुपुर्द कर दिया गया है, वे चाहें तो सबको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस एग्जेम्पशन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ये शुगर फार्म वगैरह जो हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : सभापति महोदय, मैं समझ रहा हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, जो सीलिंग के सम्बन्ध में है, वह सलेक्ट कमेटी से होकर इस सदन के समक्ष बहस के लिए आया है और कई श्री, पंडितों और बड़े इकॉनोमिक विशेषज्ञों ने इसे समझाने की कोशिश की है। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी किताबों के बड़े बड़े सुझाव आ रहे हैं उनके बजाय राजस्थान में किस तरह से लैन्डलेस काश्तकारों को जमीन मिल सके, जो काश्तकार भूमिहीन हैं उनको जमीन किस तरह मिल सके, किस कानून से मिल सकती है, वह कौनसा अच्छा तरीका हो सकता है, यह सबसे बड़ी चीज है, इस पर विचार कर सकते थे। जिन महानुभावों ने नोट ऑफ डिसेन्ट देकर सदन के समक्ष इस बिल के उद्देश्य और कानून की मन्शा को रखा है उनके सम्बन्ध में बहस होती तो यह समस्या हल हो जाती है। मुझे

(श्री मदनसिंह)

याद है पहले भी जनसंघ की तरफ से कहा गया था कि सलेक्ट कमेटी में यह बिल न जाकर यदि यहीं विचार कर पास हो जाता तो भूमिहीनों को भूमि मिल जाती है और यदि आवश्यकता होती तो उसमें अमेंडमेंट भी हो सकता था। प्रश्न यह है कि जो आज सरकार है वह भूमि देना चाहती है या नहीं? मैं समझता हूँ इसके लिए मैं रेवेन्यु मिनिस्टर का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित कराऊँ। इन भूमिहीन किसानों को सरकार जमीन देना नहीं चाहती है। अगर देना चाहती तो मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा सी चैंज कर देते जिसके लिए मैं निवेदन करूँ कि भूमि कितनी होगी, कितने एकड़ होगी, कितनी दी जायेगी, यह विचारने की दिक्कत मिट जाती। अगर यह निश्चय कर लें कि भूमिहीनों को वह भूमि दी जायेगी, जो मेनेज्ड फार्म की जमीन है तो यह कठिनाई हट जाती। भूमिहीनों को वह भूमि मिलेगी, जो मेनेज्ड फार्म की है, अगर यह हो जाय तो यह कानून आदि बनाने की दिक्कत मिट जायेगी...

श्री **दामोदरलाल व्यास**: (राजस्व मंत्री) माननीय सदस्य के पास ऐसे फार्म्स की फहरिस्त होगी, वह मुझे दे दें तो जबाब देने में सहूलियत होगी।

श्री **मदनसिंह**: जी?

श्री **दामोदरलाल व्यास**: जिन मेनेज्ड फार्म्स की भूमि दिलाना चाहते हैं वह फहरिस्त दे दें।

श्री **मदनसिंह**: मेरी समझ में नहीं आया। फहरिस्त आप बनायें, गवर्नमेंट के पास नाम है कि मेनेज्ड फार्म किनके हैं उनमें से जमीन दी जाय।

श्री **श्रीभानसिंह** (बयाना): इतने ही फैक्ट्स और फिगर्स होते तो आपकी स्पीच कैसे होती?

श्री **मदनसिंह**: आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आपके पास ज्यादा वैल मेनेज्ड फार्म मिलेंगे।

श्री **श्रीभानसिंह**: मैंने हमेशा कहा है कि आपका इन्डीविजुअल एप्रोच रहता है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं रहता है।

श्री **मदनसिंह**: क्रिटिसिज्म? There are very few like you. वैल मेनेज्ड फार्म ही नहीं मिलेंगे। आज गोचर भूमि है, चरागाह भूमि पड़ी हुई है, फॉरेस्ट की जमीन पड़ी हुई है लेकिन जिस जमीन से भूमिहीन किसानों को जल्दी से जल्दी फायदा हो सकता है वह कौनसी जमीन हो सकती है? वह वैल मेनेज्ड फार्म की जमीन है।

अगर यह तय हो जाता तो मैं समझता हूँ सीलिंग का सही सही मकसद हल हो सकता है। वैल मेनेज्ड फार्म्स में से गरीब किसानों को भूमि नहीं देकर जैसलमेर के टीलों में से ३० एकड़ या ४० एकड़ भूमि देंगे तो वे गरीब किसान इन्कार कर देंगे। वे कहेंगे कि इस जमीन को हम नहीं चाहते। आज सलेक्ट कमेटी के कई माननीय सदस्य तहसीलदारों के साथ जाते हैं तो उनको पता है कि जब गरीब किसानों को बंजड़ जमीन लेने के लिए कहा जाता है तो वे किसान कहते हैं कि हमें यह बंजड़ खाड़े की भूमि नहीं चाहिए। यह खराब भूमि लेकर हम क्या करेंगे? जिनके पास वैल मेनेज्ड फार्म्स और बहुत ज्यादा

(ठाकुर श्री मदनसिंह)

जमीन है वह हमें दीजिए जिससे कि हम फायदा उठा सकें। यह सिद्धान्त नहीं मानते तो उनको खराब जमीन देने से क्या फायदा है ? जिनके पास कि किसी प्रकार के साधन नहीं, बंजड़ खराब जमीन को सुधारने के लिए जिनके पास ट्रैक्टर नहीं, आधुनिक औजार और साधन नहीं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं और पढ़े लिखे न होने के कारण अगर उनको अंग्रेजी खाद दिया जाता है तो उसमें विश्वास नहीं करते उन लोगों को इस प्रकार की बंजड़ और बेकार भूमि देने से क्या फायदा ? वे गरीब लोग इस तरह की भूमि से किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा सकते। उनको तो आप बने बनाये फार्म्स में से, वैल मेनेज्ड फार्म्स में से भूमि दीजिए। जिनके पास वैल मेनेज्ड फार्म्स में ज्यादा जमीन है वह इन लोगों को दे दी जाय तो यह लड़ाई मिट सकती है। पर बात ऐसी की जा रही है कि किसी गरीब, भूखे के सामने रोटी रख दी जाय और उसके हाथ बाँध दिये जावें, मुंह बांध दिया जाय और उसे कहा जाय कि रोटी खालो तो वह क्या खायेगा ? अच्छी अच्छी जमीन है उसको तो आपने एग्जेम्प्शन्स रख कर वैल मेनेज्ड फार्म्स में रख दी है, अब भूमिहीनों को क्या देंगे ? राजस्थान की एक कहावत, मिसाल याद आती है। उस कहावत का सार है कि जो सरकार मतिहीन है, जिसके सिद्धान्तों में हीनता है, स्पष्टता नहीं है :

'सुधहीणी सरकार, बुद्धिहीणा राखे मिनख।'

तो इसकी हालत वही होती है जैसे अंधे को घोड़े पर चढ़ा कर छोड़ दे। इधर बुद्धिहीन सरकार उधर भूमिहीन काश्तकार....

श्री सोहनलाल भटनागर सलम्बर : बुद्धिवालों ने तो खूब दे दिया किसानों को ?

ठाकुर श्री मदनसिंह: बुद्धिवाले वे हैं जिन्होंने खूब अच्छी अच्छी जमीनें फार्मों में मिलाली हैं। वे लोग जिनके पास वैल मेनेज्ड फार्म्स हैं वे यदि सोचें कि भूमिहीन किसानों को भूमि देना है तो अपने बड़े बड़े वैल मेनेज्ड फार्म्स में से दे सकते हैं और उस भूमि से किसान फायदा उठा सकते हैं। वैसे देखा जाय तो यह बिल लैंड रिफॉर्मस के नाम से लाया जा रहा है। तो लैंड का रिफॉर्म तो तब होगा कि जो अच्छी जमीन है, वैल मेनेज्ड फार्मस हैं उनकी जमीन को इन गरीब किसानों को दे दिया जाय, भूमिहीनों को दे दिया जाय और जो बंजड़ खराब जमीन पड़ी हुई है उसको वे लोग लें जिनके पास वैल मेनेज्ड फार्मस हैं और अपने साधनों से इसको इम्प्रूव करें तभी लैंड का रिफॉर्म हो सकता है। जिन लोगों को कृषि पंडित का खिताब दिया गया है, जिन्होंने भूमि को उन्नत करके उसमें ज्यादा पैदावार की है वे अपनी जमीनें गरीबों को दे दें और बंजड़ भूमि वे स्वयं लें और बंजड़ भूमि को इम्प्रूव करने के लिए वे लोग कम्पेन्सेशन भी मांग सकते हैं। वे लोग कहें कि हमारे पास जो अच्छी जमीन है वह तो हम भूमिहीन किसानों को देते हैं और जो बंजड़ है वह हम लेते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कम्पेन्सेशन दिया जाय। अगर इस ढंग से किया जाय तो यह समस्या सही ढंग से हल हो सकती है वर्ना जमीन देने का और जमीन लेने का कानून इसमें है पर जमीन आयेगी कहां से ? कानून बन जायेगा और जो वेस्ट लैंड पड़ी हुई है

(श्री मदनसिंह)

उसके लिए गरीब किसानों को कहेंगे कि तुम्हारे लिए यह जमीन है, यह जमीन ले लो और गरीब किसान कहेंगे कि इस बेकार, खराब जमीन को हम लेकर क्या करें, हम इस खराब जमीन को नहीं लेंगे।

तो यहां सबसे बड़ी गलती राजस्व मंत्रीजी की है। उन्होंने डेढ़, दो साल से किसानों के खिलाफ रवैया बना रखा है। न मालूम उनका यह रवैया किन्हीं पोलिटिकल रीजन्स से है या किसी और कारण से। इस रवैये के कारण कोई भी किसानों के हित का कानून आता है तो उसको सलेक्ट कमेटी में भेज कर टालते रहते हैं...

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी यह बात तो पोलिटिकल नहीं है ?

श्री मदनसिंह : बिल्कुल नहीं। अगर प्रोसीडिंग्स को उठा कर देखा जाय तो मैंने पहले भी कहा था कि इसे सलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय। मैं समझता हूं १६५३-'५४ में आवाज उठ गई थी कि सीलिंग आ रहा है और सीलिंग के डिफेक्ट्स भी जागीरदारों और पूंजीपतियों के पास आ गये थे और बिल्कुल तैयार होकर बैठे हैं कि अब इस कानून के आने से किसानों को, भूमिहीनों को किसी भी तरह भूमि नहीं मिलनेवाली है। इस सीलिंग के बिल का आचार की तरह टेस्ट लिया जाता रहा। ज्यों ज्यों आचार को ज्यादा रखा जाता है त्यों त्यों उसका मजा आता है इसी तरह इस सीलिंग को हाउस में और सलेक्ट कमेटी में रखा गया। इस तरह अगर इस सीलिंग बिल को हाउस में या सलेक्ट कमेटी में रोका जाय तो यह काश्तकारों का बड़ा अहित है। मैं अभी की ताजा घटना सुनाना चाहता हूँ कि नेता कहेजानेवालों ने किसानों के साथ किस तरह जुल्म किया। डेगाना परगने का किस्सा है। वहां ३ महिने पहले

(राजस्व मन्त्री के जाने पर)

आप तो पधार गये हैं, वहाँ किसानों के साथ कैसा जुल्म हुआ है। किसान नेता बाजते हैं, किसानों के प्रतिनिधि बनते हैं, जब उनको इस सीलिंग का पता चला तो पच्चीस २, तीस २ साल से जो काश्तकार इनके गाँव में काश्त कर रहे थे उनको वहाँ से जबरन हटा दिया। वे किसान आज डेगाने की सड़कों पर रोते हैं, राजस्व मन्त्रीजी के बंगले की सड़क पर रोते हैं और उनको वे कहते हैं कि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं, कोई कानून नहीं, सीलिंग ला रहे हैं उसमें तुम्हें जमीन मिल जायेगी। १००, १०० घर वहाँ एक रात में कत्ल हुए हैं। तीस साल के काश्त कर रहे थे उन किसानों को धोखा देकर आप जागीरदार बने हुए हैं। वर्षों से कांग्रेस में हैं इसलिये उनका नम्बर जागीरदारों में नहीं आया है वह गाँव है पूनलोता। पूनलोता के जागीरदार ने जहाँ कोठी, कुंए, घर बस रहे थे और ३० साल से काश्त कर रहे थे उन किसानों को वहाँ से निकाल दिया। इधर सरकार कानून बना रही है कि गरीब किसानों को भूमि देंगे, उधर पूनलोता में जबरन १००, १०० घरों को जहाँ वे इतने वर्षों से आबाद थे वहाँ से हटा दिया गया है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अच्छी जमीन में से इन गरीब किसानों को दें तो यह सवाल हल हो सकता है। चाही बारानी का स्केल बना लीजिये। इस बिल में यह रखा जायेगा कि वैल मेनेज्ड फार्म्स

Page No.55

(श्री मदनसिंह)

में से नहीं दिया जायेगा तो किसी को कोई जमीन नहीं मिलेगी । बंजड़ जमीन में देना न देना बेकार होगा । बड़े कृषि पंडित यहाँ कल अमेरिका और दूसरी जगहों की मिसालें दे रहे थे । वे मिसालें यहाँ पर लागू नहीं हो सकतीं । यहाँ की स्थिति वहाँ से बिल्कुल भिन्न है । राजस्थान के किसान क्या चाहते हैं ? सीलिंग की चर्चा चले ४ वर्ष हो गये । कई काश्तकार तो बेचारे मर गये होंगे, कई सड़कें कूटने गये होंगे, कई दिल्ली गये होंगे अपना पेट भरने, इस आशा में कि सीलिंग की वर्षा आने वाली है ।

श्री श्रीभानसिंह : जापान और अमेरिका की मिसाल तो जनसंघ के लीडरों ने ही दी होगी ।

श्री मदनसिंह : क्या हुआ दी होगी तो, सही बात नहीं कह सकते क्या ?

श्री श्रीभानसिंह : Ofcourse. You may say anything you like.

श्री सभापति : सब के लिए समान बात कहते हैं ।

मैं समझता हूँ कि यहाँ और भी अन्य नेता थे जिन्होंने समानता की बात को ले ले कर हाउस में जिस प्रकार पार्टी को भाषण देते हैं देकर समानता की चर्चा की । मैं मानता हूँ कि समानता न्याय में हो सकती है । मैन मेनेजड फार्म में हो सकती है । समाज में सब समान हैं । लेकिन जब तक इन्सान का दिमाग समान नहीं होगा सबमें समानता नहीं हो सकती । अगर दिमाग समान हो जाये तो प्रगतिशील नेता के समान कोई आदमी जन्मना नहीं चाहिये । एक आदमी ही काफी है । अगर दिमाग और बुद्धि अलग है तो उसकी व्यवस्था अलग होगी और उसके रास्ते, खाने पीने के ढंग और दूसरी बातें भी अलग होंगी । जोर इस बात पर दे रहे हैं कि जमीन का विभाजन बराबर होना चाहिये । माननीय सभापति महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि न तो पैसे की बराबरी हो सकती है और न किसी की अकल की बराबरी हो सकती है । अगर कोई इस बात की डींग हाँकते हैं कि हो सकती है तो मैं यह कहूंगा कि नहीं हो सकती । आज आप डींग हाँकते हैं और कहते हैं कि किसान को रोटी की जरूरत है, उसको पहिनने के लिए कपड़े की जरूरत है तो आप नेता लोग घुटनों तक लम्बा कमीज पहिनते हैं जिसमें से मैं समझता हूँ कि गरीब किसान के चार कपड़े हो सकते हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Member should be provided with a long mirror and he should look at his turban.

(हँसी)

श्री मदनसिंह : मैं डींग नहीं हाँकता हूं । जो लोग डींग हाँकते हैं उनके लिए मैं यह कहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : आप भी लम्बा....

श्री मदनसिंह : मैं जानता हूं कि आपका ज्यादा लम्बा है । मैं काट लूंगा । आप मेरे वहीं रहते हैं ।

(हँसी)

(श्री मदनसिंह)

बिल में केवल ऐसी व्यवस्था रखी जावे जिससे गरीबों को अच्छी व्यवस्था मिल सके। मैं नहीं समझ सका कि आपकी क्या मन्शा है और क्या कमी है जिसका डिस्कशन हाउस में होना चाहिये। आप यह कहते हैं कि हमारे यहाँ सब बराबर होने चाहियें। मैं समझता हूं कि बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य आये हुए हैं उनके और मेरे खाने में बराबरी का मुकाबला करें तो उसमें काफी अन्तर रहता है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : (दूदू) मेरे खाने और पीने के सम्बन्ध में...

श्री मदनसिंह : आपके यहाँ बैल मेनेज्ड फार्म हैं वे गरीबों को दे दिये जावें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैंने तो पहले ही एग्रीकल्चर कॉलेज बीकानेर को सौंप दिये हैं।

श्री मदनसिंह : दूसरे अहोर से आनेवाले माननीय सदस्य श्री माधोसिंह भैसवाड़ा के पास सबसे ज्यादा जमीन है। उनके पास ५ या ६ इंजिन हैं और हजारों बीघा जमीन है। उनके पास जैसे फार्म हैं उनको लेकर गरीब किसानों को दिये जावें तो गरीब किसानों को ज्यादा लाभ होगा। अब वे मेनेजमेंट करने लायक नहीं। उनको कम्पेन्सेशन की जरूरत है। उनको एक एकड़ पर एक भैंस दे दी जावे। एक एकड़ पर एक भैंस तो ३० एकड़ पर ३० भैंसें उनको दे दी जाएं तो वे अच्छी तरह से इन ३० भैंसों से एक दूध का डेरी फार्म चला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ब्लॉक से भी ऐसी व्यवस्था हो रही है कि जिन जागीरदारों को ठीक तरह से खेती का अनुभव नहीं है और जो खेती करना नहीं जानते हैं उनको मैं समझता हूँ कि गायें भैंसें और बकरियें रखने की व्यवस्था की जा रही है और वे चाहें तो घोड़े भी रख सकते हैं। अगर वे आज मिल जावें तो यह समस्या हल हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि जो जागीरदार कम्पेन्सेशन इसके लिए डिमान्ड करते हैं मैं समझता हूँ कि उनका यह कम्पेन्सेशन डिमान्ड करना गलत है। क्योंकि जागीरदारों ने तो पहले ही ऑलरेडी अपनी जमीनों का कम्पेन्सेशन ले लिया है They can not demand any compensation for this extra land. आपको मालूम होगा कि जागीरदार तो टिनेन्सी एक्ट के जरिये प्राईवेट लैन्ड का मुआवजा ले चुके हैं। अब फिर आकर यह कहते हैं कि हमें कम्पेन्सेशन दीजिये। मैं समझता हूँ कि श्री माधोसिंहजी की कम्पेन्सेशन की माँग है वह बिल्कुल निरर्थक है। कोई भी व्यक्ति दो दफे कम्पेन्सेशन नहीं ले सकता। इसलिए उनको चाहिये कि वे अपनी इतनी जमीन जहाँ फार्म हैं गरीब किसानों को दे दें इसी में लाभ है।

श्री सज्जनसिंह (बूँदी): यह जागीरदारों के कम्पेन्सेशन का प्रश्न नहीं है। यह सीलिंग का प्रश्न है। इसको इससे कम्बाइन नहीं करना चाहिये।

श्री मदनसिंह : क्या काश्तकार खातेदार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि वे काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास (अश्रव्य) जिस काश्तकार के पास आप यह चाहते हैं कि ३० बीघा जमीन हो। अगर आप

Page No.57

(ठाकुर श्री मदनसिंह)

देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा वैल मेनेज्ड फार्म या तो जागीरदारों के पास हैं या पूंजीपतियों के पास हैं और मैं यह कहूँगा कि उनको वे फार्म देने चाहिये और देने होंगे अन्यथा जमीन किसके पास है। ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके पास हजार बीघा जमीन हो। अगर जमीन है तो या तो जागीरदारों के पास है या सेठ साहूकारों के पास है। मैं आगे उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यह कहूँगा कि इनके अलावा जमीन मिनिस्टरों के पास है जिन्होंने १० वर्ष तक उस जमीन का उपभोग कर लिया है और उससे काफी फायदा उठा लिया है। अब उनको चाहिए कि यहाँ जो भी भूमिहीन हैं उनको दे दें। मैं समझता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए था मगर मैं यह कहूँगा कि आज मशीनरी और जागीरदार मिले हुए हैं और इसीलिये यह ढीले हो रही है।

श्री सज्जनसिंह : जागीरदार और मिनिस्टर (अध्यक्ष-ठाकुर मदनसिंह भी बोलते रहे) पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री सभापति : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

ठाकुर श्री मदनसिंह : आज जागीरदारों और सेठ साहूकारों के सिवाय किसी के पास जमीन नहीं है। आज १०, १० हजार बीघा जमीन आपके पास हो और भूमिहीन किसान जमीन के टुकड़े के लिये तड़पता रहे? आज आपके पास वैल मेनेज्ड फार्म है....

श्री श्रीभानसिंह : जागीरदारियों को रखने के लिये आपने भी भू-स्वामियों का आन्दोलन किया था।

ठाकुर श्री मदनसिंह: उसको अभी भी सही करने के लिये तैयार हूँ। वह जागीरों को रखने के लिये था।

श्री श्रीभानसिंह : जागीरदारी को कायम रखने के लिये आपने आन्दोलन किया था?

ठाकुर श्री मदनसिंह : जी हाँ, छोटे छोटे जागीरदारों के लिए जो जागीर होल्ड करते थे। छोटे छोटे जागीरदार, जिनके पास जमीनें थी और वे मिल्ट्री में चले गए थे और जो काश्त नहीं करते थे उनकी इकॉनोमिक होल्डिंग का झगड़ा था उसके लिये अन्दोलन किया और आज भी बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको कहाँ हर्ट हो रहा है। मैं प्रैक्टिकल बात पर बोल रहा हूँ....

श्री श्रीभानसिंह : मेरे को दुःख इसलिये होता है कि आप प्रेक्टिकल बात पर नहीं बोल रहे हैं।

ठाकुर श्री मदनसिंह : मैं बिल्कुल प्रेक्टिकल बात पर बोल रहा हूँ। मैं थ्योरी में विश्वास नहीं करता। बहुत से लोगों की जो स्कूलों से निकल कर आते हैं बहस करने की आदत होती है।

श्री श्रीभानसिंह : They have got more than 30 bigas.?

ठाकुर श्री मदनसिंह : मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। वे लोग केवल पुस्तकें पढ़ कर केवल थ्योरी में ही बातें करते हैं कि लिंकन इब्राहीम, चर्चिल आदि ने क्या कहा। मेरे काश्तकारों को इब्राहीम की क्या आवश्यकता है? काश्तकारों को यहाँ भूमि चाहिये कि

(ठाकुर श्री मदनसिंह)

कास्त कहाँ पर करें। कुछ लोगों ने कहा कि इन्डस्ट्रियल फार्म होने चाहिये। जब इन्डस्ट्रीयल फार्म होंगे तब आकर बेचारे किसान को काम मिलेगा और उसके लिए व्यवस्था होगी। इसी को प्रेक्टिकल मानते हैं कि इन्डस्ट्रीज खोलनी चाहिये ? फिर उसमें जाकर गरीब काश्तकार काम करेंगे, फिर जाकर उनके लड़के पढ़ेंगे और फिर ऊंची बातें करनेवाले हैं। मैं समझता हूँ कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं उसको और डिले करने के लिए माननीय सदस्य प्रोपोजल देते हैं। जो किसानों के साथ कभी खड़े नहीं हुए, जिन्होंने कभी किसानों के पसीने की बदबू को सूंघा नहीं और यदि सूंघ लेते तो कभी खड़े ही नहीं रह सकते थे और मुश्किल हो जाती उनको। केवल थ्योरियों से काम नहीं चलेगा। कुछ माननीय सदस्य तो ऐसे थे कि उन्होंने जनसंघ की पार्टी का विरोध किया। जैसे फुलेरा से आनेवाले माननीय श्री पी. के. चौधरी। केवल जनसंघ ने ऐसा किया, वह कह दिया। आपको पता नहीं है....

श्री श्रीभानसिंह :आप अपने नेता का खुद ही विरोध कर रहे हैं। नेता ने कहा था कि जापान...

ठाकुर श्री मदनसिंह : मैंने नेता के जापान वाली मिसाल के लिए कहा था पुरानी मिसालों की जरूरत नहीं है। हमारे नेता ने जो मिसालें दी उनको आपने सुना नहीं था। आपको आता है अमेरिका का दृष्टान्त देना। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लैंड हैं अमेरिका में उनको छोटे छोटे किये। यदि बुद्धि नहीं है तो जनसंघ में आकर बैठिये। बुद्धि और विवेक का ज्ञान वहां आपको हो जायेगा और सब समझ में आजायेगा।

श्री श्रीभानसिंह : जनसंघ की बुद्धि का तो यहां अच्छा परिचय हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : आप अपनी बुद्धि को क्यों कष्ट दे रहे हैं ?

ठाकुर श्री मदनसिंह : शतरंज में अच्छे खिलाड़ियों से भिड़ने में बुद्धि तेज हो जाती है।

(हंसी)

सभापति महोदय, कुछ सदस्य तो ऐसी जगह से आये हैं जो किशनगढ़ और अजमेर के बीच के हैं जो पीछे से हल्ला तो कर देते हैं लेकिन यदि आगे से मिनिस्टर महोदय ने आंख निकाल दी तो बदल जाते हैं। जैसा कि बयाने से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आप ठीक कह रहे हैं। कोई सिद्धान्त नहीं है इसके पीछे।

श्री सभापति : आपने अपने विचार रख दिये ?

ठाकुर श्री मदनसिंह : श्री पी०के० चौधरी बोल रहे थे तो कहा गया था कि इसको हल्ला नहीं समझें। अर्थ और राजनीति के पंडितों की व्यवस्था थी और जो उनके दिमाग में व्यवस्था है उसको ठीक करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं कहता हूँ कि जो वैल मेकेनाइज्ड फार्म हैं उन्हीं में से जमीन लेनी चाहिये और भूमिहीनों को देनी चाहिये। इनके विपरीत दूसरी भूमि उनको

(ठाकुर श्री मदनसिंह)

मिल गई तो दो तीन साल तो उसको लगावेंगे और उसके बाद उसको छोड़ कर भागेंगे। क्योंकि उन गरीब किसानों के पास न तो बुद्धि है और न ही उनके पास विवेक। वे इस बात को जानते हैं कि वैल मैकेनाइज्ड जो फार्म्स हैं उनमें से ही उनको भूमि मिले। मैं इस समय पार्टी से अबॉव (Above) होकर स्वयंभू जो चीज फील करता हूँ उसको ही आपके सामने रख रहा हूं। इसको यदि

(हीयर हीयर की आवाज)

सलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया तो इसका मतलब यह होगा कि फिर यह दो तीन साल के लिए टल गया। जो पूंजीपति हैं, बुद्धिमान पार्टी के लोग हैं बुद्धिमान मिनिस्टर हैं इनमें ही यह रहेगा और यह आचार का घड़ा यों का यों ही पड़ा रहेगा। आज ३० एकड़ दिया जावेगा तो यह बराबर भी नहीं हो सकेगा। पांच की एक फेमिली रखी है। क्या गारन्टी है, सभापति महोदय, कि पांच की ही फेमिली बनी रहेगी। ३० एकड़ दे देते हैं तो क्या फिर उनके लड़के पैदा नहीं होंगे? फिर उनको जमीन कैसे मिलेगी। आप कम्पेन्सेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। जमीन है कहां? सब दबा रखी है। उन लोगों ने दबा रखी है और उनके पास वैल मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं, खाद देकर तैयार किये हैं और जिनको आपने कृषि पंडितों के खिताब दिये हैं, सर्टिफिकेट दिये हैं उनसे लेना होगा। उधर फोरेस्ट मिनिस्टर ने काफी जमीन दबा रखी है। कभी घास पैदा करते हैं और कभी वन महोत्सव मनाते हैं। यदि भूमिहीनों को वास्तव में आप जमीन दिलाना ही चाहते हैं तो उनको वैल मैकेनाइज्ड फार्म्स से ही जमीन मिल सकती है। दूसरा इसके सिवाय और कोई जरिया नहीं है। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बातें कही हैं। वे तो यहाँ तक कह देते हैं कि जो मुसलमानों की कब्रें हैं और हमारे श्मशान हैं वे भी ले लिए जायँ। लेकिन राजाओं और महाराजाओं के पास कई एकड़ के फार्म्स आज भी हैं। काश्तकारों को उन्हों में से दिला सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि दोनों तरफ की यहाँ बातें नहीं हो सकती हैं और चाहें कि उनको भी खुश रखा जाय और गरीब किसानों को भी। थ्योरी देते हैं उन नेताओं को खुश रखें। जो प्रेक्टिकल काम होने हैं वे थ्योरी से किये जाते हैं जो पूरे हो नहीं सकते। थ्योरी से काम करते जावेंगे तो फिर गरीब किसान भूखे ही मरेंगे। प्रेक्टिकल काम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलनेवाला है। यह करिये कि जो वैल मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं उनमें से उन भूमिहीनों को जमीन दी जायगी, उनसे जमीन छीनी जावेगी। थ्योरी नहीं चलेगी। थ्योरी में चलनेवाले कुर्सियाँ तोड़ते हैं और जो प्रेक्टिकल काम करने वाले हैं वे खेतों में काम करते हैं। इसलिये मैं, सभापति महोदय, कहता हूं कि जो वैल मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं वे एग्जम्प्ट हर्गिज नहीं होने चाहिये। वैसे तो काश्तकार डूंगर की चोटी पर भी खेती करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के छोटे छोटे इलाकों में काश्त करते हैं और वे मौज में हैं। एक काश्तकार माननीय सदस्य ने कहा कि इससे क्या होनेवाला है? वे समझे नहीं हैं। वे कहते हैं कि जो है उससे ही काम चला लेंगे। आपको इलाज करना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और दूसरे काम करने होते हैं तो ये सब करेंगे जब ही कि आपके पास पैसा होगा। इसलिए इसको बुद्धि से सोचा

Page No.60

(ठाकुर श्री मदनसिंह)

जाय। बैल मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं उनमें से किसानों को ३० एकड़ न मिले। २५ एकड़ ही मिले लेकिन उनमें से ही उन भूमिहीनों को देंगे तो उनको रिलीफ देंगे, अन्यथा नहीं। किसी के यहां जाकर सीरा पुड़ी देख कर केवल सूखी रोटी दी जाय इससे क्या फायदा वह यों ही पड़ी रहेगी। वेस्ट लैंड पड़ी रहेगी। इसलिए मैं जोरदार शब्दों के साथ सभापति महोदय, माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि आप काश्तकारों के भेजे आए हैं, उनके वोटों से चुन कर आये हैं। गरीब काश्तकारों ने आपको वोट इसलिये दिये हैं कि आप सदन में जाकर उनके लिए काम करेंगे। इसलिये आपको उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिये। उनके फायदे के लिए कानून बनायें। उनके फायदे की बात करें। चीनी की दूकानें खोलने की बातें करते हैं, फैक्टरी के लिए फार्म्स की चिन्ता करते हैं, चीनी कौन खायेगा जब कि रोटी ही नहीं मिलती है। इधर तो अनाज नहीं है और उधर चीनी की फैक्टरी को चलाने के लिए बड़े बड़े फार्म्स की बात रहे हैं। उनके फार्म्स को छोड़ रहे हैं इसलिए सबसे पहले उन गरीब किसानों को जिनके पास जमीन नहीं है बैल मैकेनाइज्ड फार्म्स में से उनको जमीन मिलनी चाहिये। यही मेरी पार्टी की व्यवस्था थी और मैं इसलिए चाहता हूँ कि डिस्ट्रिब्युशन ऑफ लैंड अच्छी तरह से हो।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Mr. Chairman Sir,......

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, सीलिंग बिल पर बहस करते हुए आज तीसरा दीन है। वैसे यह सीलिंग का प्रश्न नहीं है। राजस्थान सरकार ने इस प्रश्न को सबसे पहले सन् १९५३ में उठाया था और इस प्रश्न को सरलता से हल किये जाने के लिए एक कमेटी बैठाई थी।

सभापति महोदय, राजस्थान में यह कदम उठाना बहुत उपयुक्त था क्योंकि राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद राजस्थान के लिये यह एक अनिवार्य बात हो गई कि जिन लोगों ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की है है उनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता अवश्य आ जानी चाहिये। राजस्थान के अन्दर जो गरीबी घर जमाये है वह तुरन्त मिट जानी चाहिये। इसी आशय को लेकर राजस्थान सरकार ने अपने १२ वर्ष के शासन के के अन्दर कई प्रगतिशील कानून बनाये और उन कानूनों के अनुसार आज राजस्थान के लोगों की गरीबी दूर होती जा रही है।

सभापति महोदय, उन प्रगतिशील कानूनों में जो अब तक बनाये गये हैं उनमें की शृंखला की यह अन्तिम कड़ी है जिसको राजस्थान सरकार पूरा करने के लिए आज विचार कर रही है और साथ ही साथ इसके लिये मैं यह भी कह सकता हूँ कि अब राजस्थान सरकार ने जितने भी कानून पास किये हैं उनमें सब से ज्यादा महत्वता इस कानून को है। क्योंकि इसका संबन्ध राजस्थान की अधिकतर उस जनता से है जिसको मुश्किल से एक समय पेट भर खाना नहीं मिलता। इस दृष्टि से यह कानून राजस्थान सरकार ने बनाने का निश्चय सन् १९५३ में ही कर लिया था लेकिन दुख की बात है कि या तो उस समय जो कमेटी इस कार्य के लिए नियुक्त की गई उस कमेटी के सदस्यों ने न मालूम किस कारण

(श्री रामचन्द्र)

समय के अभाव की वजह से या फैक्ट्स या फीगर्स न मिलने के कारण कमेटी की रिपोर्ट बहुत देरी से निकाली और इस देरी से निकालने का यह नतीजा निकला कि सीलिंग के कारण जो लोग अपना अहित समझ रहे थे उन्होंने बैक-डोर से इस कानून के प्रभाव को नष्ट करने के लिये अनेक प्रयत्न किये और अब भी कर रहे हैं। यह कानून जल्दी ही अमल में लाया गया होता तो उन लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता जो कि अब तक इसके बिना फायदा उठा रहे है।

२. ११ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

इस विषय को लेकर राजस्थान के उन भूमिहीन किसानों के लिये बहुत गौर से विचार करना है। क्योंकि इस राजस्थान में उन लोगों की संख्या ३०-३५ लाख के करीब है तथा उन लोगों के पास सिवाय मजदूरी करने के और कोई साधन जीविकोपार्जन का नहीं है; वे लोग भूमि के वास्ते लालायित हो रहे हैं और प्रतिदिन इस बात की प्रतीक्षा में है कि वह दिन कब आयेगा कि उनको अपना पेट भरने के लिये ५ और १० बीघा जमीन मिलेगी। वे इससे ज्यादा भूमि नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि उनको इतनी भूमि मिल जाय जिस पर खेती करके वे अपना पेटपालन कर सकें। इसीलिए राजस्थान सरकार ने अब से ३ वर्ष पहले एक प्रावधान किया था कि जितने भी भूमिहीन किसान हैं उनको कम से कम १५ बीघा जमीन दी जाय। उसके लिए हाल ही में एक नया आदेश जारी हुआ है कि भूमिहीनों को १५ बीघा की बजाय १० एकड़ यानी २५ बीघा जमीन दी जाय। यह राजस्थान सरकार की उदारता का नमूना है। इस भूमि को प्राप्त करने के के लिये उन लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इसका यदि आप नंगा चित्र देखना चाहें तो राजस्थान के गांवों में जाकर देखिये। लोगों के पास जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है उनको भी हथियाने के लिये कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन हैं उनके मस्तिष्क में यह भय समा गया कि कहीं भूमिहीन किसानों को जमीन दे दी गई तो हमारे खेतों में काम करने के लिये मजदूर कहां से मिलेंगे। इस प्रश्न को लेकर इस प्रकार के सरकारी आदेश होने के बावजूद भी उसको विफल करने की चेष्टा की जा रही है और इसके अपोजिशन का भी यही मुख्य कारण है। आज तहसीलदारों, पटवारियों और कानूनगो तक से यह कहा जाता है कि क्या आप इन भूमिहीनों को भूमि देकर हमारे खेतों को बिना पैदावार के रखना चाहते है? मेरे गांव के १० बलाई और चमार जो मेरे यहां मजदूरी करते हैं अगर उनको जमीन मिल गई तो मेरे यहां मजदूरी करने कौन आयेगा? यह ख्याल उन लोगों का बना हुआ है। वे यह भी कहते हैं यदि ऐसा हुआ तो हम सरकार को लगान नहीं दे सकेंगे। आज उन लोगों की यह कहने की हिम्मत है कि अगर मजदूरों के अभाव में हमारी जमीन कुछ भी पड़त रही तो हम सरकार को लगान नहीं देंगे। इधर तो यह नक्शा है और उधर आप हरेक को तीस एकड़ जमीन देने का सोच रहे हैं। इसके बावजूद भी विधान सभा में

(श्री रामचन्द्र)

यह आवाज उठती है सीलिंग न लगाया जाय। यह कहना कोई वाजिब है ?

सभापति महोदय, जमीन देने की प्रणाली जो कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई है उसी आधार पर बिल तैयार किया गया कि अमुक अमुक तहसीलों में अमुक अमुक संख्या में जमीन दी जायेगी। इस बारे में जब पिछली बार कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो लोगों ने कहा था कि इतनी जमीन दिया जाना उचित नहीं। तभी इस मसले को हल करने के वास्ते बेक डोर से उन लोगों ने अपनी अपनी बात को लाने की कोशिश की। आज लोग उस पर ऐतराज करते हैं और इसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जमीन स्टेन्डर्ड एकड़ में दी जाय बजाय अलग अलग तहसीलों में अलग अलग संख्या में देने के जो जनरल रूल पास कर लिया कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ दिया जाय। यहां ३० एकड़ के साथ स्टेन्डर्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है लेकिन जो चीज स्टेन्डर्ड होती है या जिसका स्टेन्डर्डइजेशन हो जाता हैं उसका एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जिस प्रकार लंबाई का स्टेन्डर्ड गज हैं, टाईम का स्टेन्डर्ड सेकिन्ड है और वजन का पौन्ड है उसी प्रकार एकड़ का भी स्टेन्डर्ड जरूर होना चहिये। आरबीट्रेरी बेसिस पर किसी भी चीज का स्टेडर्ड नहीं माना जाता। सेकिन्ड को स्टेन्डर्ड इस आधार पर माना गया है कि पृथ्वी को उसकी धुरी पर चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसका ६० वां हिस्सा जो होता है वह समय का एक सेकिन्ड माना गया है कि यह एक स्टेन्डर्ड चीज हुई। इस का मूल आधार है पृथ्वी का उसकी कीली पर घूमना।

आपने जो तीस स्टेन्डर्ड एकड़ का इसमें रखा है इससे काफी झगड़े सामने आनेवाले हैं और जब कभी इस प्रकार के झगड़े सामने आयेंगे तो आपके इस स्टेन्डर्ड एकड़ को अदालतों में चेलेंज किया जावेगा। क्या आपने अपने स्टेन्डर्ड एकड़ को रजिस्टर्ड करवा लिया है ? बिना रजिस्टर्ड कराये आप इसे स्टेन्डर्ड यूनिट कैसे कायम कर सकते हैं ? युनिट हमेशा युनिवर्सल होता है व्यक्तिगत नहीं। अभी तक तो हमारे यहां बीघा चलता था। बाहर से शब्द एकड़ आया और अब नया शब्द आया है स्टेन्डर्ड एकड़। कौन इसको समझेगा ? यह जो आपने स्टेन्डर्ड एकड़ किया है मैं बिल्कुल इसके विरोध में हूं। मैं चाहता हूं कि जमीन का अलॉटमेन्ट जमीन की किस्म के अनुसार होना चाहिये। जिस आधार पर लगान लगाया जाता है उसी को केलकुलेट किया जाना चाहिये। जो लिस्ट सलेक्ट कमेटी ने पेश की है उसको एक बार फिर रिवाइज करके जमीन का अलॉटमेन्ट किया जाना चाहिये। इस सिलसिले में आपके द्वारा मैं माननीय राजस्व मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री महोदय ने अपने भाषण में प्रत्येक बार साइन्टिफिक शब्द का इस्तेमाल किया है। आप कहते हैं कि जो स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है इसके लिये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपकी रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि जालोर में जो केवल रेगिस्तान है उसमें ३,५ मन प्रति एकड़ उपज होती है जब कि झालरापाटन को ४,३ मन प्रति एकड़ होती है।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : आप जालोर के बारे में क्या जानते है ?

Page No.63

श्री रामचन्द्र : जोधपुर में मेरा लड़का रहता है उससे जानकारी मिलती रहती है और फिर जालोर के लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ और इसमें भी अधिक मैं भूगोल का मास्टर रहा हूं।

श्री अनूपसिंह : वह रेगिस्तान हो गया है।

श्री रामचन्द्र : वही तो कह रहा हूँ। वह रेगिस्तान है जब कि झालावाड़ उपजाऊ जमीन है और इसी आधार पर झालावाड़ को ५०, ६० एकड़ दी गई है और आपके यहाँ पर सौ एकड़ दी गई है। इससे साफ जाहिर है कि किस किस्म की ये जमीनें हैं। पर फैक्ट्स क्या दिये हैं कि जालोर में १ एकड़ में ३ मन से कुछ ज्यादा और झालावाड़ में ४ मन से कुछ ज्यादा होता है। मैं नहीं समझता कि यह स्टेटिस्टिकल डेटा किस प्रकार प्राप्त हुआ है?

दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि यह एकड़ शब्द लाकर ज्यादातर लोगों को भ्रम में डाला गया है। इस पर यूनिट से प्रभाव पड़ता है। बाजार में जाइये एक कहेगा ४ आने सेर आलू है, एक कहता है १६ नये पैसे सेर और दूसरा कहता है पाव रुपया सेर या चौथाई रुपया सेर। तो एक ही चीज की कीमत ३ तरह से कहते हैं। एक रुपया में, एक पाई में, एक नये पैसे में। तो यह भी इसकी एक वेल्यू है। तो यहां एकड़ से भ्रम हो गया है क्योंकि एक एकड़ २॥ बीघा के बराबर होता है। जब आप ३० एकड़ की बात कहते हैं तो ७५ बीघा मिनिमम हो गई। इस तरह राजस्थान की बहुत सी तहसीलों में और खास कर जैसलमेर में ६२५ बीघा ५ व्यक्तियों के एक परिवार में आप देते हैं। तो मैं पूछता हूं कि यह ५ व्यक्तियों का परिवार क्या ६२५ बीघा में काश्त कर सकता है? आप आज जिसको वर्जिन एरिया कहते हैं वह भविष्य में क्या होने जा रहा है? आप अन्दाज लगा सकते हैं। भविष्य में १० वर्ष के बाद उस जमीन की, उस ६२५ बीघा जमीन की क्या कीमत होगी? सब जानते हैं कि राजस्थान की यह वर्जिन भूमि राजस्थान केनाल आ जाने के बाद लहलहाती भूमि बन जावेगी।

श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : मास्टर साहब की सूचना के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि बाड़मेर जैसलमेर के नजदीक है। वहां की जमीन का सेटलमेन्ट रेट दो पैसा बीघा तय हुआ है।

श्री रामचन्द्र : आप जमीन की वेल्यू पर वेल्युएशन कर रहे हैं इसके लिये अर्ज करना है। जैसलमेर में एक परिवार को ६२५ बीघा जमीन दी जावेगी और भविष्य में राजस्थान केनाल द्वारा वह जमीन सरसब्ज बन जावेगी तब सोचिये कि उस जमीन की क्या कीमत होगी। एक तरफ तो आप जागीरदारी समाप्त कर रहे हैं और उधर नये नये जागीदारी पैदा करते हैं। इसलिये मैं कहूँगा...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): केनाल आवेगी तब वह जमीन रहेगी नहीं उनके पास।

श्री रामचन्द्र : हम तो फैसला इस समय करने जा रहे हैं इसलिये भविष्य का दिग्दर्शन भी करा देना मेरा कर्त्तव्य है। आपने जो अलॉटमेन्ट किया है बहुत ज्यादा है। उधर आपने गरीबों को मिनिमम १५ बीघा या १०

(श्री रामचन्द्र)

एकड़ दिया है । राजस्थान का पर-होल्डिंग का एवरेज १५, १६ आता है तो इधर तो आपने दिया १५, १६ एकड़ और आप दे रहे हैं ३० स्टेन्डर्ड एकड़ । यह कहाँ तक न्याय है ? सरासर आप चाहते हैं कि गरीबों को जमीन न मिले और इसलिये ऐसा प्रावधान रखा है आपने ।

मैं निवेदन करूँगा कि कम्पेन्सेशन का प्रश्न आपने जिस तरह हल किया और उसके लिए जमीन की मार्केट वेल्यू के अनुसार पैसा देना तय किया । अब यह जमीन बाँटने का प्रश्न आपके सामने '५२ से था और अब '५९ का साल है । इन छः सालों में जमीन की मार्केट वेल्यू में कितना परिवर्तन हुआ है इसे सरकार स्वयं सोच सकती है । तो मार्केट वेल्यू चैन्जिंग चीज है । वास्तव में तो सरकार को जो लगान दिया जाता है उसके अनुसार कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये । जैसा अब तक हमने और बिलों में भी आधार माना है और १५ गुना और २० गुना इर्रिगेटेड और नॉनइर्रिगेटेड लैण्ड का कम्पेन्सेशन रक्खा है । तो मैं यह कहूंगा कि इस पर भी इसी प्रकार से कम्पेन्शेसन देना चाहिये ।

बल्कि मैं इस सदन में आपके द्वारा, सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि आज जो जमीन का कम्पेशेसन आप भूधारियों को दिलवा रहे हैं वास्तव में उस जमीन को सरसब्ज किसने किया, इस कम्पेशेसन देने की स्थिति लायक किसने उस जमीन को बनाया ? ये ही वे भूमिहीन किसान हैं जिन्होंने बहुत अर्से से, पीढ़ियों से मजदूर बनकर इन जमीनों पर काम किया । आज जब इन भूमियों का बँटवारा सामने आया तो उनसे कहा जाता है कि मार्केट वेल्यू के अनुसार तुमसे पैसा लिया जावेगा । तो जिस आदमी ने उस भूमि को सुधारने में अपना खून पसीना एक किया है उसको आप अधिक से अधि पैसे में वह जमीन बेचने की कोशिश कर रहे हैं । मैं तो यह भी निवेदन करूँगा कि जब उनसे उस जमीन को मुआवजा देकर सरकार खरीद लेगी और बेचेगी उस वक्त अधिक कीमत होने की वजह से क्या यह मुमकिन है कि गरीब किसान उसको खरीद सकेगा ? इसको खरीदने वाले वे ही होंगे जो अभी जमींदार हैं और जिनके पास पैसा है । इसलिये गरीबों का दर्द दूर अगर आप करना चाहते हैं तो निवेदन करूँगा कि मार्केट वेल्यू के अनुसार जो प्रोपोजल सामने आये हैं उन पर बड़ी गम्भीरता से विचार करके इसे पास करें वर्ना जिनकी भलाई के लिये आप यह बिल ला रहे हैं उनकी भलाई नहीं होने वाली हैं ।

सभापति महोदय, परिवार की संख्या शुरू में कमेटी के द्वारा यह सुझाई गई ..

(समयसूचक घंटी)

श्री सभापति : Be brief please.

श्री रामचन्द्र : पाँच मिनट और । कि ५ के बजाय ७ कर दी जावे । बहुतों के यहाँ इससे घी के चिराग जल गये । पर इसका नतीजा क्या होगा ? यह होगा कि बहुत सी जमीन जो भूमिहीनों को मिलने वाली थी वह नहीं मिलेगी । अब उनको कम मिलेगी । इसलिये भूमिहीनों को जमीन से वंचित करने का यह प्रोपोजल है इसलिये यह निवेदन करूंगा कि कमेटी ने जैसा प्रोपोजल

Page No.65

(श्री रामचन्द्र)

दिया है उसको मानकर जमीन बांटी जावे यही प्रोपोजल माना जावे।

अंत में दो बातों पर और सूक्ष्म रूप से निवेदन कर देता हूं। पहली बात है ट्रान्सफर्स की। आज ट्रान्सफर के ऊपर इतना वाद विवाद खड़ा हुआ उसका मुख्य जिम्मेवार कौन है ? कमेटी की रिपोर्ट का देरी से आना और बिल पेश होने के लिए देरी लगाना। यदि यह काम जल्दी हो जाता तो आज ट्रान्सफर्स के ऊपर जो विवाद हो रहा है वह नहीं होता। जबकि लोगों को यह मालूम हुआ कि सन् '५३ में कि जमीनों के ऊपर सीलिंग लागू होने वाली है और जमीनें हमारे पास नहीं रहेंगी तो उन्होंने जमीनों को किसी तरह से बेचा और जायज और नाजायज तरीके से दूसरों के नाम कराने का काम आज से नहीं सन् '५३ से शुरू है यानि पिछले ६ वर्षों से शुरू है। अब इस समय सलेक्ट कमेटी ने जो फैसला दिया है वह कहती है कि सन् '५३ से नहीं बल्कि १ जनवरी, ५७ के बाद जिन जमीनों का ट्रान्सफर हुआ है केवल वही अवैधानिक समझी जायें और इससे पहले '५३ से लेकर ३० दिसम्बर, '५६ तक जितने भी ट्रान्सफर्स हुए हैं वे लीगल समझे जायें। यह एक तरह की असमानता है, यह भी बड़ी सोचने की बात है। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि सन् '५३ से जब से कि राजस्थान सरकार ने सीलिंग लाने का विचार प्रकट किया और इसकी कार्यवाही शुरू हुई उसी दिन से और उसके बाद में जिन जमीनों का ट्रान्सफर हुआ है नाजायज तरीके से, सब अवैधानिक समझी जायें।

अंत में एग्जम्पशन के बारे में दो शब्द कहूंगा। जो एग्जम्पशन दिये गये हैं, नवाजिब हैं। इसमें बहुत से प्रपंच होंगे और सरकार को कई प्रकार से धोखा दिया जावेगा और सरकार से जमीन भी ले ली जावेगी और रुपया भी ले लिया जावेगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस तरह के एग्जम्पशन्स जो भिन्न भिन्न नामों से दिये गये हैं वे बिल्कुल बन्द कर दिये जायें। इससे क्या होगा कि सहकारिता की भावना जो आज सरकार पब्लिक में फैला रही है उस भावना को ठेस पहुँचेगी। अगर वे चाहते हैं कि बड़े बड़े खेत लगा करके कारखाने चलाये जायें तो बेहतर यह है कि एक वे सोसायटी बनायें और सोसायटी के नाम से जमीन लें और अपना कारखाना कायम करें तो दूसरी बात है वर्ना किसी एक पार्टीक्यूलर आदमी को बहुत सी जमीन फार्म के लिये दे दें तो यह ठीक नहीं है इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा...

श्री तनसिंह (बाडमेर): सभापति महोदय,...

अनेक माननीय सदस्य : सभापति महोदय-

श्री रामचन्द्र : मुझे जरा समाप्त तो और करने दीजिए। इसलिये मैं यही निवेदन करूंगा कि यह बहुत गम्भीर विषय है और इसको बहुत सोच समझ कर पास करना चाहिए।

श्री सभापति : श्री सज्जन सिंह।

श्री सज्जन सिंह (बूँदी): श्री सभापति महोदय,

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Member to be a bit brief because we have to finish the debate at 3.30.

Page No.66

श्री सज्जनसिंह : Pardon Sir ?

श्री सभापति: I was requesting the Hon'ble Member to be a bit brief as we have to finish at 3.30, then the Hon'ble Minister will reply.

श्री सज्जनसिंह : My submission is that since some of the speakers previous to me had taken more than an hour, this imposition of time limit for me, I feel, would not be fair. At least I should be permitted to lay down the facts. I assure the Chair that I will do my level best to put my views in brief.

श्री सभापति : The Hon'ble Member should be assured that there is nothing unfair from my side. I have requested all the members and similar is the request to him.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उनको टाइम दिया गया है वैसे ही सब को मिलना चाहिये। यह एक इम्पोर्टेन्ट चीज है। अगर इसके लिए एक दिन और भी रखा जाये तो क्या बात है ?

श्री सज्जनसिंह : सभापति महोदय, गत दो तीन रोज से सीलिंग बिल के ऊपर जो जो सलेक्ट कमेटी से..........

श्री सभापति : Just a minute. If all the members feel that the time for the debate should be extended...

एक माननीय सदस्य : टाइम बढ़ा दीजिए।

श्री सभापति : The best course would be to ask your representatives in the Business Advisory Committee sitting just now in the Dy. Speaker's Chamber to finalise the time limit otherwise I will be too reluctant to do anything, and the reply of the Hon'ble Minister will take place at 3.30.

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सभापति महोदय, इसको एक्सटेन्ड कराना इसलिए जरूरी नहीं है कि आगे चने की फसल आ रही है और गरीब काश्तकार इन्तजारी में हैं... (हँसी)

श्री सभापति : The Bill in anyway cannot be passed today. Pakistan is not going to attack us. Debate means the reasonable debate.

श्री सज्जनसिंह (बूंदी): सभापति महोदय, जैसा आपने फरमाया कि इस सिलसिले में स्पीकर महोदय से निवेदन किया गया था क्योंकि यह बड़ा अहम मसला था और बड़ा इम्पोर्टेन्ट बिल है और इससे हमारा आर्थिक स्ट्रक्चर जो इस समय वह चेन्ज होने जा रहा है इसलिए इस पर हर एक विचार धारा के सदस्यों के बोलने के लिए अवकाश देने के लिए और जनरल डिसक्शन के लिए एक दिन का पूरा समय और देना चाहिए और मैं समझता हूँ कि स्पीकर महोदय इस प्रार्थना को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें डिसकस करेंगे और जैसा आपने फरमाया अगर माननीय सदस्य कुछ एप्रोच करने के लिए प्रयत्न करें तो समझता हूँ कि और भी अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, गत ३ दिनों से इस बिल के ऊपर माननीय सदस्य मुख्तलिफ

(श्री सज्जनसिंह)

पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। प्रारम्भ में मेरी इच्छा नहीं थी क्योंकि मैं सलेक्ट कमेटी का मेम्बर था। लेकिन जैसे जैसे मैंने भाषण सुने और जिन जिन दृष्टिकोणों से इस पर विचार व्यक्त किये गये और जिस तरह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हाउस के सामने रख कर एक डिस्टोरटेड व्यू से रखने का प्रयास किया गया तो मेरी इच्छा हुई कि स्पष्टीकरण के लिए अपने विचार और सीलिंग कमेटी की मन्शा हाउस के सामने रखने का प्रयत्न करूं। मैं इसी उद्देश्य से हाउस के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैंने अब तक जो माननीय सदस्यों के विचार सुने मुझे उधर बैठने वाले सदस्यों के विचारों के मुताल्लिक कुछ नहीं कहना है। उनके अपने विचार हैं और वे अपने विचारों के अनुसार उन्हें व्यक्त करते हैं। लेकिन सभापति महोदय, जब मैंने कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों के विचार सुने तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा दुख हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जिस पार्टी की सरकार है और जिस कांग्रेस पार्टी का बहुमत है और एक रेवेन्यू मिनिस्टर कि जो रेवेन्यू के मामलात के लिए एक टैकनिकल आदमी माने जा सकते हैं और उनके नेतृत्व में जो बिल पाइलट हो कर के सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के रूप में हाउस में आया है उसके मुताल्लिक जो विचार व्यक्त हुए उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। सब जानते हैं कि इस समय देश के एडमिनिस्ट्रेशन का सारा भार कांग्रेस सरकार के ऊपर है और यूनियन से लेकर प्रत्येक स्टेट के अन्दर कांग्रेस सरकार इस देश की अनेक गुत्थियों के साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए प्रयत्न कर रही है। जब देश के एडमिनिस्ट्रेशन का उसके ऊपर भार है तो सब पहलुओं पर विचार करके कदम उठाना पड़ता है। जिस प्रकार एक रक्तहीन क्रान्ति देश में हुई है और जैसा अन्य साम्यवादी देशों में हो रहा है उसके विपरीत यहाँ की अर्थ व्यवस्था को और समाज व्यवस्था को बिना किसी तरह के डिस्टरबेन्स के आगे चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है उसके अन्दर सहयोग देना था। बजाय इसके, कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाना उचित समझा है कि सरकार का एक और किसी तत्व विशेष से गठबन्धन हो गया है।

एक माननीय सदस्य ने, जो यहां उपस्थित नहीं हैं मुझे खेद है, वे उपस्थित होते और सुनते, यहां तक कह डाला कि यह सीलिंग बिल लैण्ड परचेजिंग बिल है, और आवेश में आकर उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिन आदमियों को इस सीलिंग से असन्तोष है वे जमीन छोड़ कर चले जायं और कोई कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक इसका उपयोग किया है। भरतपुर जिले से आनेवाले एक माननीय सदस्य, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूँ वे वयोवृद्ध हैं, उन्होंने समाजवाद के आवेश में आकर यहां तक कह डाला कि हमारे यहाँ की स्थिति दूसरे देशों से भिन्न है और जो लोग जेन्टिलमैन फार्मर्स हैं वे यह स्वप्न देख रहे हैं कि उनके घर में भी रेडियो हों, मोटर कार्स हों, टेलीफोन हों, उनका पक्का मकान हो। वे अच्छे कपड़े पहिनें, उनके लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। हमारे यहां तो फूस के झोंपड़े हैं और यही रहेंगे। सभापति महोदय, समाजवाद के लिए किसी का विरोध नहीं है। समाजवाद के सिद्धान्त को कांग्रेस के सब लोग स्वीकार कर चुके हैं

Page No.68

(श्री सज्जनसिंह)

और उसी समाजवाद के अनुसार चलने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो सीलिंग बिल हाउस के सामने आ रहा है, राजस्थान में पेश किया जानेवाला है यह उसी की एक परिशाखा है। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि जिस समाजवाद की दुहाई देकर और यहाँ हाउस के सामने ऐसा विचार, ऐसा एक वातावरण पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है कि अगर ३० स्टैन्डर्ड एकड़ रख दिया गया, मार्केट वेल्यू दे दी गई, कुएँ की जमीन को अगर बारानी जमीन के मुताबिक रख दिया गया, एग्जेम्पशन्स दे दिये गये तो अनर्थ हो जायगा और भूमिहीन काश्तकारों को एक बीघा भी जमीन नहीं मिलेगी। सभापति महोदय, मेरी समझ में या तो यह हो सकता है कि उन्होंने सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट को जो फिक्सेशन ऑफ होल्डिंग के बाबत गवर्नमेंट ने पहले मुकर्रर की थी उसे नहीं पढ़ा है और दूसरे आंकड़ों को उन्होंने नहीं देखा है इसलिए ऐसा कह दिया होगा या फिर वे अपने लिए समाजवाद दूसरी तरह का सोचते हैं और देहात के लोगों के लिए दूसरा सोचते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ और ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि जिनके स्वयं के एक, एक लाख के बंगले हैं, बड़े बड़े शहरों में हवेलियाँ हैं, मोटर कार और टेलीफोन उनके पास हैं यानि सारी मोडर्न एमेनिटीज़ हैं वे उन्हें उपलब्ध हैं फिर भी वे समाजवाद की दुहाई देकर फार्मर्स के लिए जिन्होंने अपना स्टेन्डर्ड मेन्टेन किया हुआ है उनके लिए यह भावना व्यक्त करते हैं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ नहीं होना चाहिए, वह बहुत ज्यादा है। अगर यह होगा तो गरीब काश्तकारों को कुछ नहीं मिलने वाला है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आखिर इतनी कितनी ज़मीन है कि जो इन लैण्डहोल्डर्स के पास से लीजाकर भूमिहीन काश्तकारों में वितरित की जा सकेगी। इस तथ्य को अगर देखा जाय तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिस अनुपात में, जिस स्टेन्डर्ड से सरकार ने सीलिंग मुकर्रर करने का विचार किया है उस अनुपात को यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि लैण्ड लॉर्ड को वह जमीन सुरक्षित कर दी जाती है तो फिर भी उनके पास से कितनी जमीन आती है और फिर उनके पास से आने वाली जमीन को क्या जिसको हम इस रूप से हाउस के सामने रखते हैं कि लैण्डलेस की, भूमिहीनों की जो संख्या है वह संख्या उस जमीन से पूरी हो सकेगी?

मैं हाउस की जानकारी के लिए यहाँ यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि लैण्ड होल्डिंग्स की जो राजस्थान के अन्दर डिफरेन्ट केटेगरीज हैं उनकी संख्या, उनका एरिया क्या है? यह कमेटी for fixation of ceiling on Agriculture holdings राजस्थान सरकार ने '५३ के अन्दर मुकर्रर की थी। उस कमेटी के अन्वेषण के फलस्वरूप जो उन्होंने केटेगरीज मुकर्रर की हैं वे इस प्रकार है:--

१. एक हजार एकड़ और उससे ऊपर की जो होल्डिंग्स हैं उनकी संख्या है ५६० औरउनके पास जो रकबा है वह है १०,८२,३१६ एकड़। ५६०

२. जोहोल्डिंग्स ५०० एकड़ से ऊपर की हैं उनकी संख्या ऐसे होल्डिंग्स की है १०१८

(श्री सज्जनसिंह)

३. इस प्रकार से ३००एकड़-वालों की संख्या है १८६५

४. और २०० एकड़ वालों की है ... ३२३१

इन होल्डिंग्स की टोटल संख्या ६,६,७४ है और इनके पास इस वक्त प्रेजेन्ट पजेशन की जमीन है वह ३४,४३,२६४ एकड़ है।

सभापति महोदय, मैं हाउस को आपके द्वारा यह निवेदन करता हूँ कि सरकार ने ३० स्टेन्डर्ड के एकड़ की सीमा मुकर्रर की है। इसलिएउससीमा के अनुसार हमयह मान कर चलें कि उनके पास यह जमीन रहने दी जाय तो कितनी जमीन इनके पास रह जायगी । मैं निवेदन करता हूँ कि ६,६,७४ को ३० से गुणा किया जाय तो १,६६,२२० लाख एकड़ जमीन रहती है। मान लिया जाय कि यह सिंचित एरिया है इसलिए उनको बारानी में कनवर्ट करके इस एरिया को बताना उचित है तो जैसा इस वक्त मत है कि सीलिंग सेटेलमेंट के अनुसार एक इर्रिगेटेड एकड़ ३ अनइर्रिगेटेड एकड़ बारानी के अनुसार माना जाता है तो उसी हिसाब से इस एरिया को मल्टीप्लाई करें तो ५,८७,६६० एकड़ जमीन आती है । सभापति महोदय, जो टोटल एरिया लैण्ड होल्डर्स के पास इस सीलिंग के द्वारा रहने-वाला है उसकी कुल संख्या होगी ५,८७,६६० एकड़।

मेरे एक माननीय मित्र हाउस के सामने एक पिक्चर रख रहे थे कि सरकार ने जागीरदारों के साथ गठबन्धन कर लिया है। सारा एरिया जितना भी होनेवाला है वह सब जागीरदारों के लिए सुरक्षित कर दिया है। मैं यह फिगर आपके सामने सरकारी रेकॉर्ड और ऑफिशियल कमेटीज के रेकॉर्ड से पेश कर रहा हूँ और उनके पास में जो सीलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन से लिए जमीन एवेलेबल है उस जमीन को निकाल देने से अब जो उनके होल्डिंग्स पर वे छोड़ेंगे उसके बाद २८,६५,६०४ एकड़ जमीन उनसे लेकर भूमिहीनों में वितरित होगी।

अब सवाल यह आकर पड़ता है कि हमारे यहाँ यह भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ भूमिहीनों की बड़ी विषम समस्या है। सभापति महोदय, आपकेद्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के ऑफिशियल रेकॉर्ड के मुताबिक भूमिहीन एग्रीकलचरिस्ट् लेबरर्स की जो हमारी संख्या है वह ४.३८ परसेन्ट है हमारी जनसंख्या की लेकिन इसके विपरीत मद्रास के अन्दर ५.३ परसेन्ट, मैसूर में.४८ परसेन्ट, करेल में ३५ परसेन्ट, मध्य-प्रदेश में ३१ परसेन्ट, हैदराबाद में ४२ परसेन्ट और बिहार में ३६ परसेन्ट है। वहाँ पर सीलिंग का जो मद रखा गया है वह पंजाब के अन्दर सभापति महोदय, ३० स्टेन्डर्ड एकड़ है और यही नहीं वहाँ हरेक व्यक्ति, स्त्री, पुरुष और बच्चे, जितने भी घर के आदमी हैं वे व्यक्तिगत रूप से ३० स्टेन्डर्ड एकड़ अपने लिए खुदकाश्त के लिए रख सकते हैं। यू० पी० में ३० और ४० स्टेन्डर्ड एकड़ के बीच के अन्दर प्रस्तावित बिल चल रहे हैं। इसी प्रकार बम्बई और मध्यप्रदेश के अन्दर, मैं समझता हूँ कि ४० स्टेन्डर्ड एकड़ वहाँ पर तजवीज किया है। आन्ध्र के अन्दर ५,४०० रुपये आमदनी पर तजवीज हुआ है और हैदराबाद में ३,६०० की आमदनी के ऊपर मुकर्रर हुई है। मैं थोड़े में निवेदन कर दूं कि

(श्री सज्जनसिंह)

यह जहाँ रुपये के अन्दर सीलिंग मुकर्रर की गई है वहाँ नेट इन्कम और जहां स्टेंडर्ड एकड़ मुकर्रर किया गया है वहां फर्स्ट क्लास ए नंबर की चाही जमीन को स्टेन्डर्ड माना गया गया है। तो मैं हाउस के सामने यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो रूप इस सीलिंग बिल का प्रस्तावित तजवीज के फल-स्वरूप हाउस के सामने रखा गया है वह बिल्कुल उचित है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इतने पढ़े-लिखे और इन्टेलिजेन्ट आदमी हैं उनको ज्ञान न हो कि दूसरी स्टेट्स में क्या हो रहा है और उनके मुकाबले में हमारी स्टेट में क्या करने जा रहे है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जागीरदार जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनकी छाया उनके दिमाग में अब तक वर्तमान है और उनकी छाया को लेकर यहाँ ये स्लोगन्स और आडम्बर हाउस के सामने प्रकट करना चाहते हैं कि ३० एकड़ पर सीलिंग रखी गई तो भूमिहीनों को कुछ नहीं मिलने वाला है।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक तथ्य और है जिसको हाउस के सामने नहीं रखा गया है सीलिंग कमेटी द्वारा कि १ करोड़, ३७ लाख एकड़ जमीन काश्तकाबिल ऐसी और है जो काश्तकारों को वितरित की जा सकती है। इसके अलावा एक और फेक्टर सीलिंग कमेटी जो मुकर्रर हुई थी उसके सामने नहीं था और अब नया आया है वह राजस्थान केनाल। इस राजस्थान केनाल के फलस्वरूप रेगिस्तान में जहाँ एक दाना भी पैदा नहीं होता था और मनुष्य जहाँ जिन्दा नही रह सकता था वहाँ पर ६० लाख एकड़ जमीन इससे प्रभावित होगी। १ करोड़, ३७ लाख एकड़ जमीन और ६० लाख सिंचित भूमि और २८ लाख एकड़ जो जमींदारों के पास थी और जो इस सीलिंग के फलस्वरूप भूमिहीनों को मिलनेवाली है उस सबको मिलाकर ४,३८ परसेन्ट जो भूमिहीन लोग हैं उनमें विभाजित करेंगे तो आपको विदित होगा कि १०० एकड़ से ऊपर उनके हिस्से में भूमि आयेगी। ५ एकड़वालों पर भी विभाजित करें तो मेथेमेटिकल केल्कुलेशन का प्रश्न है, ३० से ३२ एकड़ प्रति परिवार मिलेगी। ऐसी सूरत में हाउस के सामने यह तस्वीर रखना कि यदि ३० एकड़ रखा तो इससे अनर्थ हो जायेगा, भूमिहीनों को कुछ नहीं मिलेगा, मैं खेद के साथ कहता हूँ कि उनकी भावना यह हो सकती है कि क्लासवार क्रिएट की जाय या इस प्रकार की भावना पैदा की जाय। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र ऐसी बात करें जो तथ्य से परे हो और जो वास्तव में हमारी व्यवस्था को इस तरह से छिन्न-भिन्न करदे और जिनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग किसी कारण से ऊँचा रहा है उनको संकट में डालें और भिखारियों की तरह रखें। आप उनके लिये १५०) रु० माहवार की व्यवस्था करना चाहते हैं। यह है आपका विस्थापित जमींदारों के प्रति ह्यूमन एप्रोच। उन्हें सुन कर मुझे दुःख हुआ इसलिये मैंने मुनासिब समझा कि ये फेक्टस हाउस के सामने रखूं।

सभापति महोदय, अब तक जो भाषण हुए हैं उनमें एक तो इस बात पर जोर दिया गया था यदि यह सीलिंग ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पर मुकर्रर की तो भूमिहीन काश्तकारों को कुछ नहीं मिलनेवाला है। दूसरा जोर इस पर था कि मुआवजा अगर मार्केट वेल्यू पर मिला तो अनर्थ हो जायेगा

(श्री सज्जनसिंह)

और तीसरा जोर इस बात पर था कि यदि एग्जेम्पशन सरकार ने जो देना तय किया है वह मिल गया तो और भी अनर्थ हो जायगा। मैं एक एक करके आपके सामने अपने विचार रखने का प्रयत्न करूंगा और कोशिश करूंगा जिसमे सारे तथ्य मालूम हो सकें और सदन सही विचार कायम कर सके।

जैसा कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के बारे में इतना हल्ला किया जा रहा है कि भूमिहीन काश्तकारों को इससे कुछ नहीं मिलनेवाला है, इस सिलसिले में मैंने आंकड़े हाउस के सामने रखे। अब जिनके पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन रहनेवाली है उनकी स्थिति क्या होगी यह भी सुन लीजिये। सभापति महोदय, हमने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का प्रावधान रखा है और शायद क्लॉज ३० (सी) में। मोस्ट प्रोबेबली उसमें स्टेन्डर्ड एकड़ की परिभाषा यह है कि जिस जमीन में १० मन गेहूं पैदा हो सकेगा वह स्टेन्डर्ड एकड़ माना जावेगा और ऐसी ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन एक आदमी के पास अधिक से अधिक होगी। इसको १० से गुना किया जाय तो कुल प्रोडेक्ट ३०० मन होगी और जैसा कि तय किया गया है, १२) रु० प्रति मन का भाव मुकर्रर करके वार्षिक कीमत फलाई जाती है तो कुल ३,६००) रु० होते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब इसे स्वीकार करेंगे कि यह ग्रोस इन्कम है, नेट इन्कम नहीं है। क्योंकि सीधा १० मन की उपज मुकर्रर करके ३० एकड़ को फलाकर १२ से गुना करके ३,६००) रु० किये हैं तो यह ग्रोस इन्कम ही हो सकती है नेट इन्कम नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, सेटलमेन्ट के सिद्धान्त के अनुसार और एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के सिद्धान्त के अनुसार काश्तकार को अपनी उपज का ५० पर्सेन्ट खर्चे के लिये बाद दिया जाता है। यह मैं अपनी बात नहीं कहता हूं। सेटलमेन्ट सरकार का एक टेक्निकल डिपार्टमेन्ट है जो टेक्निकली सारे तथ्यों को ध्यान में रख कर लैंड रेवेन्यू को फिक्स-अप करता है। इस डिपार्टमेन्ट द्वारा दी हुई छूट की बात अर्ज करता हूं। दूसरा एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स डिपार्टमेन्ट है जो काश्तकारों से टैक्स वसूल करता है वह भी ५० पर्सेन्ट खर्चा बाद देता है। ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, जो नेट इन्कम काश्तकार की होगी वह १,८००) रु० साल भर की होगी और यह प्रति माह १५०) रु० होगी और ५ आदमियों की फेमिली में डिवाईड करें तो ३०) रु० माहवार प्रति व्यक्ति आकर पड़ती है। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार के फोर्थ क्लास सर्वेन्ट को ७५) रु० प्रति माह देने का प्रावधान करते हैं। अब जो ऑफिसर हैं जिनको ४,०००) रु० महीना मिलता है उनकी बात छोड़ दीजिये। यह है एक समृद्धिशाली काश्तकार का हाल। ऐसी हालत में क्या ३० स्टेन्डर्ड एकड़ बहुत ज्यादा होगी और राजस्थान इसे एफोर्ड नहीं कर सकेगा ?

सभापति महोदय, कई लोगों ने सुझाव दिया है कि काश्तकार फालतू टाइम में दूसरा काम कर सकते हैं। ऐसी सलाह वे ही आमदनी देते हैं जिन्होंने खेती का काम कभी किया नहीं है। खेती का काम करने वाले समझते हैं कि काश्तकार के पास, अच्छे काश्तकार के पास खेती के अलावा और समय नहीं बचता। यदि कोई काश्तकार ऐसा निरभागी

(श्री सज्जनसिंह)

है, टीक तरह से काम नहीं करता है उसकी बात दूसरी है, लेकिन अच्छे काश्तकार को समय नहीं मिलता। यदि वह कुछ कर सकता है तो पशुपालन आदि कर सकता है, लेकिन मेरे मित्रों ने पशुपालन को साइड इन्कम का जरिया बताया है। मैं इसके बारे में फिर अर्ज करूंगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि सबसे अधिक समृद्धिशाली काश्तकार होंगे उनकी १,८००) रु० आमदनी होगी। यह कहा जाता है कि यह तो चंद लैंड होल्डर्स की बात है, आखिर काश्तकारों का जनसमूह कभी प्रभावित नहीं होगा। ये बातें कहना भुलावे की बात है। जहाँ जीविका उपार्जन का एकमात्र साधन जमीन है वहाँ यदि उच्चतम सीमा निर्धारित की है तो उसका मायना यह हुआ कि आइन्दा कोई काश्तकार ३,६००) रु० ग्रोस इन्कम से ज्यादा इन्कम की जमीन नहीं रख सकेगा। अगर इसके विपरीत यह दलील दी जाय कि वह उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसकी तरक्की करेगा, जो ऐसा कहते हैं वे भूलते है कि इन्वेस्टमेंट करके उसकी तरक्की के अन्दर उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जो मौजूदा खर्चा करते हैं, उससे कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा। उससे जो प्रपोरसेनेटली लाभ होगा उतना प्रपोरसेनेटली एक्सपेन्डीचर बढ़ जायगा। मैं निवेदन कर रहा था कि जो १,८००) रुपये की आमदनीवाली बात ३०स्टेन्डर्ड एकड़ के लिए लोगों के दिमाग में बैठाई जा रही है और कहा जाता है कि यह बहुत ज्यादा है मैंने आपके सामने जो फेक्ट्स रखे हैं जिनके अनुसार, सभापति महोदय, आइन्दा के देहातों के लिए जो कल्पना करके चलते हैं जिस सलेक्ट कमेटी के प्रपोजल का विरोध किया है उसके अनुसार भी १,८००) रुपये की उस गरीब को आमदनी मिलती है।

यह भी कहा जाता है कि कितने प्रतिशत आदमियों को अफेक्ट करने वाला है। मैं कहता हूं कि २६ हजार होल्डिंग्स ऐसी हैं जो इसके प्रभाव में आनेवाली है। उन २६ हजार होल्डिंग्स को ५ आदमियों के परिवार में मान कर मल्टीप्लाई करें तो १ लाख, ४५ हजार ऐसे जीव मिलेंगे जिनके जीवन स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १ लाख, ४५ हजार आदमी क्या इस राज्य के नागरिक नहीं हैं? जो हमारे मित्र इस समाजवादी की दुहाई देकर बड़े बड़े बंगलों और हवेलियों में बैठ कर सुख का उपभोग करते हैं और जो अपने स्टेन्डर्ड को नीचे ला रहे हैं, अपने को एड्जस्ट कर रहे हैं ऐसे काश्कारों के लिए उनके दिल में गुंजाइश नहीं है? वे चाहते है कि उनकी आमदनी कम कर दी जाय ताकि राह के भिखारी बन जाँय और खोमचा बेचनेवाले और फोर्थ क्लास कर्मचारियों से भी हालत कम हो जाय। मैं नहीं मानता कि सरकार इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखेगी और ऐसा करने के लिए कभी कोई कदम उठायेगी।

कई मेरे मित्रों ने बड़े जोश और खरोश से हाउस के सामने रखा कि जो चाही जमीन बारानी के माफिक रख दी गई है यह अनर्थ हो गया, बड़ा अन्याय हो गया। इससे जमीन नहीं मिलने वाली है। उसके आंकड़े प्रस्तुत किये गये, २१ लाख एकड़ कुँए से सिंचित जमीन है ३३ लाख एकड़ जमीन में से। मैं मानता हूं कि राजस्थान में अत्यधिक संख्या में कुँए से सिंचित जमीन हैं। परन्तु वे जानते हैं कि कुँओं की सिंचाई का एरिया उन प्रदेशों में है जहाँ सिंचाई के दूसरे साधन

(श्री सज्जनसिंह)

उपलब्ध नहीं हैं और वहां लोगों ने अपने खून पसीने से उपार्जित धन उन कुओं के अन्दर लगा दिया है और उनके द्वारा गांव के अन्दर स्टेबल एग्रीकल्चरल फेक्टर क्रियेट कर दिये हैं। सभापति महोदय, यह कहा जाता है कि कुएं खुदवाने के लिए इन्सेन्टिव कायम रखने के लिए आगे के लिए प्रतिबन्ध न लगाया जाय। आइन्दा कुएं खोदें वह जमीन बारानी के समान समझी जाय, यह कहां का न्याय है, कहां का इन्साफ है यह नहीं सोचा ? परन्तु शेखावाटी और मारवाड़ से आनेवाले जो सदस्य हैं वे जानते हैं कि वहां एक कुँए पर १०, १२ हजार रुपया खर्च होता है। खैर, यह जयपुर का इलाका है, जहां पानी ऊँचा है, यहाँ ३, ३॥ हजार से कम रकम एक कुँए पर नहीं लगती। अगर औसतन ६, ७ हजार रुपया खर्च करता है एक गरीब आदमी, तो उस गरीब आदमी के द्वारा कुँए बनाने के कसूर के अन्दर उसकी जमीन को बारानी ट्रीट करने बजाय इर्रिगेटेड ट्रीट करते हैं और ३ बीघा जमीन है, उसकी जगह १ बीघा जमीन छोड़ते हैं। जिस आदमी ने एक स्टेबल एग्रीकल्चरल फेक्टर गांव में क्रियेट किया उस आदमी को आप इस तरह पेनेलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि उसने कुँए से इर्रिगेटेड लैंड बना लिया है इसलिए कुँए को बनानेवाले आदमी से २ बीघा जमीन छीन ली जाय और १ बीघा जमीन दी जाय। मैं समझता हूं यह भूल की जाती है। यह भी कहा जाता है कि कुँए की सिंचाई से जो पैदावार होती है वह ज्यादा होती है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है उनके इस अनुभव और ज्ञान के ऊपर। यदि वे देहात में जाकर इसकी स्टेडी करें तो उनको मालूम होगा कि कुँए की खेती के अन्दर बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यहां हैं नहीं। वे मुझे बीअर आउट करेंगे। उनकी तहसील में बारानी इलाका है। वहां लोग बारानी जमीन में खेती करना ज्यादा पसन्द करते हैं। कारण, उनको लाभ होता है और कम खर्च होता है इसलिए पसन्द करते हैं। अर्ज करने का मतलब यह है कि यदि तह में जाया जाय तो आपको मालूम होगा कि कुँए की सिंचाई में जितना खर्च पड़ता है उसका बारानी जमीन के खर्च और आमदनी से मुकाबला करने में ज्यादा लाभ नहीं होता है। इन दोनों बातों को देखते हुए सरकार ने अपने टेक्नीकल विभाग और रेवेन्यू विभाग की राय से जो कुँए से सिंचित जमीन को बारानी जमीन के साथ इक्वेट करने का निश्चय किया है वह साइन्टिफिक है, उचित है। राजस्थान में आधे से ज्यादा हिस्सा कुँए से सिंचित होता है। जहाँ दूसरे साधन सिंचाई के मौजूद नहीं होते हैं वहाँ यह इन्सेन्टिव कायम रखने के लिए यह निहायत जरूरी प्रोविजन है।

मैं मार्केट वेल्यू के लिए इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर मार्केट वेल्यू का प्रावधान रखा है वह किस उद्देश्य से रखा है। हमारी सरकार ने और कान्स्टीट्यूशन ने प्राइवेट प्रोपर्टी को माना है। यह मान कर कान्स्टीट्यूशन में प्रावधान किया है कि किसी की सम्पत्ति बिना मुआवजा दिये नहीं ली जा सकती है। जब हमारा संविधान यह आदेश देता है तो फिर जिस काश्तकार से उसकी प्राइवेट सम्पत्ति ले रहे है उसके लिए किस न्याय के आधार पर, किस कानून के आधार पर मुआवजा मार्केट वेल्यू के हिसाब से नहीं देना चाहते हैं ?

(श्री सज्जनसिंह)

मेरे मित्र, जो शहरों में रहते हैं, जिनकी सम्पत्ति जमीन के अन्दर नहीं है वे फर्माते हैं कि मुआवजा मार्केट वेल्यू पर नहीं दिया जाना चाहिए। कइयों ने कहा है कि मुआवजा देने की आवश्यकता क्या है? बड़े आश्चर्य की बात है। मैं समझता हूँ दूसरों के लिए उपदेश देना आसान होता है लेकिन खुद पर उपदेश लागू नहीं होते। एक कहावत है :

पर उप देश कुशल बहुतेरे।
जे आचरहिं ते नर न घनेरे॥

उसकी सम्पति को एक्वायर करने का गवर्नमेंट आदेश जारी कर दे तो क्या वे बगैर मार्केट वेल्यू के कम्पेन्सेशन लिये सरकार को पब्लिक वर्क के लिए सम्मति देने को तैयार होंगे?

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): बिल्कुल। जिन्होंने सजेशन दिया है। मैं सारी सम्पत्ति को कन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ अगर आप कोऑपरेट करें तो।

श्री सज्जनसिंह : हो सकता है। आपके जैसा उदारचित्त साधु महात्मा कर सकता है। यहाँ इस समय उन काश्तकारों का जिक्र है जिनकी सारी सम्पत्ति जमीन में निहित है। मैं उनकी तरफ से निवेदन कर रहा हूँ। ऐसे एक्सेप्सन हो सकते हैं जो सारी सम्पत्ति दे सकते हैं। वे धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन सारी जनता ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा मैं मानता हूँ।

तो सभापति मोहदय, मैंने निवेदन किया किमार्केट वेल्यू के लिए कि जिस आदमी की आप जमीन ले रहे हैं उसके लिए सरकार को करना चाहिए। इक्वीटी, जस्टिस और लॉ के माफिक कदम हो जिससे मालूम हो कि आप उसके साथ न्याय कररहे हैं। कई मित्रों ने कहा कि दो तरह के कम्पेन्सेशन कैसे होते हैं? फिफ्थ अमेंडमेंट (टिनेन्सी एक्ट) की धारा में सब-टिनेन्ट के लिए प्रावधान है। उसके अनुसार अगर कोई १२ गुना लैंड रेवेन्यू पे करता है तो वह खातेदारी ले सकता है और यहाँ पर आपने मार्केट वेल्यू कर दिया। यह दो तरह के कम्पेन्सेशन कैसे कर दिये? मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि सब-टिनेन्ट के काश्त करने की वजह से जो राइट एक्रयू हो जाते हैं उनके अनुसार गवर्नमेंट खातेदारी के राइट देती है। उसके विपरीत यहाँ जमीन एक्वायर कर रहे हैं यहाँ उससे उस राइट की—जमीन को, बगैर किसी सब-टिनेन्ट के कन्सीडरेशन के गवर्नमेंट ले रही है इसलिए मैं समझता हूं कि कानून की दृष्टि से उसमें और इसमें बहुत अन्तर है।

ऐसी परिस्थिति में इसको जो सरकार ने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स से परामर्श करके उनकी सलाह से, बहुमत की सम्मति से मार्केट वेल्यू मुकर्रर किया उसको इस तरह कन्डेम करना उनके साथ न्याय नहीं होगा, जिनसे आप एक्वायर कर रहे हैं और जो आपके साथ भूमिहीन किसानों में सरप्लस जमीन वितरण करने को तैयार हो रहे हैं।

अब सभापति मोहदय, मैं एग्जेम्पशन के पोइन्ट को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाउस के दोनों तरफ से, उनके खयाल से अकाट्य प्रमाणों से, आर्ग्युमेंट्स से हाउस के सामने रखा गया कि आखिर इन एग्जेम्पशन के देने से तो सीलिंग का मतलब ही

(श्री सज्जनसिंह)

बिलकुल खत्म हो जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लानिंग कमीशन जैसी टेक्निकल संस्था हमारे देश में है जिसको सभी माननीय सदस्य जानते हैं वह तमाम भारतवर्ष के लिए मॉडल सजेशन्स पुट अप करती है। हमारी सरकार ने राजस्थान की विशेष परिस्थिति को देखते हुए उन एग्जेम्पशन्स को स्वीकार किया। २, ३, बातें मैं आपके सामने रखूँगा और निवेदन करूँगा कि उनकी गुरुता को ध्यान में रखते हुए आप विचार करें कि जो एग्जेम्पशन्स किये हैं उनसे राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था और जनता की माली हालत को बढ़ाने के लिये उचित किया है या अनुचित।

श्री मदनसिंह : एक आदमी के पास शुगर, फैक्टरी है, गार्डन है, कॉटन फैक्टरी है, तो क्या उसके पास इतनी जमीन रखना उचित रहेगा ?

श्री सज्जनसिंह : पहले कृपया आप मेरी सुन लीजिये। शुगर फैक्टरी के सम्बन्ध में न कहकर मैं फ्रूट्स वगैरह के लिये अर्ज करूँगा। अधिक गार्डन्स लगाने के लिए हमारे प्लानिंग कमीशन का सुझाव है, यह केवल राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में है। हिन्दुस्तान भर में गार्डन्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है वह प्रोत्साहन राजस्थान में न देकर इस सजेशन को कंडेम करें, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ हिन्दुस्तान से हमेशा बाहर से ही फल-फूल आते रहें और यहाँ लोगों को फल-फूल न मिल सकें।

इसके साथ ही साथ पशु धन की उन्नति के लिये केटल ब्रीडिंग, शीप ब्रीडिंग के लिए इसमें प्रावधान किया है। माननीय मित्र, जिन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था, ध्यान से सुनेंगे तो मैं निवेदन करूँगा कि हमारा राजस्थान कृषिप्रधान देश है। यहाँ के लिए केटल ब्रीडिंग वन ऑफ दी बेस्ट इन्डस्ट्री है और वूल में राजस्थान का सबसे प्रथम स्थान है। हमारे देश से एक्सपोर्ट होने वाली वूल में ७५ पर्सेंट राजस्थान की वूल बाहर एक्सपोर्ट होती है तो जिस इन्डस्ट्री से हमारे यहाँ लाखों आदमियों को जीविका मिलती हो उस इन्डस्ट्री के इम्प्रूवमेंट के लिये प्रावधान किया जाय उसको इस तरह कन्डेम करना राजस्थान प्रदेश और यहाँ की जनता के लिए कहाँ तक हितकर हो सकता है ? मारवाड़ और शेखावाटी में रहनेवालों को अनुभव है कि मारवाड़ में हर साल मेले लगते हैं। उनमें करोड़ों रुपयों के पशु बिकते हैं और केटल से वहाँ के लोगों को आमदनी होती है। सरकार चाहती है कि जो लोग केटल ब्रीडिंग, वूल ब्रीडिंग फार्म्स रखना चाहते हैं जिससे अच्छे बुल्स और रेम्स मँगा कर पशु धन की उन्नति के लिए रजिस्टर्ड फार्म्स को देकर गौ पालन, भेड़ पालन जो लोग करते हैं उनमें वितरण किया जाय। मेरे मित्र प्रश्न कर सकते हैं कि सरकार खुद इस काम को हाथ में क्यों नहीं ले लेती ? मैं निवेदन करूँ कि कोई सरकार कहीं भी इन बुल्स को ब्रीड नहीं कर सकी है। सब जगह प्राईवेट ब्रीडर्स को देकर पशु धन की नस्ल को डवेलप किया है। वही हमारी सरकार यहाँ करने जा रही है।

तो मैं निवेदन करूँ कि जिस पशु धन का, राजस्थान के एग्रीकल्चर से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है उस पशु धन को इम्प्रूव करने के लिए माननीय सदस्य कहते हैं कि एग्जेम्पशन नहीं दिया जाय तो मैं निवेदन

(श्री सज्जनसिंह)

करूँगा कि अगर आपके सुझावों के माफिक कर लिया जाय तो यह राजस्थान की बहबूदी को ठोकर मारना होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एग्जेम्प्शन्स सलेक्ट कमेटी ने किये हैं वे उचित ही किये हैं। हेवी इन्वेस्टमेन्ट के फार्म्स हैं उन्हें एग्जेम्प्ट किया है, जो बड़े फार्म्स के खिलाफ राय रखते हैं उनको सूरतगढ़ का मैकेनाइज्ड फार्म और उसकी प्रोडेक्शन का अध्ययन करना चाहिये और अध्ययन करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इस तरह एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म्स को मेन्टेन करने से हमारा प्रोडेक्शन बढ़ेगा और आज हमारे देश के अन्दर जो खाद्य संकट है वह दूर होगा।

इन्हीं बातों को निवेदन करते हुए मैं यह निवेदन करूँगा कि जो सलेक्ट कमेटी ने बहुत सोच विचार के बाद में सुझाव रखे हैं, सरकार ने टेक्निकल विभागों की सम्मति से राय लेकर रखा है और मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके सामने विचार रखे हैं। मैं यह निवेदन करूँगा कि सरकार ने बहुत सोच विचार कर ये एग्जेम्प्शन रखे हैं।

३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखने का जिन माननीय सदस्यों ने ऑपोजिशन किया है उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस अनुपात से शिक्षा का देहातों में प्रचार हो रहा है, देहातों में लार्ज स्केल पर प्राईमरी स्कूल्स, हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खोलने का सरकार विचार कर रही है इससे हमारा मकसद है कि देश में कोई अशिक्षित न रहे। पोलिटिकल कॉन्शियसनेस देहातों के लोगों में जो अभी तक अशिक्षित होने से नहीं थी वह अब बहुत स्ट्रोंगली जाग्रत होगी और मैं नहीं चाहता था कि आपके नोटिस में उन शब्दों को लाऊं पर बड़े वेहिमन्स के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्यवश उनके स्टेन्डर्ड को जो अच्छा था उसको इस लेविल पर लाना चाहते हैं कि उनकी १५०) रु० आमदनी रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अच्छी तरह से विचार करें। कुछ ही वर्षों के बाद देहातों के लड़के ग्रेज्युएट्स, लॉ ग्रेज्युएट्स और एम. ए. होकर निकलनेवाले हैं। उन लोगों के लिए क्या आप यह सोचते हैं कि उनका इतना नीचा स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग रखना चाहते हैं? आखिर ह्यूमन एप्रोच आपका होना चाहिये। अगर इनह्यूमन हुआ तो परिणाम सुखद नहीं होगा।

जो प्रतिवेदन, प्रस्ताव सलेक्ट ने आपके सामने रखा है, हालांकि मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि जितना होना चाहिये उतना नहीं है। मैं १,८००) रु० की आमदनी पर्याप्त नहीं समझता। आप उसको भी कम करना चाहते हैं जहाँ कि दूसरे राज्यों में ५,४००) रु० और ३,८०० रु० देना चाहते हैं वहाँ आप यहाँ १,८००) रु० से भी कम करना चाहते हैं।

तो मैं निवेदन करूँगा कि हमारे स्वर्गीय पटेल ने जिस बुद्धिमत्ता के साथ देश की समस्या को हल किया है, मैं समझता हूँ कि आपको ऊँचे उठ कर करना चाहिये और अगर आपने नहीं किया तो जो हम इस वक्त स्वप्न देख रहे हैं कि हमारे यहाँ साईन्टिफिक खेती लोग करेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौनसा ग्रेजुएट बेवकूफ होगा जो देहातों में जाकर १५०) रु० की आमदनी

(श्री सज्जनसिंह)

में अपना जीवन व्यतीत करेगा । नतीजा यह होगा कि जो कुछ देहातों की पोपुलेशन है वह दिनों दिन कम होती जावेगी और केपिटल और दूसरे शहरों में चली आवेगी और हमारे यहाँ साइन्टिफिक और इम्प्रूव्ड तरीकों से खेती का जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, अभाव रहेगा ।

मैं उन शब्दों के साथ पुनः निवेदन करूँगा कि अगर आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते तो कम से कम सलेक्ट कमेटी ने जो प्रतिवेदन रखा है उसको स्वीकार करें और उसमें कोई कठिनाई उपस्थित न करें और मैं समझता हूँ कि उसको स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। उसको जरूर स्वीकार करें। यही लक्ष्य कांग्रेस का और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का था और मैं निवेदन करूँगा कि जिस तरह कांग्रेस शाँतिपूर्ण और बुद्धिमता पूर्ण तरीकों से आगे बढ़ी है उसी माफिक आप आगे बढ़ें।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : सभापति महोदय, मुझे भाषण नहीं देना है। आज के कर्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री को आज जवाब देना है। मेरा यह प्रस्ताव है कि राजस्व मंत्री १६ तारीख को आज के बजाय सफाई दे दें और आज हाउस के माननीय सदस्यों को वाद-विवाद में जिससे अधिक समय मिल जावे। जो सदस्य बोलना चाहते हैं और कुछ माननीय सदस्य बाहर जाना चाहते हैं उनको भी सुविधा रहे। हम १६ तारीख को १ घंटा और सजेस्ट करते हैं। अगर सदन इससे सहमत हो तो।

श्री सभापति : Is that the sense of the House ?

अनेक माननीय सदस्य : Yes.

श्री सभापति : So the resolution is carried, we continue this debate up to 5 P.M. and we shall sit for one hour more on the 19th.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, धन और धरती का एक ऐसा आकर्षिक नारा है कि सबको अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा आकर्षिक नारा किसी एक युग में सत्य हो सकता है, समस्त युगों में यह नारा सत्य नहीं हो सकता। इसलिए यदि हमारे यहाँ आदमियों की कमी होती यानि आबादी कम होती, हमारे राष्ट्रीय धन की उपज में कठिनाई होती तो संभवतः उत्साहित किया जाता कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा भूमि रख कर राष्ट्र में सहयोग दें। लेकिन आज का नारा है उसके पीछे जो परिस्थितियाँ हैं वे एक तो हमारे यहाँ बेकारी का बढ़ना और दूसरा है हमारे यहाँ आबादी का बढ़ना। मैं यह कहूँगा कि रोगी को उसके रोग के इलाज के लिए केवल औषधि ही पर्याप्त नहीं है लेकिन उस की रोकथाम के लिए प्रबन्ध होना भी अनिवार्य है। यदि सीलिंग के लगाने से यह समस्या सदा के लिये हल हो सकती है तो भी कोई बात हो सकती है। मगर मेरा यह निवेदन है कि आज आप ५ आदमियों की एक फेमिली मानकर जमीन वितरण कर दें यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं है, यद्यपि सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में आ चुका है और इसके साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन ने हरएक के लिए यह रक्खा है कि यह

(श्री तनसिंह)

अनिवार्यतः लागू किया जावे लेकिन इसके लिये जो तरीका बताया गया है कि सामाजिक न्याय के तकाजे के माफिक यह किया जाता है यह उचित नहीं है। यदि थोड़ी देर के लिये इसको मान कर चलें तो मैं यह कहूंगा कि इससे सामाजिक न्याय कैसे होगा। आज मानलें कि ५ आदमियों की फेमिली मान कर आपने लाखों आदमियों को भूमि का बँटवारा कर दिया। बँटवारा आपने आज किया। आगे आबादी जो बढ़ती जा रही है उसको आप रोक नहीं सकेंगे। आबादी बढ़ेगी और वह फेमिली जो आज ५ आदमियों की है वह ७ आदमियों की और १० आदमियों की बन जावेगी। जमीन तो इलास्टिक नहीं है कि वह भी उसी तरह बढ़ जाये, जमीन तो उतनी ही रहेगी। इसी तरह से आज जो जायज ३० स्टेन्डर्ड एकड़ को हम मानते हैं और समझते हैं और आज समिति उसका हल निकाल सकती है लेकिन कल जब जमीन कम हो जावेगी और आबादी बढ़ जावेगी उस समय ३० एड़क भूमि वाला पूँजीपति कहलावेगा और फिर वही बात पैदा होगी जो आज हो रही है और वही स्थिति पैदा होने वाली दिखाई देती है। आज हम सामाजिक न्याय की बात कहते हैं वह अन्याय की बात उस समय हो जावेगी। धरती के बँटवारे से हमारी समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके अलावा हम केवल धरती से ही समस्या का हल निकालने की ओर नजर क्यों रखते हैं? आपकी नजर दूसरे राष्ट्रीय धन की ओर क्यों नहीं जाती? इस तरफ हम हमेशा कदम उठाते हैं जिसमें निर्माण की की मात्रा कम है। धरती का जो कदम बँटवारे का है वह पोजेटिव कदम नहीं है वह तो निगेटिव कदम है। जो ऊपर बैठा हुआ है, जिसके पास जमीन है उसकी जमीन छुड़ा कर आप और गरीब बनाने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं जिससे गरीब को अमीर बना सकें। आज यह कहा जावे कि सब गरीब से अमीर बन जावेंगे तो मेरा यह कहना है कि इसमे (जमीन के बँटवारे से गरीब से अमीर नहीं बन जावेगा। जो ३० एकड़ स्टेन्डर्ड का मापदंड आपने माना वह उसको मिल जावेगा तो भी जीवन का स्तर दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और आज विज्ञान के कारण मानव समाज की प्रगति ने हमारे जीवन स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया है कि आमदनी का जो कदम है वह पीछे पड़ रहा है और प्रगति आगे बढ़ रही है। अगर कोई ३० एकड़ से संतोष कर ले तो कोई बात नहीं। आज हर कोई यह चाहता है कि जितना हम और धान जमीन से उपजा सकें पैदा करना है। मगर जिस समय यह सीलिंग लग जावेगा तो मैं समझता हूँ कि सीलिंग के द्वारा यह बात नहीं रहेगी। सीलिंग के द्वारा यही होगा कि जिस प्रकार एक पंडित ने काशी में जाकर विद्या पढ़ ली और उसने यह सीखा की सभी रोगों का विधान एक और वह यह है कि पेट की खराबी से बीमारियें होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि किसी का गधा गुम गया हो तो भी उसको जुलाब दे दो, किसी के महमान आ गया हो तो भी उसको जुलाब दे दो। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से उनके रोगों का इलाज होगा जिस तरह से उस पंडित का निदान था। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सर्व समिति का हल नहीं है। हमेशा काम में आने वाली बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हम औद्योगिकरण को बढ़ावें। राजस्थान में जिससे लोगों

(श्री तनसिंह)

को लगाया जा सकता है और बेकारी दूर हो सकती है। मगर आप इसको छोड़ कर सामाजिक न्याय की बात कहते हैं। मैं यह कहूंगा कि आपका यह नजला भूमि पर ही क्यों उतर रहा है और क्या आपका यह नजला हमेशा के लिए न्याय रहेगा ? आपकी कलम चलती है, आपका शासन चलता है और वह उन्हीं पर चलता है जो खून की कमाई से पैसा प्राप्त करते हैं। यदि यही सरकार की मन्शा हो कि वे न तो मर सकें और न अन्न का भोग अच्छी तरह से कर सकें और हमेशा परेशान हों और उन पर एक बारीक पतले धागे से या घोड़े के पूंछ के बाल से बंधी हुई तलवार लटकती रहे जिस समय वे अपने भोजन करने को बैठें और भोजन की थाली उनके सामने हो तो भी वे भोजन नहीं कर सकें और बेभोजन देख करही प्रसन्न होतेरहें....

यदि आज आप ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखते हैंतो कल्पना कोई करसकता है कि एक किसान ३० एकड़ का मालिक इसी राजनीति में भाग लेकर, प्रजातन्त्रीय प्रणाली में आकर, कभी असेम्बली में बैठ सकता है ? आज हमारी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि एक व्यक्ति के लिए खर्चा करना लाजिमी है और कानून के अनुसार ५, ६ हजार रुपया तो जायज करार दिया गया है। किसान के सामने भोजन परोसा हुआ है, हमारे देश में स्वतन्त्रता आई और आज हमारे यहां प्रजातन्त्र फल रहा है, फूल रहा है, ऊपर से उसके ऊपर घोड़े के बाल से बंधी हुई तलवार लटक रही है। अन्न की उपज यहां हुई है क्या इस समस्या से वह भोजन खा सकता है? आप चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे किसान को भोजन मिल जाय। आप चाहते हैं उसको आगे बढ़ाना, वह आगे बढ़ना चाहिए लेकिन आप उसको मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते, असेम्बली में लाना नहीं चाहते, उसे चाहते हैं कि वह मोटर खरीदे नहीं, क्योंकि वह कहीं ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर शहर के साथ कम्पीटिशन न कर ले। इसलिए आपका यह जो सामाजिक न्याय देने का है वह केवल एकमात्र ढकोसला है। उसके ऊपर आपने एक इन्कमटैक्स लगा रखा है। जमीन का टैक्स, लगान काश्तकार के लिए लाजिमी है। उसको एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स देना भी लाजिमी है और अब तीसरा उसके ऊपर सीलिंग लगा कर उसकी पूरी आमदनी का जरिया रोकना चाहते हैं। क्या यही सामाजिक न्याय है आपका ? क्या इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं कि एक खाट है उस पर एक आदमी सो रहा है और १० आदमी हैं तो उस पर टांग एक एक रख दें ? (हँसी) एक ऊपर सो गया तोदूसरे कहां जांय ? कोई मौज करें तो कोई बात नहीं। आज आवश्यकता इस बात की है कि या तो १० मांचे तैयार किये जांय, दूसरे रास्ते खोले जांय, यदि जमीन नहीं बढ़ सकती है तो दूसरे तरीके उपलब्ध किये जांय तब ही सब को सामाजिक न्याय मिल सकता है। इसको सामाजिक न्याय कहना कि २ रोटी हैं, खाने वाले १० और उससे ज्यादा हैं तो एक एक कण ही बांट लीजिये, अधिक रोटी नहीं बढ़ा सकते, यह कोई सामाजिक न्याय नहीं होता है। इसकी आज आवश्यकता है नहीं कि इस प्रकार का सामाजिक न्याय दें। जो सीलिंग कमेटी के द्वारा ढांचा तैयार किया गया है वह कोई हमारी समस्याओं का समुचा हल नहीं है। यह तो राजनीतिक तरीके पर लोगों का मुंह बन्द करने की बात है। ग्रामीण जन आगे बढ़ रहे हैं, उनके रास्ते में रुकावट

(श्री तनसिंह)

पैदा करने का, उनके सहज शक्ति और विकास के जो साधन हैं उनको कुंठित करने का यह एकमात्र साधन अपनाया गया है । मैं नहीं समझा कि आप अपना उस प्रकार का सारा सामाजिक न्याय शहरों में, जयपुर, जोधपुर और बड़े बड़े जो शहर हैं जहाँ लाखों लोग बसते हैं क्यों नहीं बांटते ? यह तो जहर है जिसको सामाजिक न्याय का नाम देकर बाँटना चाहते हैं वह गाँवों में ही क्यों उपलब्ध हो ? आज हमारे सामने सिद्धान्तों की बातें कही जा रही हैं। हमारे सामने नारा लगाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि हम गाँवों के हित में आगे बढ़ रहे हैं। जमीन और खेती करनेवालों के साथ न्याय कर रहे हैं, यह केवल एक नारा है। इस सीलिंग विधेयक से यह हल नहीं दिखाई देता है। यह तो केवल हल दिखाई देता है येन-केन प्रकारेण ग्रामीण जनता को सामाजिक न्याय की बातें कह कह कर उनको चुप रखने की बातें हैं उलटे तरीके से। अपने आप मौत से नहीं मरें, गले पर घोड़े के बाल से तलवार लटक रही है, गला काट दिया जाय तो आफत तो छूटे। लेकिन इसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि तुमको यह इस प्रकार का जहर दिया जा रहा है कि धीरे धीरे तुम तड़फते हुए मरो, जल्दी नहीं। यह एक भयानक षड्यन्त्र है। शहरी लोगों के दबाव में आकर उनके पैसे के बल पर आज की सरकार ग्रामीणों के साथ यह कर रही है। इसलिए इस बिल पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। इसको दुबारा सलेक्ट कमेटी में भेज कर विचार कियाजाय।

कई माननी सदस्य : सभापति महोदय

श्री मोगजी भाई (बाँसवाड़ा) : यह अन्याय है।

श्री सभापति : What is this 'Anyaya' ? You are only two persons from Socialist Party. One has spoken and the other will get a chance.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, पिछले तीन दिन से इस विधेयक पर बहस चल रही है।

श्री सभापति : (श्री मोगजी भाई से) You should be more careful to utter such words as' Anyaya hai. Only two persons out of 18 from Ram Rajya Parishad have spoken, i.e. 10 percent. while one has spoken from two Socilists i.e. 50 percent.

Yes, Shri Bhim Sen to continue.

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने, जैसा कि इसमें प्रावधान रखा गया है ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का विरोध किया है और यह बताने की चेष्टा की है कि यदि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का सीलिंग कायम किया जावेगा तो उससे भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल पायेगी। इसके विरोध में कई माननीय सदस्यों ने दलील दी है कि राजस्थान में ३ करोड़ एकड़ भूमि ऐसी पड़ी हुई है कि जो काश्तकारों को दी जा सकती है और उन्होंने यह जाहिर करने की कोशिश की कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जो कायम की जा रही है वह बहुत कम है और इससे ज्यादा

(श्री भीमसेन)

रखा जाय। माननीय चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सीलिंग कायम करते वक्त किन मूलभूत बातों पर ध्यान देना चाहिये ? सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिये कि जो होल्डिंग, सीलिंग, एक परिवार के काश्तकार पर भूमि रहनी चाहिये उसका साइज क्या हो ? माननीय चेयरमैन महोदय, मेरी राय में एक लैंड कमीशन नियुक्त हुआ है। उन्होंने यह जाहिर किया कि एक परिवार के पास कम से कम इतनी भूमि होनी चाहिए जिससे कि वह अपने बैलों को तथा अपने औसत ५ सदस्यों के परिवार का गुजारा कर सके। दूसरे शब्दों में कहा जाय कि उसका इकॉनोमिक होल्डिंग होना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि स्टेन्डर्ड काश्तकारों का दूसरे लोगों के एट-पार होना चाहिए, वह उनके मुकाबले में हो सके। तीसरी बात सीलिंग कायम करते वक्त यह ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें कुछ सरप्लस केपिटल देहाती क्षेत्रों से उपलब्ध हो सके जिससे कि हम इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कर सकें। यदि इन तीनों मुद्दों पर ध्यान रखते हुए विचार करें तो हमारे राजस्थान में सीलिंग क्या होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि उसका एक चित्र स्पष्ट हो सकता है। माननीय चेयरमैन महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी क्या है ? माननीय चेयरमैन महोदय, सन् ५५-५६ के आंकडों के मुताबिक एक आदमी की औसत आदमनी २८१) रु० आती है। ५ आदमियों का परिवार लेते हैं तो १,४०५) रु० ५५-५६ के आंकडों से आते हैं। हम चाहते हैं कि सन् ६१ तक हिन्दुस्तान के नागरिक की औसत आमदनी ३००, से ३१० रु० हो जाय। लेकिन ५ आदमियों के औसत परिवार के साथ जो आमदनी ६०-६१ तक होनी चाहिए वह होगी १,६५५) रु०। यह हमारे देश की असल आमदनी है।

अब कृषि की तरफ आवें। हम यह चाहते हैं कि एक किसान की आमदनी भी इतनी कम से कम हो जाय जितनी औसत आमदनी हमारे देश के एक व्यक्ति की है। माननीय सभापति महोदय, हमने राजस्थान में ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का सीलिंग कायम किया है। अब इसमें यह देखना है कि क्या इससे वह उद्देश्य प्राप्त हो सकता है ? माननीय सभापति महोदय, बीकानेर स्टेट की गंग केनाल का सन् ४६ में पंजाब के एक रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर श्री बिहारीलाल ने एक नोट दिया था उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं :—

" We know from experience that less than 2 squares is un-economic holding in the Colony. It is also apoint to be carefully kept in view for the next Colonisation, for I feel that we should make a definite attempt to sell land only at economic levels, i. e' not less than 2 squares in the vast majority of cases." उन्होंने वहां अपनी एक्सपीरियेन्स से दो मुरब्बा यानि ५० बीघा भूमि जो इर्रिगेटेड हो उसी इकॉनोमिक होल्डिंग माना है। अब हमारा यह ३० एकड़ भी उसके करीब आता है। तो इस तरह से सीलिंग की जो सीमा इस विधेयक द्वारा तय की गई है वह उचित है और वैज्ञानिक है, जो इसके एक्सपर्ट हैं उनकी राय से मेल खाती है।

श्री सभापति : Want of quorum.

(गणपूरक घंटी)

(अल्प विराम के अनन्तर)

Yes, continue.

श्री भीमसेन : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे राजस्थान में ३० स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि की हमने अधिकतम सीमा रखी है और इसी के अनुसार हम सीलिंग करने जा रहे हैं ।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान भूमि सुधारों के मामले में पहली श्रेणी में आने का दावा रखता है । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि सुधारों में राजस्थान हमेशा अग्रणी रहा है और जहां तक इस सीलिंग के विधेयक का सवाल है राजस्थान का पहला नम्बर है । हिन्दुस्तान में अभी तक केरल ने अपने यहां सीलिंग कायम किया है । पर उन्होंने भी १५ डबल क्रॉप एरिया सीलिंग का रखा है । इसका मतलब है कि गंगानगर की ४ मुरब्बा भूमि, १०० बीघा जमीन १५ स्टेन्डर्ड एकड़ के मुताबिक होती है । मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि १५ डबल क्रॉफ एरिया से १०० बीघा के बराबर जमीन होती है । माननीय चेयरमैन महोदय, हमारे गंगानगर के बारे में गलतफहमी है । जिसके पास ५० बीघा जमीन है उसको उसके लिये जो पानी मिलेगा वह ३० बीघा जमीन के लिए दोनों क्रॉप के लिये पानी मिलेगा । ५० के ५० बीघा जमीन के लिये पानी कभी नहीं मिलता । ६० पर्सेन्ट ऑफ दी टोटल लैंड पानी मिलता है । इसका मतलब यह हुआ कि जिसके पास ५० बीघा इर्रिगेटेड लैंड होगी वह ३० बीघा ही दोनों फसलों के लिए काश्त कर सकेगा । और यह ३० एकड़ केरल की १५ बीघा सिंगल क्रॉप के बराबर होती है । यह डबल क्रॉप ३० एकड़ १०० बीघे नहरी इलाके के बराबर होती है । तो इस गलतफहमी को मैं स्पष्ट करना चाहता था । तो इस दृष्टि से मैं निवेदन करता हूँ कि राजस्थान सबसे आगे रहा है । वह सीलिंग में भी किसी से पीछे नहीं है ।

दूसरी स्टेटों में जैसे पंजाब में है, यू. पी. में है, बिहार में है उनके आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ । यू. पी. में गवर्नमेंट ने ४० एकड़ भूमि का सीलिंग कायम किया है । यह स्पष्ट बात है कि यू. पी. में लैंड बहुत ज्यादा है और राजस्थान की अपेक्षा वह कहीं अधिक उपजाऊ भी है और साथ ही लैंडलेस लेबर की प्रोब्लेम भी राजस्थान में कहीं ज्यादा है । इसी तरह से बिहार ने ४० एकड़ का तय किया है । उड़ीसा ने ३२ एकड़ तय किया और पंजाब ने ३० एकड़ । इस तरह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान सीलिंग के कानून में दूसरों से पीछे नहीं है बल्कि आगे ही है ।

कई माननीय सदस्यों ने स्टेन्डर्ड एकड़ के फॉर्मूले का विरोध किया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सलेक्ट कमेटी में कई फॉर्मूलों पर विचार किया गया पर इस स्टेन्डर्ड एकड़ के फॉर्मूले को ही सबसे अधिक जस्ट और इक्विटेबल माना है । अब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मान लीजिए दो रेटें कायम कर देते हैं एक तहसील में ५० बीघा और दूसरी में ६० बीघा होना चाहिए । सुपीरियर और

(श्री भीमसेन)

इन्फीरियर सोईल के साथ फिर कैसे न्याय करेंगे ? पर इससे हम हर किसान के साथ न्याय कर सकते हैं ।

कईयों ने कहा पिक्चर क्लीयर नहीं होती इससे । राजस्व मन्त्री महोदय को मैं इस बारे में सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सेटलमेन्ट हरेक एरिया का हो चुका है । सेटलमेन्ट ऑफिसर हर जमीन की क्वालिटी ऑफ लैंड, सोइल और प्रॉडेक्शन केपेसिटी निकालते हैं तो हम इसमें तय कर सकते हैं कि किस क्वालिटी की लैंड है । मान लीजिए कि एक तहसील है । उसमें तीन तरह की सोइल है । तो हम इसको तय कर सकते हैं पिक्चर को क्लीयर करने के लिए कि इस क्वालिटी के लैंड का सीलिंग एरिया इतना रहेगा। अगर बी क्वालिटी की सोइल है तो उसके पास इतना रहेगा । तो हम सोइल क्लासिफिकेशन के हिसाब से नियत कर सकते हैं कि इसके पास इतनी जमीन रहेगी ।

दूसरी बात, कइयों ने ट्रान्सफर्स के बारे में कहा । जहां तक ट्रान्सफर्स का सम्बन्ध है यह मानी हुई बात है कि ज्यों ही सीलिंग का नाम सुना राजस्थान में काफी ट्रान्सफर्स हुए हैं । इस सीलिंग से बचने के लिए जिनके ट्रान्सफर्स हुए हैं उनका मैं हिमायती नहीं हूँ । पर यह मैं मानता हूं कि अगर इस जमीन का वितरण या ट्रान्सफर का काम सरकारी मशीनरी करेगी तो इसमें कहीं बहुत अधिक परेशानियां हो सकती हैं । इस सरकारी मशीनरी का काम करने का जिस तरह का हमारा अब तक का तजुर्बा रहा है वह कोई अच्छा नहीं है । इससे परेशानियां ही बढ़ी हैं और बढ़ती रहेंगी । इसलिए मेरा सुझाव यह था कि ऐसे ट्रान्सफ जो एग्रीकल्चरिस्ट को हुए हैं वे वेलिड समझे जावें । यह बहुत उचित बात है। हम ट्रान्सफर्स वॉइड क्यों करते हैं ? आप उन ट्रान्सफर्स को वेलिड करार दीजिए जब कि वह भूमिहीन किसान को भूमि दी गई है तो उसको जायज करार देने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इससे तो सरकार भी कम्पेनसेशन से बचेगी । आखिर सरकार इसीलिये तो जमीन लेना चाहती है कि वह जमीन लेकर भूमिहीन किसानों को दे । अगर पहले ही भूमिहीन किसान ने ले ली है तो सरकार इस परेशानी से बच सकती है । इस तरह से एग्जेम्प्शन का जो प्रावधान रखा गया है और एग्रीकलचर लैन्ड का ट्रान्सफर लैन्डलेस टीनेन्ट को किया गया है तो उसको वेलिड समझा जाय तो यह बहुत उचित बात है ।

ट्रान्सफर्स जो हुए हैं, तो किस समय के ट्रान्सफर्स को हमें वेलिड करार देना चाहिए इसके बारे में मैंने अपने नोट ऑफ डिसेन्ट में १० फरवरी, १९५८ के पहले जो ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको कानूनी तौर पर वॉइड डिक्लेअर नहीं करना चाहिए क्योंकि ११ फरवरी, १९५८ को सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई है उसके एक अंश को मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । राजस्थान सरकार से प्लानिंग कमीशन ने ओपीनियन मांगी । कौन सी डेट से ट्रान्सफर वॉइड करार दें । राजस्थान सरकार ने इस बारे में जो ओपीनियन दी वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं : "The Law Department of the Rajsthan Government having expressed the view that any such temporary legislation would run the risk of its being declared ultra vires of the Constitution, the matter was referred to the Government of

Page No.84

(श्री भीमसेन)

India and the Plannidg Commission. The Rajasthan Government's reference was considered by the Central Committee for land reforms set up by the Planning Commission. That Committee, after taking into consideration the views of the Law Ministry of the Government of India, expressed the opinion that transfers could not be regarded as mala-fide until the State Government had formulated its proposals for ceilings on agricultural holdings and, as the State Government had not so far formulated any specific proposals for ceilings on agricultural holdings, it was not appropriate at this stage to undertake legislation for preventing alienations. The Central Committee for Land Reforms added that after the State Government had formulated its proposals for ceilings on holdings, they may issue a note to the Press to the effect that, on the report of the Ceilings' Committee, the State Governmet proposed to introduce legislation for fixation of ceilings at a certain level and warn both transferers and transferees against transfers made with the object of defeating the purpose or the ceiling legislation. The Ceilings Committee accepts this advice and recommends that action may be taken accordingly."

इसतरह से राजस्थान गवर्नमेन्ट ने पहलीबार अपना इन्टेन्शन अपने प्रोपोजल इस विधान सभा में १० फरवरी, १६५८ को प्रस्तुत किया है। इसलिए हम १० फरवरी, १६४८ से पहले के ट्रान्सफर्स कानूनी तौर से वॉइड करार नहीं दे सकते। यह कानूनी स्थिति है इसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है। इस तरह से मैंने इन्डस्ट्रियल सीलिंग पर भी अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। अब हमें देखना यह है कि केवल काश्त की भूमि पर ही सीलिंग कायम करने से समस्या का हल हो सकता है? यह तो मानी हुई बात है कि राजस्थान में काबिल काश्त जमीन की कोई कमी नहीं है। ३ करोड़ एकड़ के करीब भूमि हमारे यहाँ काश्त के काबिल है। फिगर्स और फीगर्स हमारे सामने हैं उनके अनुसार ८ करोड़ एकड़ के करीब जमीन हमारे राजस्थान में है उसमें से ६.५० लाख एकड़ भूमि काबिल काश्त है और इस वक्त अन्डर पजेशन है वह जमीन करीब ३ करोड़ एकड़ है। इस तरह से ३ करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जो काबिल काश्त है जो किसी के कब्जे में नहीं है। इस तरह से अगर हम भूमि का औसत निकालें तो एक परिवार के हिस्से में २४ एकड़ भूमि आती है। इस तरह से हम भूमि का वितरण करते हैं तो राजस्थान में जमीन की कमी की समस्या नहीं रहती। समस्या जो हमारे सामने है वह खेती के लिए उपयुक्त साधनों के अभाव की है। हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर का प्रोफेशन है वह बहुत पीक्युरियस है। हमारे यहां खेती की पैदावार मानसून पर आधारित है। यह दूसरी बात है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने लैंड को इर्रिगेट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाये हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम राजस्थान के लैंडलेस टिनेन्ट्स की और आम किसान की आर्थिक हालत को ऊँचा उठावें। हम राजस्थान में कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई के ऐसे साधन उप-

(श्री भीमसेन)

लब्ध करें जिससे कि आज एग्रीकल्चरिस्ट प्रोफेशन को जो अन-सिक्योर अनुभव करते हैं वे सिक्योर अनुभव करने लग जांय। उनके लिए ऐसे साधन उपलब्ध करें ताकि किसान अपनी समस्या को सुलझा सकें। महज़ सीलिंग कायम कर देने से समस्या का हल होनेवाला नहीं। इससे तो आप भूख का बँटवारा कर रहे हैं। इससे समस्या का स्थाई हल नहीं हो सकता।

दूसरी समस्या जो केवल राजस्थान की ही नहीं है सारे हिन्दुस्तान की है। भारत सरकार ने भी प्राइसेज की सिक्योरिटी काश्तकार को नहीं दी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कम से कम १० हैं और अधिक से अधिक १८ है।

श्री भीमसेन : वीट प्राइस १२ हो सकती है लेकिन आज प्राइसेज ज्यादा हैं। लेकिन आप जो प्राईसेज दे रहे हैं उनसे आम किसान को फायदा नहीं है व्यापारी को फायदा है, ऐसी व्यवस्था है। हम किसान को यह गारन्टी दें कि मिनीमम प्रोडेक्शन की मिनीमम कीमत यह होगी। आज राजस्थान और हिन्दुस्तान में अपने प्रोडेक्शन की प्राईसेज की स्टेबिलिटी नहीं होने से किसान के सामने अनेक समस्यायें आ जाती हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि केवल भूमि का सीलिंग कर देने से किसी रोग का समाधान नहीं हो जायेगा। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को इसमें जो अन-सिक्योरिटी ऑफ प्राईसेज है इसको दूर करेंगे तभी हमारे किसान की हालत ठीक हो पायेगी। इसके साथ साथ हम जब दुनियां के अन्य हिस्सों को देखते हैं तो हमें पता चलता है जैसे अमेरिका को ही ले लीजिये वहाँ कई वर्षों पहले एग्रीकल्चरिस्ट का परसेन्टेज बहुत ज्यादा था। अमेरिका के अन्दर ७० प्रतिशत आदमी काश्त पर आजीविका कमाते थे लेकिन आज उनका प्रतिशत ३० है। इस तरह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल एग्रीकल्चर के आधार पर ही देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमें अपने देश के निवासियों का स्टेन्डर्ड बढ़ाना है तो निश्चित रूप से हमें दूसरे ऑलटरनेटिव्ज कायम करने पड़ेंगे जिससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। और जो समस्या हमारे सामने है वह है जमीन की बेरोजगारी की समस्या। अतः औद्योगिक डेवलपमेन्ट जब तक नहीं कर पायेंगे तब तक इस समस्या का सही समाधान नहीं हो सकेगा। हमारे यहां औद्योगिक डेवलपमेन्ट की बहुत गुन्जाइश है। औद्योगिक विकास ज्योंही होगा बेरोजगारी की समस्या हल हो जावेगी। इस तरह से माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने विचार संक्षेप में प्रस्तुत किये हैं।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, एक अंग्रेजी की कहावत है जिसको हम बहुत दिनों से सुनते आये हैं You cannot rob Peter to feed Paul. और यह कहावत मेरे ख्याल से हमने बचपन में पढ़ी और आप लोगों ने भी सब ने सुनी होगी, लेकिन आज....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : क्या कहावत है सुनी नहीं ?

श्री रघुवीरसिंह : You cannot rob Perer to feed Paul. लेकिन आज हम कानून के नाम पर जैसा काम करने जा रहे

(श्री रघुवीरसिंह)

हैं और कहा यह जाता है कि सामाजिक न्याय कर रहे हैं। कहीं आर्थिक न्याय की दुहाई दी जाती है, कहीं राजनैतिक न्याय की दुहाई दी जाती है परन्तु जो अंग्रेजी में कहावत है We wish to rob Peter to feed Paul. वह हम करने जा रहे हैं। जहां तक सामाजिक न्याय का प्रश्न है मैं सभापति महोदय, यह देखता हूं कि अपने यहां पर जो कहावत है 'दिये के नीचे अँधेरा' वह मुझे स्पष्ट नजर आती है।...

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

३-५२ म० प०

श्री रघुवीरसिंह : तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक सामाजिक न्याय का प्रश्न है उस सामाजिक न्याय को अगर Charity begins at home. हम अपने यहां से ही शुरू कर दें तो बहुत अच्छा हो बजाय इसके कि दूर गांवों तक पहुँचे। पिछले सेशन में हमारे यहीं इसी हाउस में यूनेनीमसली यह पास किया था कि २००) रु० का हमारे यहां वेतन कम है और उसको २५० रु० तक कर दिया जाये और इसके अलावा कुछ भत्तों में भी हेरफेर किया गया लेकिन सामाजिक न्याय के बारे में यह देखता हूँ कि मेरे सामने एक चपरासी आपके सदन का खड़ा है जो कि शायद हमसे अधिक सेवा करता है, अधिक समय ड्यूटी देता है उसको १००)रु० से भी ज्यादा नहीं मिलता

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I think this reference is not permissible. The man who is referred to cannot give his reply here. The Hon'ble Member should withdraw these words.

श्री रघुवीरसिंह : No. I did not point out the man.

श्री पी० के० चौधरी : The man was pointed out that he is standing before us.

श्री रघुवीरसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो दूर से देख लीजिए। रास्ते में आते समय यहां तक आप कइयों को देखते हैं जिनकी हालत ऐसी है....

श्री मोगजी भाई : किसी की भलाई के लिए उदाहरण दिया जा सकता है। कोई बुराई नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह : एक ओर तो हम सामाजिक न्याय की दुहाई देते हैं और दूसरी ओर हम अपने यहां सदन में ही उसको समाप्त कर देते हैं। सदन में ही सामाजिक न्याय का कितना पालन करते हैं उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो वही बात है 'दीये के नीचे अंधेरा'। मैं तो समझता हूं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। इधर ही आप देखिये कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को कितनी तनख्वाह मिलती है और एक अपने यहां का चपरासी है उसको कितनी तनख्वाह मिलती है क्या यह सामाजिक न्याय है?....

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : फिर आप अपनी जागीर के कम्पेन्सेशन को भी देख लीजिए।

श्री रघुवीरसिंह : बड़ी खुशी से देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि देखना चाहिए। मैं तो यह कह रहा हूं कि इस सामाजिक न्याय का क्या यही हल है? आप आखिर बाहर निकलिये, बाहर निकलते ही आपको पता लगेगा कि एक सज्जन के पास १० बसों के पर्मिट हैं और किसी के पास ४ ट्रकों के पर्मिट हैं और किसी के पास एक समय खाने को भी नहीं है। क्या यही सामाजिक न्याय है? तो मैं यह नहीं समझता कि वह सामाजिक न्याय केवल कितनों के लिए है। कृषकों के लिए कुछ सोचा नहीं जाता है। कृषक जो एक तरह से हमारे, आपके अन्नदाता हैं उन्हीं के लिए यह सामाजिक न्याय काम में लाया जा रहा है और वह सामाजिक न्याय हम लाने के लिए यहां विधान सभा में उन्हीं के द्वारा चुन कर आये हैं। हम जो आज यहां सदन के मेम्बर हैं उनके ऊपर यह सामाजिक न्याय क्यों नहीं लागू होता है?...

सभापति महोदय, आज इस पर तीन दिन से बहस हो रही है। इसके तीन चार क्लॉजेज हैं जिनके ऊपर लोगों का मतभेद है। लेकिन मैं तो उन क्लॉजेज़ के बारे में नहीं अर्ज करके सबसे पहले आप से जो बात अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आज इस पर सीधा कलियुग का रूप आ रहा है। वह यह है कि आप अपनी फेमिली में मां को इन्क्ल्यूड नहीं कर सकते। इसके अन्दर मां के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप कहते हैं कि मां तो अलग होगी, उसका तो अलग होल्डिंग हो सकता था। फिर आपने आगे भी कह दिया कि हम ट्रान्सफर भी नहीं कर सकते। इसके अलावा हम फ्रेन्डस और रिलेटिव्स को भी ट्रान्सफर नहीं कर सकते। अब आप मान लीजिए कि किसी के घर में विडो है। उसके नाम पर जमीन नहीं रह सकती और ट्रान्सफर उसके नाम हो नहीं सकती तो उसको क्या आप हवा में लटकाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि गोचर जमीन जो कुएं के नाम पर थी उसको लाया जा रहा है और दूसरी तरफ मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सीधा कलियुग का रूप हमारे सामने आ रहा है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : औरों पर अन्याय किया तो किया पर मां पर भी किया।

श्री रघुवीरसिंह : हां, मैं समझता हूं कि यहाँ यह डेफीनेशन बहुत ही घातक है। कम से कम जो परिवार में वृद्ध लोग है, माता है या किसी की विडो सिस्टर उसके पास रहती है तो उसको फेमिली में शामिल करना बहुत जरूरी था वर्ना उनको आप निस्सहाय ही छोड़ रहे हैं।

इसके बाद सभापति महोदय, इस पर लोगों ने लम्बी लम्बी बातें की हैं और दलील भी दी गई है कि हमने सीलिंग की लिमिट भी फिक्स कर दी है। जो सीलिंग की लिमिट हमने फिक्स की है वह है ३० स्टेन्डर्ड एकड़। ३० एकड़ भी नहीं बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि हमारा अनाज फिक्स कर दिया है और वह है ३०० मन। अब क्योंकि एक एकड़ के ऊपर उन्होंने दस मन पैदावार को माना है। फिर जो स्टेन्डर्ड एकड़ है और उसको जहाँ कहीं भी आपने लिया है वह उस की मैक्सिमम पैदावार है जिसको आपने लिया है। एक तो इस एक्ट के अन्दर जो १० मन एक स्टेन्डर्ड एकड़ की पैदावार को माना

(श्री रघुवीरसिंह)

है यह हमारे लिए बड़ी दुखदाई बात है और बड़े शर्म की बात है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जब कि ३० मन पैदावार की मियाद लागू है एक स्टेन्डर्ड एकड़ के लिए तो यह न तो प्रैक्टीकल है और न सही है और न यह हमारे साथ न्याय ही किया गया है। अगर आप ३०० मन की पैदावार एक कृषक की फेमिली के लिए करना चाहते हैं तो उसकी कीमत करीब ३,६००) आती है क्योंकि आपने ऐवरेज कॉस्ट एक मन की १२) रु० मानी है। अगर उसमें आप कुछ खर्चे का हिसाब रखते हैं तो वह इन्कम करीब २,०००) रु० से ज्यादा नहीं बैठती। तो २,०००) रु० की इन्कम आप सालाना एक कृषक को देना चाहते हैं। तो आप सोचिये कि क्या २,०००) की इन्कम एक फेमिली के लिए काफी है जिसके कम से कम ५ तो फेमिली मेम्बर हैं? तो मैं यह निवेदन करूंगा कि पर-कैपिटा जो इन्कम मानी गई है वह ३००) रू० प्रति मास है और दूसरी ओर आप किसान को २,०००) रु० पर ही हमेशा के लिए सील कर देना चाहते हैं। एक जो शहर में आदमी रहता है उसकी पर-कैपिटा इन्कम सालाना आइन्दा बढ़ेगी परन्तु एक कृषक की आमदनी को आप २,०००) रु० हमेशा के लिए कर देना चाहते हैं। अब कृषक की फेमिली में आदमी बढ़ेंगे तो उसकी इन्कम घटेगी। तो जिसकी इन्कम ३००) रु० है उसकी तो इन्कम बढ़ने की गुंजाइश है और इधर यह हमेशा घटती रहेगी।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह ३०० मन पर जो हमारे यहां किया जा रहा है सीलिंग यह गलत सीलिंग है। कभी उचित नहीं है। यह हमारी जो विलेज इकॉनोमी है काश्तकार की इकॉनोमी है उस सारी को नष्ट कर देगा। और ३०० मन जब अच्छा साल होगा तभी तो होगा। हमारे यहां पर ५ साल में कम से कम २ साल कहतसाली के हैं उनका कहीं प्रोविजन नहीं है। अब यह कहा जाता है दूसरी तरफ कि आज के पीरियड में बहुत थोड़ा है ३० एकड़ यह क्यों चिल्ला रहे हैं, इसको बढ़वाने की क्यों बात करते हैं? मैं निवेदन करूं कि क्या आपकी मन्शा यही है कि हमारे काश्तकार उसी स्टेन्डर्ड से फटी कमली और फटी धोती में रहे? अपना स्टेन्डर्ड राइज नहीं करें कभी? कहा गया है। कोई एक सदस्य ने अभी भाषण देते हुए कहा है कि यह तो जेन्टिलमैन काश्कार हैं जो ऐसा विसुलाइज करते हैं। हमारा हरेक काश्तकार जेन्टिलमैन होगा। आप हर रोज अपना स्टेन्डर्ड बढ़ाते हैं तो किसी का स्टेन्डर्ड घटाने की कोशिश क्यों करते हैं? आप काश्तकारों की भलाई चाहते हैं, काश्तकारों को ऊंचा लाने की बात करते हैं, अगर काश्तकार जेन्टिलमैन बनें तो काश्तकार को जेन्टिलमैन बनाने में क्यों दुःख होता है? जेन्टिलमैन का झगड़ा शहर वालों के लिए ही ले रखा है क्या? तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय, कि यह जो डिस्क्रीमिनेशन है विलेज के साथ, रूरल पोपुलेशन के साथ यह डिस्क्रीमिनेशन बहुत घातक है और इस घातक डिस्क्रीमिनेशन की वजह से घोर असन्तोष फैलेगा। एक तरफ बड़े जोश के साथ डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बात करते हैं, विलेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, वह डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन होगा किस का? हमारा केवल एकमात्र साधन हमारी आय का, डेवलपमेंट का है वह जमीन

Page No.89

(श्री रघुवीरसिंह)

है। वह जमीन हमारे पास नहीं रहेगी तो हम किसका डेवलपमेंट करेंगे ?

अब में निवेदन करूं कि यह कहा जाता है कि साहब जमीन थोड़ी है। मैं कहता हूँ कि हम राशनिंग करने नहीं जा रहे हैं, हम सीलिंग करने नहीं जा रहे हैं। It is not rationig of land. राशनिंग करते हैं तो बराबर बांटते, और २,२ या ३,३ एकड़ जो आयेगी उसका यह होगा कि सब लोग भूखों मरेंगे। सीलिंग का अर्थ यह है कि इतनी जमीन अवश्य छोड़नी चाहिए एक फेमिली के लिए कि वह अपना अच्छी तरह से सुविधा के साथ गुज़र कर सके और जो अपनी नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए एक स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग विजुएलाईज करते हैं या सोचते हैं भविष्य के लिए हमारे भारतीय नागरिक का जीवन स्तर इतना ऊंचा होगा कि उस स्टेन्डर्ड को वह मेन्टेन कर सके, इतनी जमीन छोड़नी चाहिए। इतनी आमदनी का साधन उसको आपको देना चाहिए।

अब प्रश्न आता है कि लैंडलेस का क्या करें ? मैं कहता हूं कि लैंडलेस को दूसरे साधन न देने की कौन सी इकॉनोमी है ? सारी दुनिया जो खेती करती है या नहीं उन सब को, हरेक को लैंडलेस की तारीफ में लेकर जमीन में सेटल कर देना चाहते हैं। यह कदापि नहीं होगा कि सारी दुनिया जमीन की पैदावार पर गुज़र कर ले और जमीन से सारे देश की उन्नति हो जाय। सारे देश की बहबूदी केवल जमीन की पैदावार पर कर सकते हैं; मैं कहता हूँ कि यह असम्भव है। कभी किसी देश में ऐसा हुआ भी नहीं है। अगर अपने यहाँ ट्राई की जायेगी तो असफल होंगे।

आगे चलकर सभापति महोदय, जो इसमें प्रश्न उठता है वह थोड़े एग्जेम्पशन्स के मुताल्लिक है। मैं निवेदन करूँगा कि ठीक है एग्जेम्पशन्स नहीं रहने चाहिए। पर कैसे एग्जेम्पशन्स नहीं रहने चाहिए ? वह ऐसे एग्जेम्पशन्स नहीं रहने चाहिए कि जिन्होंने केवल इसलिए कि जमीन मेरे पास रह जाय उसको फार्म का नाम दे दिया है, कहीं रजिस्टर्ड करवा दिया है। लेकिन ऐसे एग्जेम्पशन्स कि जिनमें वास्तव में हमारे देश की जो दो बड़ी इन्डस्ट्रीज़ हैं, एक शीप और दूसरी केटिल की वह सफर नहीं करें, ऐसे एग्जेम्पशन्स की बड़ी ज़रूरत है। हमारी शीप और केटिल की इन्डस्ट्रीज बेकबोन हैं देश की। राजस्थान में अकाल के समय में किस पर जिन्दे रहते हैं ? मैं कहता हूँ कि काश्तकार अगर जिन्दे रहते हैं। तो केवल अपने मवेशियों पर जिन्दे रहते हैं। आपने केटिल ब्रीडिंग फार्म और शीप ब्रीडिंग फार्म को एग्जेम्पशन नहीं दिया तो मेरे ख्याल से आपका टू थर्ड ऑफ राजस्थान बिल्कुल खत्म हो जावेगा जहाँ पर कि केवल Cattle breeding and sheep freeding is the only ocupation. क्या हुआ ५, ६ साल में एक फसल आ जाती है तो? इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं निवेदन करूँगा कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। वह केटिल ब्रीडर्स और शीप ब्रीडर्स जैसे भी हैं उनको रिकॉग्नाइज करें और रिकॉग्निशन के अनुसार जमीन रहे। वहां केटिल ब्रीडर्स, शीप ब्रीडर्स कई तो अभी भी ऐसे हैं जो नोमेड्स की तारीफ में आते हैं और जो एक गाँव से दूसरे गाँव पशुओं को चराते हुए घूमते रहते हैं। वे ५, ६ महीने गंगा के खादरों में बिताते हैं

Page No.90

(श्री रघुबीरसिंह)

और ६ महीने राजस्थान के नागरिक बनते हैं तो ऐसे लोगों से हम उम्मीद करें कि अपने केटिल ब्राडिंग फार्म या शीप ब्रीडिंग फार्म को रजिस्टर्ड करायें, उनका रखें बाजाप्ता हिसाब ? मेरे ख्याल से यह असम्भव चीज़ है। मेरे ख्याल से यह केटिल ब्रीडिंग या शीप ब्रीडिंग को एन्करेज करें और उसमें छूट दें। जो कुछ केटिल एन्ड शीप रखते हैं पर-हैड शीप एन्ड केटिल इतनी जमीन छोड़ी जायगी, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हों।

दूसरा कन्ट्रोवर्सी का एक सवाल है वह है कि जब से भूमि के ट्रान्सफर्स हुए हैं उनलैण्ड ट्रान्सफर्स को तब से वाइड करार दिया जाय, तबसे मान्यता नहीं दी जाय। मैं निवेदन करूँगा, सभापति महोदय, कि आखिर किसी ने भूमि ट्रान्सफर की तो वह ट्रान्सफर करके पितृलोक को अपने बाप-दादा के पास तो पहुँचा नहीं दी। वह रही जमीन यहाँ की यहाँ। एक्स के पास से वाई के पास चली गई। आपके पास पहले से कानून मौजूद हैं कि जिसके पास जमीन है खरीद नहीं सकता। खरीद नहीं सकता था और खरीद की है तो आप छीन लें। जिसके पास जमीन नहीं थी अगर उसने खरीद ली और उसका काम चल गया तो आपका सिर दर्द मिट गया। आप लेते और जिसके पास नहीं है उसको देते तो वह काम ऑटोमेटिकेली हो गया। अब उसमें आप यह कहें कि तुमने क्यों कर दिया? लैंडलेस और लैंडहोल्डर्स या जिनके पास जमीन है उन्होंने परबारा इन्तजाम कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया, इसलिए गलत है। वह सरकार के मारफत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ? इसलिए होना चाहिए कि सारी दरख्वास्तें दी जायँ कि हम लैंडलेस हैं हमें लैंड एलॉट की जाय। उस पर पटवारी रिपोर्ट करेगा, तहसीलदार रिपोर्ट करेगा। मैं निवेदन करूँगा कि यह एलॉट-मेन्ट उसको उसकी खरीद से ज्यादा मँहगा पड़ेगा। यह जो हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा और कहते हैं कि, साहब, भूमिहीनों के लिए जमीन नहीं रहेगी। मैं निवेदन करूँगा कि भूमिहीन को यदि जमीन मिलने का तरीका था तो उसी तरह से जमीन मिलेगी। एलॉटमेंट के भरोसे बैठा रहे तो अब भी नहीं मिलेगी। एलॉटमेन्ट से जमीन किसको मिलेगी जो ज्यादा पुकार सकता है। जमीन किसको मिलेगी जो ज्यादा पुल रखता है। जमीन किसको मिलेगी, जो ज्यादा ब्राइब कर सकता है और इधर-उधर अपनी तिकड़मबाजी भिड़ा सकता है। वह जरूर ले लेगा। गरीब काश्तकार को जमीन मिलनी चाहिए वह मिलने वाली नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ा इलाज यह था कि ५ पैसे किसी ने कहीं से कमाये और उससे जिसके पास जमीन ज्यादा थी उसको दिया और ले लिया और बैठ गया। आप क्या करना चाहते हैं ? उसको सब को वॉयड करार दे देंगे। वह गैरकानूनी हो जायगी। मैं निवेदन करूँगा कि गैरकानूनी अगर आप कर देते हैं तो एक सेटिल्ड इकॉनोमी, सेटिल्ड हाउसहोल्डवाले काश्तकार को जो कि अच्छी तरह से जम चुका है अपनी खेती पर उसको फिर से बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि ट्रान्सफर पर किसी तरह की रोक कदापि नहीं लगाई जाय। पंजाब में मुझे मालूम हुआ है कि वहां एक्ट के लाने के बाद ६ महीने की

(श्री रघुवीरसिंह)

और छूट दी कि ६ महीने में आप जमीन और ट्रान्सफर कर लें और उसके बाद रह जाती है तो उसको वितरण करना है। तो यहां इसमें दो साल पहले से कैद लगाई या रोक लगाई, मैं समझता हूं यह न्याय-संगत नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि ट्रान्सफरवाला जो क्लॉज है वह हट जाना चाहिए और यही मैं सरकार से आपके द्वारा बार बार निवेदन करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो दो तीन सुझाव दिये हैं सरकार उन पर ध्यान देगी और उसका उचित हल निकालेगी।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : राजस्थान टिनेन्सी बिल में सीमा निर्धारण करने के संशोधन बिल पर यहां तीन दिन से काफी विचार हो रहा है।

४. १० म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में जिस कमेटी ने भूमि सम्बन्धी किसान की महान समस्या को हल करने के लिए जो सुझाव रखे हैं वे सदन के सामने हैं और उन पर विचार हो रहा है। कम से कम किसान को कितनी जमीन मिलनी चाहिये और कितनी मिलने से किसान अपना गुजर चला सकेगा। इस पर काफी विचार हो रहा है। हमारे राजस्व मन्त्रीजी की मन्शा इस बिल को लाने में यह है कि राजस्थान में जमीन पर सीलिंग इसलिये लगाई जा रही है कि जिससे भूमि-हीन किसानों को जमीन न मिले और आर्थिक दृष्टिकोण से जमीन का बंटवारा होकर जरूरतवालों को जमीन मिले। उनको जमीन देकर उनका आर्थिक स्तर ऊँचा उठाया जाय, इसके लिए इस सदन के सामने बिल है। सन् '५३ में इसके लिये समिति बनी थी उसने जिलेवाइज, तहसीलवाइज रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में सीमा निर्धारण के नाम से भूमि की सीमा निर्धारण का नाम दिया था लेकिन अब सीमा निर्धारण का नाम हटा कर दूसरा नाम रख दिया, भूमि की सीमा निर्धारण का नाम हटा दिया, सीमा समाप्ति का हो गया। इस बिल से जो व्यवस्था दी है समिति ने, उस समिति के जो सदस्य थे उन्होंने या तो ध्यान इस ओर नहीं दिया होगा या यह समझा जाय कि भूमिहीन या कम भूमिवालों में जितने बेकार हैं इसको वास्तविक जानकारी उनको नहीं थी। उनकी सिफारिश करते तो ख्याल यह रहता कि कम से कम किसी भी कम भूमिवाले एक किसान परिवार को कितनी भूमि दी जाय बीघों में या एकड़ में, उसका सही हिसाब कोई नहीं लगाया। इसमें एक मोटा रूप रख दिया कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रहेगी। एक एकड़ में १० मन गेहूं पैदा हो उसे स्टेन्डर्ड एकड़ माना जाय और ऐसी ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन दी जाय। यह पैदावार के आधार पर होगी लेकिन कितनी जमीन होगी यह नहीं बताया, इस तरह के शब्द इसमें नहीं आये। कम से कम भूमिहीन काश्तकारों को दी जाय तो कितनी दी जाय इतनी दी जाय जिससे एक परिवार का पालन—पोषण हो सके, ये शब्द नहीं हैं। इस बिल की मन्शा यह है कि किसान अपने परिवार का पोषण कर सके। इसका मतलब यह है कि किसान खुद अपने हाथ से मेहनत करके अपने परिवार का पोषण करता है। उसकी भूखमरी और बेकारी की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने,

(श्री मोगजीभाई)

राजस्थान सरकार के सामने और भारत सरकार के सामने है। हमेशा की भुखमरी और बेकारी की रात-दिन की समस्या को किस प्रकार से हल किया जाय? जो जमीन खड़ते होंगे खुद काश्त करके पालन कर सकें उनको जमीन दी जाय और बाकी दूसरा धंधा कर सकें, कारखानों और मिलों में काम कर सकें या व्यापार कर सकें उनके लिए दूसरा धंधा है। लेकिन जो जमीन पर निर्भर करते हैं उनके लिए सरकार ने ध्यान रखा है इसीलिए जमीन के बंटवारे का और सीमा निर्धारित करने का सवाल आया। अब जो सवाल हमारे सामने है उस बारे में सदन को चाहिए कि जिन भूमिहीन किसानों, मजदूरों या बेकारों की समस्या को हल करने के लिए और देश के हित में, समाज के हित में और उन गरीबों के हित में जिनके वोट लेकर हम इस सदन में आये हैं और हमने विधान की सौगन्ध खाकर यह प्रतिज्ञा की है कि हम सब के लिए निष्पक्ष होकर न्याय करेंगे तो जब न्याय का सवाल, उन गरीबों को रोजी या धंधा देने का सवाल आया है उसमें आपको फैसला देना है। इस पर भी किस प्रकार की दलील दी जाती है, किसान के नाम पर इस प्रकार के बिल में यह व्यवस्था दी जाती है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कहाँ जा रहे हैं? विधेयक के सिद्धान्त पर बोलिए न।

श्री मोगजी भाई : सिद्धान्त पर ही बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : कहाँ बोल रहे हैं, प्रसंग से परे जा रहे हैं। प्रसंग पर आइये।

श्री मोगजी भाई : देश की जमीन भूमिहीनों को मिल सके इस प्रकार का सुझाव नहीं है और न ही सदन ने इस तरफ ध्यान दिया है। अब जो सलेक्ट कमेटी का प्रतिवेदन है इससे साफ जाहिर होता है, इस बिल को देखने से जाहिर होता है कि जागीरदारों से पूंजीपतियों से, भूमि के मालिकों से प्रभावित होकर हमारे मंत्रीजी ने इस बिल को इतने दिनों तक इधर-उधर टाल कर देरी की और आज जब इसे रखा है तब इससे भूमिहीन किसानों को या मजदूरों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, यह इस बिल की मंशा है। मेरा यह निवेदन है कि मैंने बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कई जिलों में जो किसान खुद खेत जोतते हैं उनकी हालत देखी है और मैं जानता हूं कि किस प्रकार से उनकी जिन्दगी इस जमीन पर आधारित है। वहाँ पर किसी किसान के पास १५, २० या २५ एकड़ तक जमीन है और जो अच्छी तरह से जमीन को तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं उनको अच्छी पैदावार मिलती है तो भी वे २५ बीघा जमीन से ५,०००) रु० तक की पैदावार ले सकते हैं। इस प्रकार की जमीन न हो तो मेहनत से उनको काफी पैदावार मिल सकती है। लेकिन समिति ने जो सुझाव दिये है ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन का उससे किस जिले में कितनी जमीन है यह नहीं दिया है। यह तो हमारे देश की भाषा में बीघा में समझाते तो लोगों के समझ में आता एक तरफ भूमिहीन को जमीन नहीं मिलेगी। पैदावार के हिसाब से जो जमीन रखी है, जिसकी जमीन सरकार लेना चाहती है उसके लिए पैदावार के हिसाब से रखेंगे और ४००, ५०० बिघा एक परिवार के हिसाब से पड़ जायेगी। इसमें कितना अन्तर है? एक तरफ ५०० बीघा तक जमीन देंगे दूसरी तरफ राजस्थान

(श्री मोगजीभाई)

में एक एकड़ वाले किसान हैं, वे ४, ५ लाख हैं, २ एकड़ से लेकर १० एकड़ तक के किसान १८ लाख के करीब हैं। इस भूमि से उनकी गुजर कैसे चलती होगी ? जिस एक परिवार के पास १०, १५ बीघा जमीन है उसकी हालत हम देखते हैं। वे पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। लेकिन उनके परिवार में १०, १५ आदमी हैं। उनके लिए एक ही धन्धा है खेती का। उसके अलावा और कोई धन्धा नहीं है, न वे कर सकते हैं, न इस पोजीशन में हैं उनको जमीन देने के बजाय कुछ धन्धा दिया दिया जाय। किसान की परिभाषा में आप देंगे कि जिनके पास हजारों बीघा जमीन हो उनको सुरक्षित रखा जाय और नीचे के तबके के लिए कहें कि सरकार उनके लिए कोई कारखाना खोले जिसमें वे काम करके बेकारी को मिटायें। भूमि के वितरण के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो भूमि के लिए वर्षों से रो रहे हैं उनको भूमि न मिले और जिनके पास भूमि है उनको जमीन मिले....

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवस्था बतलायें न। कुछ सुझाव दीजिए, जिससे सदन को मालूम पड़ जाय कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री मोगजी भाई : व्यवस्था ?

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : व्यवस्थान नहीं, व्यवस्था बोलें।

श्री मोगजी भाई : व्यवस्थान नहीं, व्स्था बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : देवस्थान नहीं कहा उन्होंने।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : समय का ध्यान रखा जाय। दूसरे सदस्य भी बोलने के इच्छुक हैं।

श्री मोगजी भाई : जमीन ज्यादा है, यह दलील दी जाती है। जमीन राजस्थान में बहुत है, इसलिए एरिया में कमी कर देनी चाहिए। एक परिवार को १० एकड़ १५ एकड़ से ज्यादा जमीन न दी जाय। इससे ज्यादा जमीन है तो फार्म बनाने चाहें खेती करने के लिए उनको जमीन दी जाय। लेकिन पहला सवाल भूमिहीनों की समस्या हल करने का है...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मुआवजा क्या दिया जाय, यह भी बतायें ?

श्री उपाध्यक्ष : मुआवजा क्या, अभी तो स्टेन्डर्ड एकड़ तय कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : Let him do it sir.

श्री मोगजी भाई : मुआवजे के लिए भी मेरा निवेदन यह है कि भारत सरकार या राजस्थान सरकार ने ऐसा कानून नहीं बनाया है कि भारत या राजस्थान की जो व्यक्तिगत सम्पति है, भूमि है, उसको व्यक्तिगत सम्पति सरकार मान्य नहीं करेगी। वह हमारी सरकार की सम्पति है, राष्ट्र की सम्पति है। कोई किसान कहे कि मैं मालिक हूँ मुझे मुआवजा दो तो उसने कोई मकान नहीं बनाया है जिससे उसको मुआवजा दिया जाय। फिर मजदूर अपने पेट पर

(श्री मोगजीभाई)

पट्टी बाँध कर अपने जीवन को बर्बाद करके बैठा है। उसको मालिक बनाना चाहें और वह मुआवजा दे तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। मैं इसके पक्ष में बिलकुल नहीं हूँ। यदि सरकार और रेवेन्यू मिनिस्टर पहले यह आदेश निकालें कि जिसकी भूमि होगी वह उसका मालिक होगा, यह तरीका मान लिया जाय कि आपके खातेदारी राईट्स हैं तो आपकी सम्पति मानी जायगी तब जाकर इसका फैसला किया जाय...

श्री उपाध्यक्ष : मुआवजे के मसले को निकाल दें इस बिल में से ?

श्री मोगजीभाई : जी हाँ। मेरा सुझाव है कि मुआवजे का कोई हकदार बन नहीं सकता, यह सब राष्ट्रीय सम्पति है। कोई मकान बनाये, सड़क बनाये, पुल बनाये, तो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो, यह भी हमारे संविधान में हालत नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दुस्तान के विधान में भी संशोधन कर दें, इस सम्बन्ध में यह भी विचार करना पड़ेगा।

श्री मोगजीभाई : बिलकुल करना पड़ेगा। अब ये अधिकार पैदा हो गये हैं साहब, तो इस बात का विरोध है मुझे। यह जो मुआवजे का सवाल है कि किसी प्रकार किसी को भूमि दी जाय तो मजदूरों से मुआवजा लिया जायगा, इस प्रकार का प्रावधान न रखा जाय। जो मुआवजा माँगे इन्हें मुआवजा न दिया जाय जो जमीन है वह सरकार की जमीन होगी। सरकार यदि बेकारी दूर करना चाहती है, इस समस्या को हल करना चाहती है तो सरकार जमीन ट्रान्सफर सकती है। इसके बाद यदि कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति मान कर दावा करे और कहे कि मैं मालिक हूँ इसलिए मुआवजा मिलना चाहिए यह गलत है। मैं समझता हूँ कि यह दलील देकर गरीबों को भुलावा देंगे तो यह गरीबों को दुख देनेवाली बात हो सकती है। आज इस बिल में इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यह व्यवस्था की जा रही है कि बाजार रेट से मुआवजा दें और यह भी कहे कि भूमिहीनों को जमीन नहीं देंगे और जो अच्छी खेती करेगा जो ट्रैक्टर खरीदेगा उसको जमीन दी जायगी। इसके अलावा जो बाग बगीचा लगाना जो शक्कर फार्म बनायेगा उससे जमीन नहीं ली जायगी। यहाँ व्यक्तिगत सम्पसि का सवाल आता है तो कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जो मुआवजा चाहते हैं उन्होंने यह किस प्रकार माना है कि यह भूमि उनकी व्यक्तिगत होगी, सरकार का इस पर अधिकार नहीं है इसलिए सरकार दूसरों से पैसा लेकर, जमीन खरीद कर दूसरे से मुआवजे की रकम लेकर जमीन दे ? मैं समझता हूं कि यह सम्पत्ति राष्ट्र की है, सरकार की है और समाज की है, इसको बांटने का हक सरकार को होगा। इसलिए इस बिल में जो मुआवजे का सवाल है उसके विरोध में मैं हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल में ज्यादा से ज्यादा पूंजीपति, जमींदार और जागीरदार लोगों की ओर मुँह रखा है...

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आपने कह दिया, अब क्लॉज बाई क्लॉज बहस के वक्त कह दीजिये।

Page No.95

श्री मोगजीभाई : अर्ज यह है कि इस बिल को जल्दी पास करने के लिए यदि सब सहायक बनें तो ठीक होगा वर्ना इस बिल से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा माननीय मन्त्रीजी इस पर ध्यान दें कि कितनी जमीन है और कम से कम कितनी जमीन दी जाय। इसके बाद जो मार्केट वैल्यू की बात है इसको दूर करके मन्त्री महोदय इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि कम से कम किसान को कितनी जमीन देंगे।

(श्री नाथूराम (बागीडोरा) के भाषण देने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ करिये।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सन् १६५५ को संशोधित करने के लिये जो विधेयक राजस्थान सरकार ने पेश किया है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर दूं कि अब अन्तिम स्थिति है, वाद-विवाद का रिपिटीशन जैसा होता है, मैं विश्वास करता हूं कि रिपीटिशन नहीं होगा।

श्री नाथूराम : रिपीटीशन बिल्कुल नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने यह बिल सदन में पेश करने के लिये बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया है, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बिल का मूल उद्देश्य भूमिहीनों को देने का है। सलेक्ट कमेटी ने इस बिल में भूमि की सीमाएं निर्धारित की है, इस व्यवस्था को देखते हुए उन भूमिहीनों को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि राजस्थान सरकार ने इस बिल को पास करने का जब से सोचा था तभी से जमींदारों ने और जागीरदारों ने अपने पास जो भूमि थी उसको बेच दिया और इधर तो रकम पैदा करली और उधर सरकार से मुआवजा ले लिया। इस स्थिति को देखते हुए जो भूमिहीन किसान हैं उनको कोई फायदा नहीं हो सकता। बांसवाड़ा डूंगरपुर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पहाड़ी इलाका होने से भूमि कम है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सलेक्ट कमेटी ने ५० एकड़ भूमि निर्धारित की है, वह बहुत ज्यादा है। कम भूमि निर्धारित की होती तो काश्तकारों को ज्यादा भूमि मिल सकती थी। मैंने वहां अनुभव किया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं कि सिंचाई की भूमि १० एकड़ और गैर सिंचाई की ज्यादा से ज्यादा २० एकड़ भूमिहीनों को मिल जाय तो वे लोग अपने परिवार का गुजर कर सकते हैं। वहां पर ५० एकड़ रखी है जो ज्यादा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा के नरेश और जागीरदारों ने हजारों बीघा जमीन बड़े बड़े पट्टीदारों को बेच दी, गुजरात के बड़े बड़े पटीदार बड़े बड़े फार्म बना कर रुपया कमा रहे हैं। वहां १ से ३ बीघा से ज्यादा जमीन वहां के भूमिहीन किसानों के पास नहीं है। लगभग १०, १२ सदस्य उनके परिवार में होते हैं तो वे लोग कैसे इतनी सी जमीन से उनका पालन कर सकते हैं? वैसे राजस्थान सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है पर मुझे बड़ा अफसोस है कि इस कानून से उन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उस क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा १५, या २० एकड़ का कानून पास करना चाहिये। इसमें वहाँ के लिए कमी नहीं हुई तो वहाँ के भूमिहीनों को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

सलेक्ट कमेटी ने भी धारा ३० डी० में संशोधन किया है कि '५७ जनवरी के बाद

Page No.96

(श्री नाथूराम),

जिन लोगों ने भूमि बेची है वह गैर कानूनी होगी। इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि '५५ से ही लोगों ने जमीनें बेचने की कोशिशें की हैं।

इस कानून के बनने से पहले बांसवाड़ा के किसान बल्कि राजस्थान के काश्तकार सोच रहे थे कि हमारे पास जमीनें नहीं हैं राजस्थान सरकार कानून बना रही है, हमें जमीनें मिलेंगी पर अब इस कानून के बनने से उन लोगों को जमीनें नहीं मिलेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि '५७ जनवरी के बजाय ५५ जनवरी का संशोधन होता तो उन लोगों को फायदा होता और जो यह कानून बना रहे हैं इसको पास करने से पहले श्रीमान् मन्त्री जी और माननीय सदस्यगण अच्छी तरह सोच विचार कर कानून पास करें। हजारों काश्तकार कानून बनने के पहले सोच रहे थे कि हमें जमीनें मिलेंगी जैसे खेती सूख जाती है और वर्षा से खेती लहलहाती है इसी तरह इस सीलिंग के कानून से उनको आशा थी। वे उनकी आशाएं अगर इस को इसी तरह पास किया तो मुरझा जायेंगी। इसलिए उदयपुर डिविजन के लिए २० एकड़ भूमि की सीमा रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सारे डिविजन का क्यों कह दिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए कह देते ?

श्री नाथूराम : सारे डिविजन की यही स्थिति है। इसके साथ मेरा अंत में निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा हो, ऐसा संशोधन करें जो बड़ी लम्बी आशाएँ लेकर भूमिहीन बैठे हुए हैं, उनकी आशाएं पूरी हों, इस तरह का यह कानून बनाना चाहिए।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

एक माननीय सदस्य : मुझे अभी तक बोलने का समय नहीं दिया गया है मैं कई बार बोलने के लिए खड़ा हो चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। मुझे विश्वास है कि अनूपसिंह जी आप अपना वक्तव्य इस तरह खत्म करेंगे कि उनको भी मौका मिल जाय।

श्री अनूपसिंह : (बालोतरा) मैं कोशीश तो यही करूंगा पर अगर इस तरह समाप्त न कर सकूं और उनको सुनना चाहें तो सदन और समय दे सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : आज खत्म होना चाहिए था वहां इतना समय बढ़ा दिया है तो अब क्या १६ को और समय लेना चाहते है ? उनको भी आज मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सुनने का मतलब ५ बजे के बाद ५ या १० मिनट हो सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनका मतलब १६ तारीख से है। १६ तारीख को तो कैसे रखा जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : १६ तारीख को तो नहीं।

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, जितनी अहमियत का बिल हमारे सामने पेश हुआ है, उतनी अहमियत का बिल शायद हमारे सदन में पहले पेश नहीं हुआ होगा,

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : जागीर रिजम्प्शन एक्ट भी ?

श्री अनूपसिंह : जागीर रिजम्प्शन एक्ट को आप मानते हैं पर वह एक तबके पर असर डालता था पर यह ऐसा बिल है कि हर किसान पर असर डालेगा, उसकी सुबह से शाम तक की जीवनचर्या पर।

श्री श्रीमानसिंह : छोटे काश्तकारों पर कोई असर डालनेवाला नहीं है।

श्री अनूपसिंह : आपके यहां बड़े बड़े काश्तकार होंगे।

श्री श्रीमानसिंह : मेरे यहां डेढ़ बीघे के भी काश्तकार हैं।

श्री अनूपसिंह : १५० बीघे के काश्तकार भी छोटे हो सकते हैं।

श्री चंदनमल वैद (सरदारशहर) : छोटे से आपका मतलब ?

श्री अनूपसिंह : मेरा मतलब साफ है कि आप इन्टरप्ट न करें।

श्री उपाध्यक्ष : इन्टरप्ट न करें।

श्री अनूपसिंह : मैं यह मानता हूं कि राजस्थान में कहावत है हंसतों को रुला दे और रोते हुओं को सुला दे। पर राजस्थान सरकार रोतों को बिलकुल सुला सकती है पर दबे हुए हैं उनको उठा दें, जो गरीब हैं उनको मालदार बना दे यह इस बिल में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह आशा थी कि हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, कृषकों को अपनी जमीन पर हक मिलने के बाद उन्हें मौका मिलेगा कि वे अपनी जमीन पर खड़े होकर अपने राष्ट्र की बहबूदी के लिए, अपनी जमीन की बहबूदी के लिए कुछ कर सकें।

शायद उनको यह भी ख्याल था कि जब अपनी जमीन खातेदारी की उनको मिलेगी तो वे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे, अच्छी तरह से उनको खिला-पिला सकेंगे, अच्छी तरह से उनको कपड़े दे सकेंगे। उनके यह स्वप्न होंगे कि मैं भी मोटर में फिरूंगा, अपने बच्चों को बाहर भेज सकूंगा जहां वे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और बंगले बनवा कर रहूंगा। मगर जब ऐसी चीज हमारे सामने आई, जब यह बिल हमारे सामने पेश हुआ तो हम देखते हैं कि उस किसान के स्वप्न स्वप्न ही रह गये और हमको वह बात याद आती है जो अक्सर वे कहा करते हैं : शोर तो बहुत सुनते के हाथी की दुम का। झांक के देखा तो रस्सा नजर आया ॥ स्वतन्त्रता नहीं मिली थी उस समय जिस बात को सुनते थे कि जिस समय हमें आजादी मिलेगी, राष्ट्र की बात सुनते थे कि हमारा राष्ट्र उन्नत होगा, ऊंची ऊंची बातें सुना करते थे कि हमको जिस समय आजादी मिलेगी उस समय हम भी अपने बंगले बना सकेंगे और मोटरों में घूम सकेंगे। मगर स्वतन्त्रता रूपी हाथी को देखा तो वह रस्सी नजर आया। उसके अन्दर कुछ नहीं। वह एक नाममात्र का आजादी नाम का हाथी था। शायद राजस्व मंत्री कह सकते हैं कि वे इसके द्वारा सामाजिक न्याय करने जा रहे हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा अगर ऐसा

(श्री अनूपसिंह)

सामाजिक न्याय वे करने आ रहे हैं तो उनको असफलता ही मिलेगी। हमें अगर देखना है कि राजस्थान में क्या वाकई में ऐसी परिस्थितियां हैं कि राजस्थान में एक ही तारीख और एक ही समय में सारे चप्पे चप्पे एरिया में यह कानून लागू हो जाए इसकी जरूरत है क्या? क्या आप सारे राजस्थान के कृषकों की हालत को एक माप तोल या मेजर से लगा सकते हैं? मैं समझता हूं कि ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप राजस्थान में निष्पक्ष होकर न्याय करने की दृष्टि से देखें तो आपको मानना होगा कि राजस्थान में सब जगह परिस्थितियां अलग अलग हैं। जो झालावाड़ की परिस्थिति है, जालोर की नहीं है। जो जालोर की बात कह रहे थे उनको जालोर की परिस्थितियों का मालूम नहीं। जालोर है वैसा बाड़मेर नहीं है हाल कि वह जालोर से मिलता हुआ है। तो मैं मानता हूं कि जालोर और झालावाड़ में बहुत फर्क होगा। जब आप एक ही मेजर से उनको नापना चाहते हैं तो मैं वह निवेदन करूंगा कि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे और जिस मकसद से आपका यह बिल लाया गया है वह मकसद ही डिफीट होकर रह जावेगा। अगर आपको सीलिंग लगाना ही था तो आप ऐसा करते कि अमुक अमुम एरिया में राउन्ड लगाया जावे और देखें कि काश्तकार की आमदनी और प्रोडेक्शन में फर्क पड़ता है या नहीं, इसको वे आगे चलाना चाहते हैं या नहीं। आपने यह न करके यह कह दिया कि सोशियल जस्टिस कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि आपसे इससे कृषक समाज का कोई हित नहीं हो सकता और हिन्दुस्तान में जो धन की प्रोब्लम आज दिनों दिन खराब होती जा रही है उसको इतनी नीची करके रखेंगे कि कुछ समय के बाद आपको खुद को अपनी गलती महसूस करनी होगी। क्योंकि इससे किसान का आर्थिक ढांचा खत्म हो चुकेगा जिस समय आपको मालूम होगा। जब किसान के आर्थिक ढांचे के खतम होने पर आपको मालूम पड़ेगा कि यह बड़ी भयंकर भूल है तो उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता कि आपका यह जो सोशियल जस्टिस का तरीका है वह ठीक है। मैं इसके अलावा आपसे यह निवेदन करूंगा कि कृषक ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी ज्यादा हो सकती है और उस पर आप यह सीलिंग लगा रहे हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि एक पान की दूकान लगानेवाला पान की दूकान पर बैठ कर हजारों रुपये कमा सकता है। एक जूता गांठनेवाला जूते गांठ कर १०० रुपये रोज के कमा सकता हो उन पर आपको कोई ऐतराज नहीं है। आपको ऐतराज है सिर्फ कृषक की आमदनी पर।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : ऐसा कौन सा जूते गांठनेवाला है जो १०० रुपये रोज कमा सकता है।

श्री अनूपसिंह : यह तो मैंने सपोजिशन किया है। मैं आपको बताऊंगा कि रोज के ३०) रु० एक जगह बैठ कर कमानेवाले हैं। बम्बई जैसे शहर में ३०) रु० जो आदमी कमाता है दूसरे शहरों में तो वह वहाँ पर ३०) रु० की जगह १००) रु० भी कमा सकता है। उससे आपको कोई ऐतराज नहीं है। आपको ऐतराज है काश्तकार की आमदनी

(श्री अनूपसिंह)

से कि अगर वह ३,६००)रु० से ऊपर कमाता है तो आपको उससे ऐतराज है। आपने कभी इस बात को महसूस नहीं किया कि उस कृषक की जरूरतें क्या हैं ? आपने कभी यह नहीं सोचा कि उस किसान को भी कभी आपकी तरह मोटरों में बैठ कर और आराम से फिरने की दिमाग में आई होगी। आपने उसकी इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। यहां पर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने कहा कि सोशियल जस्टिस होना चाहिये और यह आपका सोशियल जस्टिस का नमूना है। आप यह कहते हैं कि इससे हिन्दुस्तान को बाहर से धान मंगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर इस तरह से सोशियल जस्टिस होगा तो मैं यह कहूंगा कि आगे क्या होगा अगर यही हालत सोशियल जस्टिक की रही तो ? आज हिन्दुस्तान में ७५ प्रतिशत के ऊपर यानि ८७ प्रतिशत की पोपुलेशन का फिगर काश्तकारों का आता है। आज ७७ प्रतिशत का फिगर काश्तकारों का होते हुए भी हिन्दुस्तान के धान की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। आप कहते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा और प्रोपोरेशन ऊपर जावेगा। मैं यह कहूंगा कि १० परसेन्ट और लोग इसमें लग जावेंगे यानि ८७ पर्सेन्ट लोग खेती में लग जावेंगे और १३ प्रतिशत लोग ही दूसरे रहेंगे। क्या आप समझ सकते हैं कि इन्डस्ट्री में मैन पॉवर की जरूरत नहीं है ? इन्डस्ट्री में भी मैन पॉवर की जरूरत रहती है। लोग खेती इसलिए करते हैं कि उनके पास दूसरा कोई धंधा नहीं है। आपने यह हिसाब लगा कर नहीं बताया कि इससे इतनी आमदनी बढ़ जावेगी। आप यह इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को किसी काम धन्धे में एब्जोर्ब नहीं कर सकते। आप लोगों को कोई धन्धा नहीं दे सकते हैं इसलिये आप यह समझते हैं। इसलिए आपने यह ठीक समझा है कि यह कर दें। मैं यह कहूंगा कि आपने मेरे ख्याल से ऐसे एरिया ही देखे हैं जहां वास्तव में छोटे छोटे टुकड़े ही जमीन के हैं और ऐसे एरिया नहीं देखे हैं जिनके कृषकों के पास पर्याप्त मात्रा में जमीन होते हुए भी उनके पास एक बैल की जोड़ी नहीं है। जो काश्त पर बैठे हैं और जिनके पास पर्याप्त जमीन है वे आज एक बैल की जोड़ी नहीं ले सकते। तो हमें यह देखना है कि वह वकाई में काश्तकार है या नहीं। यह समझें कि अगर कोई अच्छा काश्तकार है तो वह बैल जोड़ी जरूर ले सकता है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे काश्तकार नहीं हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि जो अच्छे काश्तकार हैं उनकी भी यही हालत है। बड़े बड़े फार्म वाले यह चाहते हैं कि ऐसा न हो कि उनको मेकेनाइज्ड फार्मिंग से न हटना पड़े क्योंकि भूमिहीन लोगों को जरूरत है। मैं यह कहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लेबर में ही काम करना चाहते हैं और लेबरर ही रहना चाहते हैं। वे कभी खेती करके रिस्क लेना नहीं चाहते और न वे लोग खेतों को जोतना चाहते हैं जब ऐसे लोग हैं जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो फिर आप किसको कहेंगे कि आप को खेती करनी होगी ? बहुत सी जगह आपको यह मानना होगा कि भूमिहीन किसान हैं और वे जमीन लेना नहीं चाहते। वे तो वहां पर लेबरर की तरह काम करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, यह बात गलत है।

श्री अनूपसिंह : यदि यह बात गलत है तो आप मेरे साथ चलिये मैं आपको प्रूव कर दूंगा। मैं यह नहीं कहता कि सब ऐसे हैं। लेकिन १०, २० पर्सेन्ट ऐसे होंगे जो उसका उपयोग करेंगे। सब के सब भूमिहीन हैं, यह भी नहीं कहता लेकिन अधिक हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ४ लाख हैं।

श्री अनूपसिंह : वे और रहेंगे। मैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ जो कि उनकी स्थिति है।

मेकेनाइजेशन के लिए माननीय सदस्यों ने जोर दिया कि किसी आदमी को एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिए। मैं यह अर्ज करूंगा कि जब आप कहते हैं कि मेकेनाइजेशन नहीं होना चाहिये तो फिर लेबर की प्रोब्लेम को कैसे मिटावेंगे? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि लेबर किसी के लिए नहीं रहना चाहिये। लेबर को किसी तरह से इस प्रकार न लगावें और उनको लेबर रही नहीं रखना चाहते हैं तो फिर मेकेनाइज्ड फार्म्स बनाये जांय तब ही यह हो सकता है। इसके साथ आप यह कहते हैं कि मेकेनाइज्ड फार्म्स के लिए इतनी जमीन नहीं छुड़ानी चाहिए। यदि आप लेबर की प्रोब्लेम को मिटाना चाहते हैं तो फिर मेकेनाइजेशन होगा। दोनों को एक लेवल पर नहीं बैठा सकते। मेकेनाइजेशन होगा तो वहां बड़े फार्म्स होंगे। लेबर होंगे तो लेबर सेविंग डिवाईसेज लगाने पड़ेंगे। आप एग्जम्पशन किसका करेंगे? आपके लिए कहने को कोई रास्ता नहीं होगा। आप कहेंगे कि एग्जम्पशन करने की आवश्यकता नहीं है। काश्तकारों को छोटे छोटे टुकड़े दे दिये जांय जिसमें वे काश्त करें। इतने आदमियों के लिए बैल जोड़े, दूसरी खेती के रिसोर्सेज कौन पैदा करेंगे? कितनों को सरकार ने आर्थिक सहायता दी है तो कितनों ने कितना प्रोडेक्शन बढ़ा दिया है और कितना धान अमेरिका से हिन्दुस्तान को फीड करने के लिए कम आया है और उससे उनकी मदद हुई है तथा अधिक प्रोडेक्शन बढ़ा है? क्या ये आंकड़े दे सकते हैं कि इतना प्रोडेक्शन बढ़ा है और इसलिए अमेरिका से इतना धान कम मंगाना पड़ा है जब कि इतना और मंगाना ही पड़ता और यह आर्थिक सहायता का चमत्कार हुआ है? मेरे ख्याल से इस प्रकार के आंकड़े आपके पास नहीं हैं और न कोशिश की है। आपने तो पोटेन्शियल फिगर्स निकाले हैं कि इतनी जमीन जोत ली है तो इससे इतना प्रोडेक्शन और बढ़ना चाहिये। वास्तव में काश्तकार ने कितना पैदा किया है यह आपने नहीं देखा है। कहां से आप ये फिगर्स लाये?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमन्त्री): But this is not at all relavent to the ceilings.

श्री अनूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बैल मेकेनाइज्ड फार्म्स के लिए अर्ज कर रहा था। यदि मेकेनाइज्ड फार्म्स को एग्जम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर ट्रेक्टर्स तो बिकेंगे सो बिकेंगे ही लेकिन अनइकोनोमिक होल्डिंग्स, यूनिट्स रह जावेंगी जिससे किसी प्रकार से काम चलने वाला नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : को-ऑपरेटिव फार्मिंग इसीलिए कर रहे हैं।

श्री अनूपसिंह : फेक्ट्रीज में लेबर जायेगा तो जबर्दस्ती मेकेनाइजेशन करना

(श्री अनूपसिंह)

पड़ेगा। सोशल जस्टिस आपके दिमाग में है उसका तो भगवान् जाने क्या होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, केटल और शीप ब्रीडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का रखा है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको आप मानेंगे नहीं। बाड़मेर और जैसलमेर एरिया में जाकर देखें तो पता लगेगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे हो? कर्मचारी लोग पहुँचे नहीं। भीषण धूप, बिना पानी के उन इलाकों में आपके कर्मचारी क्यों पहुँचें? जब नहीं पहुंचेंगे तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? उनके पास हजारों बीघा जमीन है, सीलिंग से ज्यादा है तो कुछ जमीन रहेगी। उनके पास इतनी शीप और केटल हैं या नहीं यह नहीं देखा गया। अगर है तो फलाने टाईप की शीप, केटल तुम्हारे पास नहीं इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करते। जब आपके पास मशीनरी नहीं है वहां जाने के लिए तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन होगा कैसे? उनको यदि एग्जम्पशन नहीं देंगे तो फिर उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि केटल और शीप ब्रीडिंग न करें। उनके सामने केटल ब्रीडिंग और शीप ब्रीडिंग के सिवाय और कोई दूसरा जरिया नहीं है। जितनी जमीन आज राईकों के पास देख रहे हैं तो फिर आपको शीप तो जू में ही जाकर मिलेगी, वूल की क्वालिटी और उसके प्रोडेक्शन को बढ़ाने के लिए शीप ग्रेजिंग का जो आपका प्रोग्राम है वह ठप्प हो जावेगा और वह दिन भी आप देखेंगे, आज आपको मालूम नहीं। होता है कि आपका मज़ाक होगा। आप आस्ट्रेलिया की बातें कर रहे हैं लेकिन क्या इस प्रकार रेस्ट्रिक्शन से राजस्थान में शीप ब्रीडर्स जिन्दे रह जावेंगे? कोई नहीं रहेगा। उनकी हालत को जाकर देखिये। शीप रखने को उनके पास जगह नहीं है, चराई की जगह नहीं है। को-ऑपरेटिव्ज पड़त जमीन की बनाई जा रही है। तहसीलदार जो आपके आसपास के लोग हैं आपको खुश करने के लिए भागदौड़ करके बता देते हैं कि बना ली। आर. एम. (Revenue Minister) राजी हो जाते हैं कि तहसीलदार होशियार है उसने को-ऑपरेटिव बना ली है। लेकिन आपने यह नहीं देखा कि क्या तो बना ली और यदि इधर उधर से कुछ बना भी ले तो फिर को-ऑपरेटिव के जरिये से लोग भूखे मर जावेंगे।

डॉ॰ बहादुरसिंह : टाइम हो रहा है उपाध्यक्ष मोहदय।

श्री अनूपसिंह : टाइम तो हो रहा है। मुझे टाइम और दिया जावे। मेरे पास काफी पोइन्ट्स हैं। मैं सीलिंग कमेटी का मेम्बर भी रह चुका हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : इन्ट्रोडक्शन अभी आपका और बाकी है।

(हँसी)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की समय बढ़ाने की रियायत हो तो........

श्री दामोदरलाल व्यास : अब इसके लिए अधिक समय न बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जैसा तय हो गया है वैसा पालन करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : आपको १९ तारीख को १५ मिनिट दिये जाँय।

श्री उपाध्यक्ष : The debate is concluded on this subject now, and the Hon'ble Minister will reply on...

श्री अनूपसिंह : There will be one hour more ?

श्री उपाध्यक्ष : No, I only requested you that in Case you could have concluded your speech then only the other Hon'ble Member would have got a chance for five minutes.

We now adjourn to meet on 19th at 11 A.M.

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) **:** There will be afternoon session on 19th ?

श्री उपाध्यक्ष : No.

[तदुपरान्त सदन की कार्यवाही दिनांक १४-८-५६ को ५ बजे बुधवार दिनांक १६-८-५६ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।]

—— ——

संक्षिप्त-विवरण

शुक्रवार, १४ अगस्त, १९५९

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

असनावर सब-इन्सपेक्टर पुलिस के विरुद्ध मारपीट एवं रिश्वत की शिकायत।

जयपुर-गंगापुर बस सर्विस।

जसरासर में मिडिल स्कूल भवन के निर्माण को बन्द करने का आदेश

जेलों व सब-जेलों की सुरक्षा का प्रबन्ध।

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित अधिनियमों का पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होना।

चीतलवाना (जालोर) में पंचायत एवं स्कूल भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जूनियर टेक्निकल इन्स्टीच्यूट्स खोले जाने की योजना।

सांचोर में पीने के पानी का अभाव।

राजस्थान केनाल क्षेत्र में नवीन सम्मिलित ग्राम।

भोपाल माइनिंग वर्क्स द्वारा अभ्रक की अवरोध ईंटों का उत्पादन।

राज्यकीय माध्यमिक शाला, छोटी सादड़ी।

तहसील सांचोर की सहकारी समितियों के सदस्य।

भीलवाड़ा जिले में सुरेरी बांध सिंचाई परियोजना की कुल अनुमानित लागत।

अध्यापकों के स्थानान्तरण

राजस्थान कॉलेज के अध्यापकों की संख्या व वेतन।

कंवलेश्वर महादेव को जाने वाले पुरुष एवं स्त्रियों की ट्रक से टक्कर।

राजस्थान निर्माण से पूर्व एवं बाद के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में पढ़ाये जाने वाले विषय।

उप-तहसील इन्द्रगढ में पोलघटा के मार्ग को ठीक करने हेतु स्वीकृत धनराशि।

आर. ए. एस., आर. जे. एस. एवं आर. टी. एस. ऑफिसर्स की नियुक्ति के नियम।

गत वर्ष बरसात से टूटे बांध एवं उनसे हुआ नुकसान ।

राजस्थान कॉलेज में तीनसाला डिग्री कोर्स के दाखिले के लिए नियत पर्सेन्टेज ।

सन् १९५८—५९ में घुमक्कड़ पशुपालन विभाग की ओर से हुए सेमिनार ।

जिला जयपुर में किसानों के लिए १९५८—५९ में गर्डर्स, एंगिल्स व टीनों का कोटा ।

कैदियों की सजाओं में माफी ।

मुन्सिफ एवं जेलर, अकलेरा के बीच कैदियों के दाखिले को लेकर कश्मकशी ।

मोडक गांव (कोटा) के श्री रामनारायण किसान का चालान ।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्री किशनलाल शाह, सदस्य विधान सभा को दिनांक १० अगस्त, १९५९ से सत्र के अन्त तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई ।

वक्तव्य

राज्य में चीनी की समस्या से सम्बन्धित श्री जगदीशप्रसाद माथुर के नियम १३१ के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, खाद्य मंत्री, द्वारा एक वक्तव्य दिया गया ।

विधायी कार्य

प्रवर-समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

निम्नांकित विधेयकों पर प्रवर-समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया गया ।

(१) राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् विधेयक, १९५९ ।

(२) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

(३) राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९ ।

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५९

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद जारी रहा जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :

(१) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(२) श्री पी० के० चौधरी

(३) ठाकुर श्री मदनसिंह

Page No.105

स्तम्भ

(४) श्री रामचन्द्र (१२६)
(५) श्री सज्जनसिंह
(६) श्री तनसिंह
(७) श्री भीमसेन
(८) श्री रघुवीरसिंह
(९) श्री भोगजी भाई
(१०) श्री नाथूराम
(११) श्री अनूपसिंह

बुधवार दिनांक १९ अगस्त, '५९ की कार्यसूची,

१. कार्य सलाहकार समिति का

स्तम्भ

द्वितीय प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाना।

२. राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, ५८

(विचार–विमर्श)

३. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, ५९

(विचारार्थ लिया-जाना)

Page No.106

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४३ का उत्तर देखिए]

उदयपुर जिले के हाईस्कूल व हायर सैकन्डरी स्कूलों की सूची

क्रम संख्या	नाम तहसील	नाम पाठशाला
१.	आमेट	हायर सैकन्डरी स्कूल, आमेट
२.	सराड़ा	हायर सैकन्डरी स्कूल, चावंड
३.	गोगुन्दा	हायर सैकन्डरी स्कूल, गोगुंदा
४.	कुम्भलगढ़	हायर सैकन्डरी स्कूल, कैलवाड़ा
५.	गिर्वा	हायर सैकन्डरी स्कूल, कंवरपदा, उदयपुर
६.	नाथद्वारा	मल्टी परपज हायर सैकन्डरी स्कूल नाथद्वारा
७.	रेलमगरा	हायर सैकन्डरी स्कूल, रेलमगरा।
८.	वल्लभनगर	हायर सैकन्डरी स्कूल, वल्लभनगर
९.	वल्लभनगर	हाई स्कूल, भिन्डर
१०.	भीम	हाईस्कूल, भीम
११.	देवगढ़	हाईस्कूल, देवगढ़
१२.	गिर्वा	फतह हाई स्कूल, उदयपुर
१३.	मावली	हाई स्कूल, फतह नगर
१४.	राजनगर	हाई स्कूल, कांकरोली
१५.	गिर्वा	लम्बरदार हाई स्कूल, उदयपुर
१६.	राजनगर	हाई स्कूल, राजनगर
१७.	खेरवाड़ा	हाई स्कूल, ऋषभदेव
१८.	सलूम्बर	हाई स्कूल, सलूम्बर

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४७ का उत्तर देखिये]

List of the gazatted teaching staff working at Rajasthan College, Jaipur, with their pay and scale of pay.

S. No.	Name of the Officer	Desgination	Pay and scale of pay. Pay	Scale of pay.	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. S. P. Verma	Prof. of Pol. Sc. and Offg. Principal.	700/-	500-30-740-EB-30-800-50-1000	
2.	Shri T. C. Methew	Prof. of English	547/-	do	
3.	Dr. M. S. Nigam	Prof. of Economic	500/-	do	
4.	Dr. S. S. Sharma	Prof. in Hindi	550/-	do	
5.	Dr. G. C. Patni	Prof. in Meths.	550/-	do	
6.	Dr. P. L. Bhargava	Prof. in Sanskrit	650/-	do	
7.	Dr. D. C. Mathur	Prof. in Philo.	500/-	do	
8.	Dr. I. N. Shrivastava	Lect. in Pol. Sc.	350/-	250-25-500-EB-25-750.	
9	Dr. Rajendra Prasad	Lect. in Hindi	350/-	do	
10.	Dr. J. C. Joshi	Lect. in Hindi	275/-	do	
11.	Shri I. C. Ojha	Lect. in Poli. Sc.	2[illegible]0/-	do	
12.	Shri D. P. Wanchu	Lect. in English	295/-	do	
13.	Shri O. P. Shrivastava	Lect. in English	250/-	do	
14.	Shri R. N. Mukarji	Lect: in English	325/-	do	

1	2	3	4	5	6
15.	Shri V. P. Singh		Lect. in Economics	350/	do
16.	Shri P. D. Verma		Lect. in Maths	280/-	do
17.	Shri G. D. Bhatta		Lect. in Sanskrit	295/-	do
18.	Shri K. N. Sinha		Lect. in History	275/-	do
19.	Miss Swaran Marwah		Lect. in English	250/-	do

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४६ का उत्तर देखिए)

STATEMENT OF POST GRADUATE COLLEGES AFFILIATED TO THE UNIVERSITY IN THE YEAR 1948-49 PERIOR TO FORMATION OF THE STATE OF RAJASTHAN & THE SUBJECTS TAUGHT THERE AT.

Names of the Colleges	Standard	Subjects
1. Maharaja's College, Jaipur.	M. A.	English, History, Philosophy, Economics, Mathematics, Sanskrit, Persian, Hindi, Urdu, Political Science.
	M. Sc.	Mathematics, Physics.
	M. Com.	Commerce.
2. Birla College, Pilani.	M. A.	English, Philosophy, History, Political Science, Economics, Sanskrit, Hindi & Mathematics.
	M. Sc.	Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology.
	M. Com.	Commerce.
3. Seth G. B. Podar College, Nawalgarh	M. Com.	Commerce.
4. Jaswant College, Jodhpur.	M. A.	English, Philosophy, Economics, History & Hindi.
	M. Sc.	Physics, Chemistry, Botany & Zoology.
	M. Com,	Commerce.

5.	Dungar College, Bikaner.	M. A.	English, Mathematics, Hindi, History, Economics, & Sanskrit.
		M. Sc.	Mathematics.
6.	Maharana Bhupal College, Udaipur.	M. A.	English, Economics, Political Science, History & Hindi.
7.	Herbert College, Kota.	M. A.	English, Hindi, History, Political Science, Economics, Philosophy, & Sauskrit.
8.	Raj. Rishi College, Alwar.	M. A.	Economics, History.
9.	Sawai Mansingh Medical College, Jaipur.	M. B. B. S.	

———

STATEMENT SHOWING THE PRESENT (CORRECTED UPTO JULY 1959) POSITION OF POST-GRADUATE COLLEGES & THE SUBJECTS TAUGHT THEIRIN

	Name of the Colleges	Standard	Subjects
1.	Maharaja's College, Jaipur.	M. A.	English, Philosophy, Mathematics, Sanskrit, Persion, Hindi, Urdu, Political Science.
		M. Sc.	Mathematics, Physics, Chemistry.
2.	Commerce College, Jaipur.	M. Com.	Commerce.
3.	Maharani's College, Jaipur.	M. A.	Hindi, Philosophy, English Literature.
4.	Birla College of Arts, Pilani.	M, A.	English, Philosophy, History, Political Science, Economics, Sanskrit, Hindi, Mathematics.
5.	Birla College of Science and Commerce, Pilani.	M. Sc.	Physics, Chemistry, (Organic and Physical), Mathematics· Botany, Zoology.
		M. Com.	Commerce.
6.	Seth. G. B. Podar College, Nawalgarh.	M. Com,	Commerce.
7.	Jaswant College, Jodhpur.	M. Sc.	Physics & Chemistry, Bio-Chemistry, Drugs. Antibiotices, Botany, Zoology, Chemistry, (Organic & Inorganic), Mathematics.
8.	Maharaj Kumar College, Jodhpur.	M. A.	English, Economics, History, Hindi, Political Science.
		M. Com.	Commerce.
9.	Maharana Bhopal College, Udaipur.	M. Com.	Cemmerce.
		M. A.	English, Economics, Political Science, Sociology, History, Hindi, Geography, Mathematics.
		M. Sc.	Mathematcs.

1	2	3
10 Govt. College, Kota.	M. A.	Hindi, History, Political Science, Economics, Sanskrit and English.
	M. Sc.	Chemistry (Organic and Physical)
11. Dunger College, Bikaner.	M. A.	English, Mathematics, Hindi, History, Economics, Philosophy, and Sanskrit.
12. Govt. College, Ajmer.	M. A.	English, Hindi, History, Economics, Sanskrit, Mathematics & Political-Science.
	M. Sc.	Mathematics, Physics, Chemistry, Botany, Zoology.
	M. Com.	Commerce.
13. S. D, Govt. College, Beawer.	M. A.	Economics & Sociolegy
	M. Com.	Commerce.
14. Vidya Bhawan Govind Ram Seksaria Teacher Training College, Udaipur.	M. Ed.	
15. Teachers Trg. College, Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahr.	M. Ed.	
16. Sawai Mansingh Medical College, Jaipur.	M. B. B. S.	
	M. D.	Pathology, Medicine.
	M. S.	Surgery & Ophthalnology, Gynaeocology & Obsteries.
	M. Sc.	Medicine, Anatomy. Physiology, Pharmacology.
17. Birla Engg. College, Pilani.	M. E./M. Sc	(Electronics)
18. Daya Nand College, Ajmer.	M. A.	History & Political Science, Sociology.
19 University Law College, Jaipur.	LL.M.	Law

NOTE:—The following Colleges are affiliated in the subject of Sociology.

M. A. — Maharani Bhopal College, Udaipur, S. D. Govt. College, Beawar, Dayanand College, Ajmer.

B. A. — (1) Maharaja's College, Jaipur (2) Maharani College, Jaipur (3) Maharana Bhopal College Udaipur (4) S. D. Govt. College, Beawar (5) Dayanand College, Ajmer (6) S. S. G. Pareek College, Jaipur (7) Rajasthan Mahila Vidyalaya, Udaipur (8) Banasthali Vidya Peeth, Banasthali (9) Govt. College, Sirohi (10) Moti Lal College, Jhunjhunu (11) Chirawa College, Chirawa (12) S. P.U. College, Falna (13) Govt. College, Banswara (14) Kalyan College, Sikar (15) Sophia Girls College, Ajmer.

———

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५२ का उत्तर देखिए]

सूची बन्धान १६५८ में टूटे व उनसे जो नुकसान हुआ

नं०	नाम बाँध	नुकसान
		रु०
१.	गलोदिया : फुलेरा :	१५००
२.	डेलास : शाहपुरा :	१२००
३.	नयातालाब कुडियान :	५००
४.	सालेरिया तालाब	१०००
५.	कोडेलाई तालाब	८२०
६.	डिलवारा	८५३५
७.	डाब बारोली बन्ध	२५००
८.	पासोपा बन्ध	२०००
९.	सौलेरा बन्ध	१५०००
१०.	लोवर कुशका बान्ध	१५०००
११.	बन्डा बन्ध	५०००
१२.	दौलतगढ़ बन्ध	५०००
१३.	गहलोव बन्ध	१००००
१४.	बारह बन्ध	५०००
१५.	विहनेर बन्ध	५०००
१६.	शेह बन्ध	४०००
१७.	चिक्साना बन्ध	१५०००
१८.	टिवाड़ बन्ध	१००००
१९.	बन्सी बन्ध	१५०००
२०.	जैतपुरा बन्ध	३०००
२१.	नागला चितारिया	१०७५०
२२.	डेइनान	४०००
२३.	नागला शेरसिंह	५०००
२४.	मेरथा बन्ध	५०००

१	२	३
२५.	खानवा बन्ध	८०००
२६.	विनांका बन्ध	१४८००
२७.	कान्डोली बन्ध	६१००
२८.	शाकारपुर बान्ध	३१००
२९.	मालनी लोवर बन्ध	४००
३०.	मालनी अपर बन्ध	८००
३१.	पूराबन्ध	१०००
३२.	खान सूरजपुर बन्ध	१०००
३३.	नोहरद	८००
३४.	हुक मुरकी बन्ध	५००
३५.	आर० टी० बन्ध	८०००

———

११७३]

परिशिष्ट ५

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५८ का उत्तर देखिये]

नकल फैसला ता० १५-१-५६ अदालत मजिस्ट्रेट I क्लास अकलेरा बइजलासी श्रीरणवीर सहाय सा० वर्मा B.A.L.L.B. RJS मु० मजिस्ट्रेट अकलेरा मशमूला मि० नं० १४ सन् ५६ सीगा फौजदारी व मुकदमा सरकार बनाम रायसिंह सब-जेलर अकलेरा।

१५-१-५६ संचिका आज श्री रायसिंह सब-जेलर अकलेरा की दरख्वास्त पर पेश हुआ। अभियुक्त से पूछा गया कि उसे समाअत में कोई एतराज तो नहीं है तो अभियुक्त ने प्रकट किया कि उसे इस न्यायालय द्वारा समाअत किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है बयान गवाह श्री नारायण चपरासी इस्तगासे की ताईद में लिए गए मुलजिम का बयान कलमबन्द किया गया जिसने अपने बयान में कहा है कि उसकी मन्शा वारन्टों की तामील न करने की कतई नहीं थी क्योंकि लाक अप बन्द हो चुका था और मुलजिमान बिला अदालत की Special order के Lockup में नहीं लिए जा सकते चूंकि अदालत में ऐसा Special order जारी नहीं किया गया Sub-Jailor ने अभियुक्तगण को Lockup में नहीं लिया मैंने अभियुक्त रायसिंह के Statement को देखा है उससे यह स्पष्ट प्रतीत है कि अभियुक्त रायसिंह ने महज मुलजिमान को इसलिए लाकअप में नहीं लिया था कि समय लाक अप खतम हो चुका था उसकी कोई दीगर कोई मन्शा उसमें नहीं थी बस अभियुक्त रायसिंह को जुर्म दफा २२२ ता० हि० से discharge किया जाता है अभियुक्त की guilty intention सिद्ध नहीं है अभियुक्त रायसिंह के विरुद्ध जारी किए गए वारन्ट मंसूख किए जाते हैं। आज्ञा सुनाई गई।

Sd. Rai Sinsh,
Att. Jaielor,
Aklera

Sd. Ranvir Sahai Verma
Munsif & Magistrate Ist
Aklera 15-1-59

शुद्धि-पत्र

(१४ अगस्त, ५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
६५६	६	इब्ल	डबल
६६१	७	चैक आप	चैकअप
,,	१५	नम्बर दी क्वेश्चन	नम्बर ऑफ दी क्वेश्चन
६६२	३	(अल्प विराम के अन्तर)	अल्प विराम के अनन्तर)
६६४	अन्तिमसे ४-५	Non-Pernelial	Non-Pirennial
६६७	अंतिमसे ६-१०	माध्यामिक	माध्यमिक
६६६	१६	इन्क्वायारी	इन्क्वायरी
६७०	१४	इन्क्वारी	इन्क्वायरी
६७१	१०	Dan	Dam
६७१	१३	Lace	Lakhs
६७२	५	Conal	Canal
६७३	५	Conal	Canal
६७३	१६	Cconstruction	Construction
६७६	४	व्यक्तियों	व्यक्तियों
६७६	१७	विधान को	विधान की
६७६	११	puestion	question
६८०	११	क्योलिफाइड	क्वालिफाइड
६८३	२	राजस्थात	राजस्थान
६८३	अन्तिम से ६	कार्मर्स की ईअर्स	कामर्स की थ्री इयर्स
६८६	,, ४-५	डिपारमेंट	डिपार्टमेंट

१	२	३	४
६८६	अन्तिम से ६	बजट सैक्शान	बजट सैक्शन
६८७	" " १०	है जो कि	जो कि
६८६	६	सामाम	सामान
९६१	२०	यह अब	या अब
६६५	४	शख्त	सख्त
६६५	अन्तिम से ७	आसिस्टेन्ट	असिस्टेन्ट
९६६	१६	सुपरिन्टेन्देन्ट	सुपरिन्टेन्डेन्ट
१००५	१३	खन्डसारी	खान्डसारी
१००७	२	डरेईरेक्टर ऑफ के	विलोपित किये जाय
१००७	३	वैगनों	वैगनों
१००८	अन्तिम से ११	noly	only
१०१६	" " १२	कामून	कानून
१०१६	७	aud	and
१०१६	५	उहुंचाने	पहुँचाने
१०२१	१६	ईसका अवसर	इसका असर
१०२३	१७	बेन्चा	बेचें,
१०२४	१२	गाम कमाया है	नाम कमाया है
१०३२	१६	सोलेली	सोल्ली
१०३३	४	cross	gross
१०३३	५	netincome	net income
१०४१	३	कन्सेपशल	कन्सेप्चुअल

१	२	३	४
१०४३	५	it in 30	it is 30
१०४९	६	पंचावतें	पंचायतें
१०५३	५	persen	person
१०६०	१८	साल के काश्त	साल से काश्त
१०६५	२२	(ठाकुर मदनसिंह भी)	(ठाकुर श्री मदनसिंह)
१०६६	अन्तिम	भमि	भूमि
१०७१	अन्तिम से १३	बान रहे है	बना रहे हैं
१०७१	५	(लूणकरणसा)	(लूणकरणसर)
१०७२	१	तीसरा दीन	तीसरा दिन
१०८०	५	अधि	अधिक
१०८३	६	जो सलेक्ट कमेटी	सलेक्ट कमेटी
१०९२	५	४,३८	४.३८
११०५	अन्तिम से १०	कर्यक्रम	कार्यक्रम
११०६	५	उत्तर	उतर
१११२	१	माननी सदस्य	माननीय सदस्य
१११४	अन्तिम से ७	उसी इकॉनोमिक	उसी की इकॉनोमिक
१११७	१२	तदसील	तहसील
१११७	अन्तिम	ट्रान्सफ	ट्रान्सफर
११२०	१	१६५८	१९५८
११२२	अन्तिम से २	perer	peter

१	२	३	४
११२३	१७	प्रश्न	प्रश्न
११२८	२१	घटाने	घटाने
११२८	अन्तिम से ८	धातक	घातक
११३०	,, ,, १३	freeding	breeding
११४०	१७	गरबों	गरीबों
११४०	१७	सर्म्पत्ति	सम्पत्ति
११४१	१४	ममनीय	माननीय
११४२	२२	पटीदार	पट्टीदार
११४७	१५	अलन	अलग
११४७	१६	हाल कि	हालांकि
११५०	अन्तिम से ६ व ११	रिश्क	रिस्क
११५२	अन्तिम से ६	फाम्मस	फॉर्मस